ज्ञानशौर्यम्

ISSN : 2582-0095

Peer Reviewed and Refereed International Scientific Research Journal

Website : http://gisrrj.com

GYANSHAURYAM INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED RESEARCH JOURNAL

Volume 2, Issue 4, July-August-2019

Email : editor@gisrrj.com Website : http://gisrrj.com

ज्ञानशौर्यम्

Gyanshauryam
International Scientific Refereed Research Journal

Volume 2, Issue 4, July-August-2019

[Frequency: Bimonthly]

ISSN : 2582-0095

Peer Reviewed and Refereed International Journal
Bimonthly Publication

Published By
Technoscience Academy

Editorial Board

Advisory Board

- **Prof. Radhavallabh Tripathi**
  Ex-Vice Chancellor, Central Sanskrit University, New Delhi, India
- **Prof. B. K. Dalai**
  Director and Head. (Ex) Centre of Advanced Study in Sanskrit. S P Pune University, Pune, Maharashtra, India
- **Prof. Divakar Mohanty**
  Professor in Sanskrit, Centre of Advanced Study in Sanskrit (C. A. S. S.), Savitribai Phule Pune University, Ganeshkhind, Pune, Maharashtra, India
- **Prof. Ramakant Pandey**
  Director, Central Sanskrit University,Bhopal Campus.Madhya Pradesh, India
- **Prof. Kaushalendra Pandey**
  Head of Department, Department of Sahitya, Faculty of Sanskrit Vidya Dharma Vigyan, Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh, India
- **Prof. Dinesh P Rasal**
  Professor, Department of Sanskrit and Prakrit, Savitribai Phule Pune University, Pune, Maharashtra, India
- **Prof. Parag B Joshi**
  Professor & OsD to VC, Department of Sanskrit Language & Literature, HoD, Modern Language Department, Coordinator, IQAC, Director, School of Shastric Learning, Coordinator, research Course, KKSU, Ramtek, Nagpur, India
- **Prof. Sukanta Kumar Senapati**
  Director, C.S.U., Eklavya Campus, Agartala, Central Sanskrit University,Janakpuri, New Delhi, India
- **Prof. Sadashiv Kumar Dwivedi**
  Professor, Department of Sanskrit, Faculty of Arts, Coordinator, Bharat adhyayan kendra, Banaras Hindu University, Varanasi Uttar Pradesh, India
- **Prof. Manoj Mishra**
  Professor, Head of the Department, Department of Vedas, Central Sanskrit University, Ganganath Jha Campus, Azad Park, Prayagraj, Uttar Pradesh, India
- **Prof. Ramnarayan Dwivedi**
  Head, Department of Vyakarana Faculty of Sanskrit Vidya Dharma Vigyan, BHU, Varanasi, Uttar Pradesh, India

- **Prof. Ram Kishore Tripathi**
  Head, Department of Vedanta, Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi, Uttar Pradesh, India

---

Editor-In-Chief

- **Dr. Raj Kumar**
  SST, Palamu, Jharkhand, India

Senior Editor

- **Dr. Pankaj Kumar Vyas**
  Associate Professor, Department- Vyakarana, National Sanskrit University (A central University), Tirupati, India

---

Associate Editor

- **Prof. Dr. H. M. Srivastava**
  Department of Mathematics and Statistics, University of Victoria, Victoria, British Columbia, Canada
- **Prof. Daya Shankar Tiwary**
  Department of Sanskrit, Delhi University, Delhi, India
- **Prof. Satyapal Singh**
  Department of Sanskrit, Delhi University, Delhi, India
- **Dr. Ashok Kumar Mishra**
  Assistant Professor (Vyakaran), S. D. Aadarsh Sanskrit College Ambala Cantt Haryana, India
- **Dr. Raj Kumar Mishra**
  Assistant Professor, Department of Sahitya, Central Sanskrit University Vedavyas Campus Balahar Kangara Himachal Pradesh, India
- **Dr. Somanath Dash**
  Assistant Professor, Department of Research and Publications, National Sanskrit University, Tirupati, Andhra Pradesh, India

Editors

- **Dr. Suneel Kumar Sharma**
  Assistant Professor Department of Education, Shri Lalbahadur Shastri National Sanskrit University (Central University) New Delhi, India

- **Dr. Rajesh Sarkar**
  Assistant Professor, Department of Sanskrit, Faculty of Arts, Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh, India

- **Rajesh Mondal**
  Research Scholar Department of Vyakarana, National Sanskrit University, Tirupati, Andhra Pradesh, India

- **Dr. Sheshang D. Degadwala**
  Associate Professor & Head of Department, Department of Computer Engineering, Sigma University, Vadodara, Gujarat

Assistant Editors

- **Dr. Shivanand Shukla**
  Assistant Professor in Sahitya, Government Sanskrit College, Patna, Bihar, India |Constituent Unit : Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University, Bihar, India

- **Dr. Shalendra Kumar Sahu**
  Assistant Professor, Department of Sahitya Faculty of S.V.D.V, Banaras Hindu University (BHU) Varansi,Uttar Pradesh, India

International Editorial Board

- **Vincent Odongo Madadi**
  Department of Chemistry, College of Biological and Physical Sciences, University of Nairobi, P. O. Box, 30197-00100, Nairobi, Kenya

- **Dr. Agus Purwanto, ST, MT**
  Assistant Professor, Pelita Harapan University Indonesia, Pelita Harapan University, Indonesia

- **Dr. Morve Roshan K**
  Lecturer, Teacher, Tutor, Volunteer, Haiku Poetess, Editor, Writer, and Translator
  Honorary Research Associate, Bangor University, United Kingdom
- **Dr. Raja Mohammad Latif**
  Assistant Professor, Department of Mathematics & Natural Sciences, Prince Mohammad Bin Fahd University, P.O. Box 1664 Al Jhobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia
- **Dr. Abul Salam**
  UAE University, Department of Geography and Urban Planning, UAE

Editorial Board

- **Dr. Kanchan Tiwari**
  Assistant Professor, Department of Sahitya, Uttarakhand Sanskrit University Haridwar, Uttrakhand, India
- **Dr. Jitendra Tiwari**
  Assistant Professor, Sahitya, Rashtriya Sanskrit Sansthan, Eklavya Campus, Radhanagar, Agartala, Tripura, India
- **Dr. Shilpa Shailesh Gite**
  Assistant Professor, Symbiosis Institute of Technology, Pune, Maharashtra, India
- **Dr. Ranjana Rajnish**
  Assistant Professor, Amity Institute of Information Technology(AIIT), Amity University, Lucknow, Uttar Pradesh, India
- **Dr. Vimalendu Kumar Tripathi**
  Lecturer +2 High School, Bengabad, Giridih, Jharkhand, India

CONTENT

SR. NO	ARTICLE/PAPER	PAGE NO
1	**हर्षवर्धनकृतनाटकानां संक्षिप्तसामाजिकसंघटनस्य स्वरुपम्** आनन्द कुमार	01-04
2	**वैदिक वाङ्मय एक चिन्तन** मधु शुक्ला	05-10
3	**महाकवि भास के रामायणाश्रित रूपकों में काव्यशास्त्रगतौचित्य विमर्श** अपर्णेश कुमार शुक्ल	11-15
4	**न्यायदर्शन में सिद्धान्त: एक समीक्षा** सन्दीप कुमार मिश्र	16-21
5	**महाभारत में वर्णित राजधर्म की समकालीन समाज में उपादेयता** अमरजीत पाण्डेय	22-27
6	**प्राचीन भारतीय शिक्षा** उमेश चन्द्र मिश्र	28-30
7	**सन् साठ के बाद के हिन्दी उपन्यासों का सर्वेक्षण एवं वर्गीकरण** डॉ. विजय कुमार शुक्ला	31-34
8	**गाँधी एवम् अहिंसा: एक अध्ययन** डॉ. सुजीत कुमार तिवारी	35-40
9	**Pattern of Sexual Behavior Among People in a Rural Area of Bihar : A Qualitative Study on Wives of Migrant Workers** Dr. Prabha Kumari	41-45
10	**आय के विभिन्न स्रोत और आय-कर अधिनियम 1961** डॉ. राज कुमार	47-53

11	**भारतीय राष्ट्रीय राजनीति और गाँधी के स्वराज्य की सामाजिक अवधारणा 1922-1934: एक अध्ययन** डॉ. रेखा कुमारी	54-58
12	**उच्च माध्यमिक स्तर के शहरी विद्यार्थियो एवं ग्रामीण विद्यार्थियो के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन** निधि कुमारी	59-61
13	**आश्रमाणां व्यवस्थापकाः वेदाः** डॉ. सुभाष चन्द्र मीणा	62-69
14	**संस्कृत वाङ्मय में आश्रम** डॉ. नंदिता मिश्रा	70-76
15	**वैदिक संस्कृति में संगीत चिकित्सा (म्यूजिक थैरेपी)** डॉ० जया शर्मा	77-82

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 4 | ISSN : 2582-0095

हर्षवर्धनकृतनाटकानां संक्षिप्तसामाजिकसंघटनस्य स्वरुपम्

आनन्द कुमार
असि.प्रो. , संस्कृत-विभाग
राजकीय महिला महाविद्यालय,
राबर्ट्सगंज सोनभद्र

शोधालेखसारः– नारीणां दशा अधोलिखितं विद्यते- वत्सराजस्य पट्टमहिष्या वासवदत्तायाःविशिष्टतं स्थानं वर्णितं स्वनाटकेषु श्रीहर्षवर्धनेन ,कथानकस्यावलोकनेनपरिज्ञायते यत् वासवदत्तायाःसम्मुखे महाराजो वत्सराजो अपि स्वप्रभुत्वं स्थापयितुं न समुत्सहते स्म[1]। गुप्तकालसदृशेव मध्ये कुलीनगृहिणीनां दशा सन्तोषप्रदा आसीत् । परन्तु सामान्यस्त्रीसमाजस्य दुर्दशायाः अस्मिन्नेव काले समारम्भः जातः।

मुख्य शब्द– नारीणां, दशा, स्थानं, वर्णितं, स्वनाटकेषु, स्वप्रभुत्वं|

वर्णव्यवस्था- विभिन्नजातिर्वर्णसम्प्रदायै विभक्तस्य समाजस्य यादृशी दशा साम्प्रतं विद्यते सप्तम शताब्दाद्यामपि तदवदेवासीत् । मध्यकालिकस्य सामाजिकजीवनस्येयं महती विशेषता आसीत् यत् प्राचीनवर्णव्यवस्थायाः स्वरुपं कार्यविशेषमाधारीकृत्य समुत्पन्नेषु नवीनतमेषु जातिगतरुपेषु परिणतं जातम् । विविधसंस्कृतिविशिष्टस्य समाजस्य स्वकीय सांस्कृतिकमहोदधौ निगरणं कृत्वा भारतीयसमाजौ मध्यकाले स्वात्मविलीनीकरणरुपात् कार्यादुपरतो जातः । परस्परं भोजनविवाहजीविकारुपेणोत्तममध्यमाधामानां विविधजातीनां परिकल्पनं कृतं हिन्दूसमाजनेन। चतुर्वर्णव्यवस्थान्तर्गते ब्रह्माणानां प्रथमं सर्वपूज्यं स्थानमासीत् । देवाराधानाध्ययनरुपैः कार्यैः समाजस्य नैतिकाभ्युदयं प्रति ब्रह्मणानामुत्तरदायित्वमासीत् परन्तु विशिष्टासु परिस्थितीषु कृषियुद्धादिकेषु वर्णेतरभ्यो निर्धारितेष्वपरेष्वपि व्यापारेषु ब्रह्माणानां गतिरासीत् । नैके ब्रह्माणाः तात्कालिकेषु राज्येषु सेनापतिपदमलंकुर्वन्ति स्म।प्रधानामात्येषु पदेषु तु प्रायशो ब्रह्मणजना एवाभिषिक्ता दरीदृश्यन्ते स्म ।कर्मकाण्डगतेन संस्कारप्रक्रियया शुद्धिकरणं ब्रह्मणस्य महत्त्वपूर्णं कार्यमासीत्[2]।

---

1 राजा.....देव्याः प्रसादं मुक्त्वा नान्यस्तस्याः मोक्षाणाभ्युपायः...तथा राजा देवी प्रभवति।कुतो अस्माकमन्यथा कर्तुं विभवः।**प्रियदर्शिकायांचतुर्थःअङ्कः**

2 कृतोपनयनादिक्रियाकलापस्य...........श्रुति स्मृतिविहितं कृत्वा द्विजजनोचितं पुण्यजातम् । **हर्षचरिते, प्रथमोच्छ्वासः ।**

१.ब्रहमणवर्णम् - राजकीयसभायां साधारणजनेषु च सर्वत्रैव द्विजातीनां पूज्यतमं स्थानमासीत्[3] । देवतानां पूजनसमये, व्रतोपवासादिके , विशिष्टावसरे प्रत्यक्षदेवतारुपेण ब्रहमणानां गौरवगरिष्ठं पदं तात्कालिके समाजे संल्क्ष्यते स्म।प्रियदर्शिकानाटकायां व्रतोपवसाभ्यां विगलितशरीरा सामग्री वासवदत्ता ब्रहमणार्चनं विना अन्यस्मिन् कार्येदत्तचित्ता न जायते स्म[4] ।

वेदाध्ययनपरायणानां कर्मकाण्डनिरतानां केषाञ्चित् तादृशानां जनानां वर्णनं लिपिबद्धं वर्तते स्म । तात्कालिकेषु संस्कृतसाहित्येषु ये वर्णेतरर्जनैः सह भोजनादिषु व्यापारेषु सम्मिलितं न समुत्सहन्ते स्म । परस्पराणां स्पृश्यास्पृश्यविवराणां प्राबल्यमासीतुपर्युक्तोदाहरणेनेति परिज्ञायते।

२. क्षत्रियवर्णम्-सामाजिकव्यवस्थायां महत्त्वक्रमानुसारं ब्रहमणानुवर्तिरेव क्षत्रियाणां प्रतिष्ठा आसीत् । शक्त्या निर्बलानां जनानां संरक्षणे पुरस्कारादिना विद्वज्जनानां सम्माने , काव्यशास्त्रविनोदे च क्षत्रियवर्णजनारता आसन्। स्वकीयवीरत्वगुणाधिक्यात्वात् प्रायशो राजशासनपदवीमलंकुर्वन्ति स्म ।विरमितेषु युद्धादिकेषुजीवननिर्वाहार्थं कृषिकर्मनिरतानां क्षत्रियसैनिकानां वर्णनं लभ्यते तात्कालिकैतिहासिकेषु , एतेन परिज्ञायते यन्न केवलं रणक्षेत्रे अपितु कृषिक्षेत्रादिके अपि क्षत्रियणां गतिरासीत् ।

३. वैश्यवर्णम् – प्रचीनकाले वाणिज्येन सह कृषिकार्यमपि वैश्यानां मुख्यकार्यमासीत् ।सप्तशताब्द्यां वैश्यजनाः मुख्यरुपेण वाणिज्यवृत्येव स्वजीवनपालनं कुर्वन्ति स्म[5] ।हर्षवर्धनकृतायां रत्नावलीनाटिका यामेकत्र भग्ने जलयाने यदा रत्नावली समुद्रे पतिता जाता तदा व्यापाराय परिभ्रमणशीलेन कौशाम्बीस्थेन व्यापारिवर्गेण तस्याः संरक्षणमजायत ।

४.शूद्रवर्णम्-तत्साहित्येषु यद्यपि शूद्र वर्णनानां कृते वेदाध्ययनादिषु द्विजातिनिर्दिष्टकार्येषु च निषेधस्यैव व्यवस्था दरीदृश्यते । परन्तु सामाजिकसंघटनस्य सञ्चालने शूद्राणामपि महत्त्वपूर्णा भूमिका आसीत् । न केवला परम्परा प्राप्तेषु कार्येष्वपितु हस्तकलादिकेषु वर्णेतराणां निर्धारितेषु वृत्तिषु तेषां सौन्दर्योपासकत्वं कलापटुत्वञ्च दरीदृश्यते । कृषिकर्मादिरुपेषु शूद्रवर्णभ्यो निर्धारितेषु कार्येषु संलग्नानां शूद्राणां मध्ये वधिकचाण्डालमृतपादसंज्ञकानां शूद्राणां स्थानमस्पृश्यरुपेणासीत् ।हवेनसांगमहोदयानुसारेण परिज्ञायते यदेतेषां निवासस्थानं ग्रामात् बहिर्भागेष्वासीत् ।

वैवाहिकसम्बन्धस्वरुपम्

तत्समाजे विवाहितानां स्त्रीपुरुषाणां सन्तोषजनकं स्थानं नासीत् । विवाहः स्वचारित्रयस्य सदाचरणस्य च प्रमाणमासीत् । ये अविवाहिता आसन् तान् सशङ्कदृष्ट्या अवलोकयति स्म जनाः । हर्षवर्धनकृतनाटकेषु शिक्षासङ्गीतादिकानां परिशीलनं कृत्वा युवतियुवाजनेषु वयः प्रौढतासमागते सति तेषां विवाहस्य प्रचलनं दरीदृश्यते[6] ।यद्यपि सामान्यतया विवाहसंस्कारस्य सम्पादने पित्रादिगुरुजनामेव दायित्वमासीत् परन्तु

---

3 .....जितमुडुपतिना नम सुरेभ्यो द्विजवृषभा......। **रत्नवल्याम् १/५**

4 .....मम उण बहमणस्य वसोत्थिवा अणवलां आदिक्कमदि...। **प्रियदर्शिकायाम् पृ० ३७**

5 क्व सिद्धादेशप्रत्ययप्रार्थितायाःसिंहलेश्वरदुहितुः समुद्रे यानभङ्गमग्नोत्थितायाः फलकासादनं क्व च कौशाम्बीयेन वणिजा सिंहलेभयः प्रत्यगच्छता...। **रत्नवल्यां प्रथमो अङ्कः ।**

6 यदेषा विन्ध्यकेतुदुहिता वरयोग्या भविष्यति तदा अहं स्मारयितव्यः।**प्रियदर्शिकायां द्वितीयो अङ्कः**

क्षत्रियाणां मध्ये गान्धर्वविवाहस्यापि प्रचलनमासीत्[7]।गुरुजनानामनुज्ञां विनैव स्त्रीपुरुषयोर्मध्ये सञ्जातविवाहानां बहून्युदाहरणानि दरीदृश्यन्ते ।हर्षवर्धनकृतेषु रुपकत्रयेषु नायकनायिकायोर्मध्ये गान्धर्वविवाहस्यसङ्केतो विद्यते ।

बालविधवाविवाहयोः न प्रचलनमासीतिदानीं तथापि न्यूनावस्था यामेव गतानां बालकबालिकानां विवाहसम्बन्धस्तेषां गुरुजना सम्पादयन्ति स्म ।यद्यपि प्रियदर्शिकादिभिः नायिकादिभिः सह वत्सराजस्य गान्धर्वो विवाहः सञ्जातः परन्तु गान्धर्वविवाहात्पूर्वमेव तयोर्मध्ये विवाहस्यानुमतिरपि प्रदत्ता आसीत् महाराजेण दृणवर्मणा[8]।

आश्रमव्यवस्था

ऐहिकामुष्मिकफलं सम्प्राप्तये ब्रह्मचर्यगृहस्थवानप्रस्थसंन्याससंज्ञकानां चतुर्णामाश्रममाणां परिकल्पनं स्मृतिकारैः। अत एव प्रथममित्थम्-

१. ब्रह्मचर्याश्रमः- जीवनयात्रासफलीकर्तुं गुरुजनानां स्वानुभूतेन कृपाप्रसादेन पूर्णा परिपक्वतासमागच्छति जनेषु , उपर्युक्तेन कारणेनैव ब्रह्मचर्यस्य व्यवस्थानिरुपिताः स्मृतिकारैः । ब्रह्मचर्यावस्थायां गुरोगृर्हमेवाधिसवसद्भ्यः तेषामेव परिवारजनस्य सेवां छात्रेभ्यःशिक्षां ददाति स्म गुरवः ।

२.गृहस्थाश्रमः-स्मृतिषु निर्दिष्टनियमानुसारं शिक्षां गृहीत्वा स्वगृहागतानां तरुणानां समावर्तनसंस्कारेण गृहस्थाश्रमे प्रवेशः सञ्जायते स्म।अस्मिन् एवाश्रमे विवाहादिकं संस्कारं कृत्वा सन्तानोत्पादेनेन देवर्षिपितृणां गुरुजनानां सेवया च सामाजिकसुखसमृद्धये सर्वे जनाः निरतारासन् ।गृहस्था एवेतराश्रामेषु गतान् जनान् स्वगृहागतांश्च भोजनद्रव्यवस्त्रादिभिःपरिपालयन्ति स्म।तत्समाजे मखादिकेषु कार्येषु महत्त्वपूर्णा भूमिका गृहजनानां दृश्यते ।एतैर्विना कानिचिदपि महत्त्वपूर्णानि कर्माणि न सम्पद्यन्ते स्म ।

३. वानप्रस्थाश्रमः - गृहस्थजीवनसमय एव शिक्षादिकं गृहीत्वा स्वगृहागतानां तरुणानां पुत्राणां मातृपितृभ्यां वानप्रस्थाश्रमे प्रवेशो विधाय इति स्मृतीनां समावेशः आसीत् । अस्मिन् आश्रमे भोगाभोगयोः सम्मिश्रणं परिलक्ष्यते।गृहस्थ कर्तव्यं कुर्वतापि जनेन मुनिवृत्तिरपि स्वीकर्त्तव्या । गृहमुनीति शब्देन वानप्रस्थाश्रमगतस्यैव जनस्य महाकविबाणभट्टः सङ्केतो ददाति[9]।

४. संन्यासाश्रमः-जनाः स्वकीयजने विविधप्रकाराणां सुखदुःखादीनां वेदानामनुभूय संन्यासाश्रम एव भगवत्याः शान्तिदेव्याः परिदर्शनं कुर्वन्ति स्म । हर्षवर्धनकृते नागानन्दनाटके भौतिकसुखपभोगे निरुत्साहितेन जीमूतकेतुना संन्यासाश्रमस्योदाहरणं चित्रितं जायते ।

नारीणांदशा

नारीणां दशा अधोलिखितं विद्यते- वत्सराजस्य पट्टमहिष्या वासवदत्तायाःविशिष्टतं स्थानं वर्णितं स्वनाटकेषु श्रीहर्षवर्धनेन ,कथानकस्यावलोकनेनपरिज्ञायते यत् वासवदत्तायाःसम्मुखे महाराजो वत्सराजो अपि स्वप्रभुत्वं

---

7 .....धर्मशास्त्रविहित-एष गान्धरवोविवाहः .....क्षत्रियस्य तु गान्धर्वो विवाहः श्रेष्ठः उच्यते । **प्रियदर्शिकायां सटीकः तृतीयो अङ्कः**

8 अ अं क्खु सो महाराजो जस्स अहं तादेण दिण्णा । ठाणे क्सु तादस्स पक्खवादो । **प्रियदर्शिकायां द्वितीयो अङ्कः**

9 यस्मादजायन्त वात्सायनो नाम गृहमुनयः ......। **हर्षचरिते प्रथमो उच्छ्वासः**

स्थापयितुं न समुत्सहते स्म[10]।गुप्तकालसदृशेव मध्ये कुलीनगृहिणीनां दशा सन्तोषप्रदा आसीत् ।परन्तु सामान्यस्त्रीसमाजस्य दुर्दशायाः अस्मिन्नेव काले समारम्भः जातः।बहुपत्नीत्वप्रथाप्रचलनेनोक्तस्य मतस्य समर्थनं भवति।अनेकस्त्रीसमन्वितो अपि राजा अपराभिः स्त्रीभिःसह रमणार्थं स्वतन्त्रो दरीदृश्यते।प्रियदर्शिकारत्नावलीनाटिकाद्वये अस्य पुष्कलं प्रमाणं वरीवर्ति[11]। यद्यपि वासवदत्तायाः परोक्षे वत्सराजस्य प्रेपरिपाको भवति परन्तु प्रियदर्शिकारत्नावलीभ्यां सह विवाहेन तत्कालस्य राजकीयस्वरुपस्य नैर्मल्यं स्त्रीणां व्यक्तित्वं न प्रतिभाति।कुलीनां नारीणां कृते संगीतकलाकविषयविशेषे शिक्षणस्य व्यवस्था आसीत्[12]।हर्षवर्धनेन स्वकीयरुपकेषु संगीतकलाचित्रकलादिविषयेषु पाटवस्य वर्णनं कृतम्।न केवलोच्चवंशोत्पन्नाः नार्यः अपितु साधारणस्त्रियः नृत्यादिकेषु प्रवीणा आसन्[13]।प्रत्येकवर्णेषु समुत्पन्नाः सर्वा एव स्त्रियः प्रायशः सुशीलाः सुशिक्षिताः सच्चारित्रयसमन्विताः च दरीदृश्यन्ते स्म[14]।

---

10 राजा.....देव्याः प्रसादं मुक्त्वा नान्यस्तस्याः मोक्षाणाभ्युपायः...तथा राजा देवी प्रभवति।कुतो अस्माकमन्यथा कर्तुं विभवः।**प्रियदर्शिकायांचतुर्थःअङ्कः**

11 मनोरमा- हला अपिण्डदे, कमलिणीबद्धापुराओ वि महुअरो मालदीं पेक्खिअ अहिणवरसा सादलम्पडो कुदो तं दिटदिं करेदि । **प्रियदर्शिकायां तृतीयो अङ्कः**

12 गीतनृत्तवाद्यादिषु विशिष्टकन्यकोचितं सर्वं शिक्षयितव्या ।**प्रियदर्शिकायां प्रथमो अङ्कः**

13 महुमत्तकामिणीजणस अंग्गहगहिदसिड्गकजलप्पहारणच्चन्तणाअरजणजणिदको दूहलस्स .....।**रत्नावल्यांअङ्कः**

14 सहलज्जाधनस्य प्रमदाजनस्य प्रथमाभिभाषणमशालीनता, विशेषतो वनमृगीमुग्धस्य कुलकुमारीजनस्य । **हर्षचरिते, प्रथमोच्छ्वासः ।**

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 4 | ISSN : 2582-0095

वैदिक वाङ्मय एक चिन्तन

मधु शुक्ला
संस्कृत विभाग
इलाहाबाद विश्वद्यालय, प्रयागराज

शोध आलेख सार– नित्य यज्ञ के विधि विधान को आश्रम में निवास करने वाले समस्त जन समुदाय को सम्मिलित होकर सहयोग करना अपेक्षित था | जिसके फल स्वरूप समस्त समाज में सुख समृद्धि के साथ – साथ शांति व आत्मनिर्भरता सामान्यतः दृष्टिगोचर होती थी |

मुख्य शब्द– आर्ष ,साहित्य, ,वैदिक, वाङ्गमय, दीक्षा, निमित्त, सनातन, काल, पारिवारिक, संस्कार, सात्विक, आहार, सदाचार, ब्रह्मचर्य|

आर्ष साहित्य की स्थिति में वैदिक वाङ्गमय की शिक्षा – दीक्षा के निमित्त सनातन काल से प्रायः पारिवारिक संस्कार जिसमें सात्विक आहार, सदाचार व ब्रह्मचर्य अनुपालन के साथ शुद्धता व पवित्रता पर विशेष बल दिया जाता था | तभी मंत्रद्रष्टा ऋषियों को समालंकृत किया गया- "ऋषयोर्मंत्रद्रष्टार:"| जहाँ तक वैदिक संहिता ग्रन्थ के मौलिक चिंतन के परिप्रेक्ष्य में यदि विचार किया जाये तो "वेद" शब्द का व्युत्पत्तिपरक परिचयात्मक स्वरूप नितांत अपेक्षित है |

"वेद" शब्द 4 धातुओ से निष्पन्न माना गया है:- विद्ज्ञाने, विद्विचारणे, विद्लाभे और विद्सत्तायाम् |

यहाँ पर विद्ज्ञाने के भाव को ग्रहण करना समीचीन है| वैसे तो चराचर जगत में प्रत्यक्ष व परोक्षज्ञान की अनंत राशि समस्त ब्रह्माण्ड में व्याप्त है जिसे संहिताग्रंथो के रूप में चारो वेदों में सूत्रात्मक रूप से समाविष्ट किया गया है | जिसके सम्यक अध्ययन हेतु वेदांग साहित्य का आद्योपांत पठन-पाठन परमावश्यक है | प्राचीन परम्परा के अंतर्गत सामान्यतः ब्रह्मचर्याश्रम में आठवें वर्ष बालक का विधिवत् यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो जाता था | अथर्ववेद में कहा गया है कि –

"ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाहनत"|[1] (अथर्वेद, ११/५/१९)

अर्थात् देवों ने ब्रह्मचर्य तथा तपस्या के बल पर मृत्यु को परास्त किया और अमर हो गए | वस्तुतः वैदिक शिक्षा पद्वति में सच्चरित्र और सुसंस्कृत शिक्षार्थी "ब्रह्चारी" के रूप में गुरुकुल में प्रविष्ट होते थे| इसके साथ ही आश्रम व्यवस्था के रूप में जहाँ पर बौद्धिकता का संवर्धन करने वाले वृक्षों की प्रचुरता कृत्रिम वाटिका के रूप में तुलसी आदि पौधों को आरोपित कर नदी अथवा सरोवर प्रान्त में जहाँ पर सांसारिक विषयों से ज्ञानेन्द्रियो को नियंत्रित किया जा सके और उन्हें वैदिक ज्ञान की दिशा में प्रवृत करना सुगम होता है | ऐसे परिवेश में वैदिक साहित्य में अनुशीलन तथा क्रियात्मक अनुभव किया जाता था | उस समय ऐसे विद्वान मुनि - मनीषियों के वैदिक चिंतन मनन का उनकी वाणी पर विशेष मुखरता के साथ प्रभावोत्पादकता दृष्टिगत होती थी | नित्य यज्ञ के विधि विधान को आश्रम में निवास करने वाले समस्त जन समुदाय को सम्मिलित होकर सहयोग करना अपेक्षित था | जिसके फल स्वरूप समस्त समाज में सुख समृद्धि के साथ – साथ शांति व आत्मनिर्भरता सामान्यतः दृष्टिगोचर होती थी |

कालांतर के आहार – विहार के व्यतिक्रम तथा संस्कारो की शिथिलता के कारण बुद्धि – विवेक तथा मेधा शक्ति का ह्रास होने लगा | ऐसी स्थिति में वैदिक ज्ञान की निष्ठावान् परम्परा प्रभावित हुई और स्मरण शक्ति की शिथिलता के फलस्वरूप विषयानुसार वैदिक ज्ञान को पृथक – पृथक संहिता ग्रंथो के रूप में व्यवस्थित किया गया है| पठन – पाठन की सुविधा हेतु वेदांग साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ और चारो वेदों के स्थान में किसी एक वेद की विशेषज्ञतायुक्त विद्वान् दृष्टिगत हुए |

सम्प्रति जिसका ज्वलंत प्रमाण सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में संहिता ग्रंथो के साथ वेदांग साहित्य की पृथक् – पृथक् आचार्य कक्षा पर्यन्त शिक्षण व्यवस्था है | यहाँ तक भारतीय दर्शनों के अध्ययन हेतु षड्दर्शनों के पृथक-पृथक आचार्य और तुलनात्मक दर्शन जिसमें पाश्चात् दर्शन को भी संम्मिलित किया गया है | आचार्य कक्षा में अध्ययन की परंपरा का निर्वाह होरहा है | विश्वविद्यालयीय शिक्षा के अंतर्गत वैदिक ज्ञान के रूप में सीमित व अव्यवस्थित पाठ्यक्रम औपचारिकता मात्र रह गयी है | ऐसी स्थिति में वैदिक साहित्य के संरक्षण की परिकल्पना सूर्य को दीपक दिखाने की भांति ही मानना चाहिए |

किसी समय भारत वर्ष विश्व गुरु माना गया –

"एतद् देशप्रसूतस्यसकासादग्रजन्मनः"|

"स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन पृथ्वीव्याम सर्व मानवः" [2] (मनुस्मृति)

प्रकृति के स्वाभाविक व सुरम्य वातावरण के मध्य कायिक, वाचिक व मानसिक मनुष्य की स्वस्थता के साथ उसकी मेधा व बौद्धिक संवर्धन पुरातनकाल की अपेक्षा सम्प्रति प्रदूषणजन्य कृत्रिम वातावरण और आहार विहार के तामसी व राजसी अनुसरण ने मानसिक व बौद्धिक चिंतन को बौद्धिक विकास होते हुए भी आज सृजनात्मक अवधारणा के स्थान पर विध्वंशात्मक दिशा की ओर प्रबृत कर दिया है | कहने का आशय यह है कि हमारे शैक्षिक युवक प्रकृति विरुद्ध आहार विहार का अनुसरण करते हुए रात्रि कालीन बेला में अध्ययन में प्रवृत हो रहे हैं | और प्रायः सूर्योदय के सात्विक मांगलिक वातावरण के दर्शन काल में उनकी सुप्तावस्था रहती है | ऐसी स्थिति में उनके ज्ञान में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं मानी जा सकती परन्तु स्वस्थ्य मानसिक चिंतन जो सात्विक मार्ग में प्रवृत हो ऐसा दृष्टिगत नहीं हो पाता |

आज वैश्विक युग में प्रायः समस्त देश आतंकवाद से अल्पाधिक्य मात्रा में संक्रमित है |यह कहना कथमपि अनुचित न होगा कि आतंकवादी अशिक्षित व् मूर्ख होते है| अपितु उन्हें नवीनतम ज्ञान विज्ञान व समाज के ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक स्वरूप का सूक्ष्मतम ज्ञान होता है| ऐसे में वैदिक ज्ञान के संरक्षण की कल्पना भी करना अत्यंत दुष्कर विचार प्रतीत होता है | अस्तु हम सभी को अपने वैदिक वाड्न्मय को पूर्ववत् जन – जन में लाभोंमुखी बनाने के लिए तथा उनके संरक्षण के निमित्त अधोलिखित विन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में चिंतन व व्यावहारिक दृष्टि से अनुकरण नितांत अपेक्षित है -

पारिवारिक संस्कार –

“जन्मना जायते शूद्रः , संस्कारात् द्विज उच्यते” [3] (मनुस्मृति)

मनुस्मृति के इस महा वाक्य के सम्बन्ध में यदि गंभीरता से विचार किया जाये तो संस्कार का मानव जीवन में विशेष महत्व स्पष्ट होता है | वास्तव में वैदिक शिक्षा प्रणाली संस्कार पद्वति पर ही आधृत है | क्योंकि कि मानव को संस्कृत करना ही वैदिक शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य रहा है | ज्ञान के उपार्जन और बुद्धि के परिमार्जन में ही नहीं शिक्षार्थियों के नैतिक चरित्र और संस्कृत व्यक्तित्व के निर्माण में भी संस्कारो का बड़ा महत्व है | जैसे मिट्टी के नए कच्चे बर्तन पर खीची गयी लकीर हमेशा के लिए अंकित हो जाती है, वैसे ही कोमलमति शिशुओं के अबोध अंतःकरण पर पड़े हुए संस्कार अमिट होते हैं –

“यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो जान्यथाभवेत्” [4] (द्वितोपदेश प्रस्ताविका श्लोक 8)

वैदिक संस्कृत में सोलह संस्कारों की परम्परा मानव प्रकृति के सांस्कृतिक उन्नयन की ही प्रक्रिया थी | षोडश संस्कार प्रायः सर्वसम्मत संस्वीकृत किये गए हैं जिसमे गर्भाधान संस्कार में ही जीव का वास्तविक निर्माण हो जाता है सुश्रुत सहिंता के शरीर स्थान में यह स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि शास्त्रोक्त रीति से उत्पन्न हुआ संतान रूपवान् , गुणवान्, व् पूर्णायु वाला होता है | साथ ही वह माता – पिता, गुरु, समाज, व् राष्ट्र ऋण से उन्मुक्त करने वाला माना गया है |

"एवं जातः रूपवंतः गुणवन्तः चिरायुषः" [5] (शारीरस्थान,सुश्रुतसंहिता)

जन्मोपरांत जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णछेदन तथा मुंडन संस्कार के पश्चात् यज्ञोपवीत संस्कार की सम्पन्नता और ब्रह्मचारी का गुरुकुल में अध्ययन हेतु प्रवेश पुरातन पद्धति के आधार पर यदि व्यवस्था बनाई जाये तो ऐसे छात्रो के मौलिक चिंतन का स्वस्थ विकास संभव है | अथर्ववेद में कहा गया है कि प्रजापति या राजा को भी ब्रह्मचारी होना चाहिए , ब्रह्मचर्य से युक्त राजा विशेष रूप से राष्ट्र की रक्षा करता है –

"ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं विरक्षति" [6] (अथर्ववेद ११/५/१७)

प्राकृतिक संरक्षण – सम्पूर्ण भूमंडल पर लगभग ७१ प्रतिशत समुद्री भाग तथा 29 प्रतिशत भूपटल की स्थिति है | भूपटल में भी स्थान- स्थान पर जीवन यापन के लिए नदियों के साथ विभिन्न प्रकार के वृक्षों के समूह अर्थात वनप्रांत विद्यमान है | पर्वतीय श्रृंखला और वहाँ की प्राकृतिक छटा सर्वदा से वैदिक चिंतन के निमित्त श्रेयष्कर है| आज नदियों में बाँध बनाकर उसके स्वाभाविक प्रवाह को अवरुद्ध किया जा रहा है | जिससे आवश्यकतानुसार जल की आपूर्ति में बाधा उपस्थित हो रही है पर्वतीय क्षेत्रो में पर्यटन केंद्र बनते जा रहे है जिससे उनकी प्रकृतिस्थ स्वाभाविकता निश्चित रूप से प्रभावित हो गयी | इसके साथ ही जल प्रदूषण, वायुप्रदूषण, ध्वनिप्रदूषण व् पर्यावरण प्रदूषण के साथ वाक्प्रदूषण अत्यंत तीव्रता के साथ संक्रामक रोग की भाँति विकसित हो रहा है |वृक्षारोपण के नाम पर मात्र औपचरिकता हो रही है | ऐसी स्थिति में ऋतुओ की स्वाभाविकता पर भी कुठाराघात स्वभावसिद्ध है| आवश्यकता इस बात की है कि प्राकृतिक संरक्षण के साथ वृक्षारोपण व उनकी शिशुवत पालन पोषण की नियमित व्यवस्था होनी चाहिए | वृक्षों और वनस्पतियों के प्रति संवेदना और संरक्षण की भावना तथा द्युलोक को

पिता और पृथ्वी को माता मानने वाले वैदिक घोष पर्यावरण चेतना को एक मानवीय तथा भावनात्मक भित्ति प्रदान करते हैं |

"द्यौर्मे पिता जनितानाभिरत्र बंधुर्मे माता महीयम" [7] (ऋग्वेद 1/164/33)
"माताभूमि: पुत्रोऽहं पृथिव्याः" [8] (अथर्ववेद, 12/1/12)

उपयोगी वृक्षों को सामूहिक व स्वतंत्र रूप से आरोपित किया जाए जिससे स्वस्थ वातावरण की चतुर्दिक स्थापना संभव हो सके |

यज्ञ संपादन –

यज्ञ वैदिक शिक्षा प्रणाली का केंद्र था | इसके माध्यम से शिक्षार्थियों को आत्म समर्पण एवं त्याग की शिक्षा दी जाती थी तथा धर्म के विविध प्रकारों, पञ्चमहायज्ञों से मनुष्यों को अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सजग बनाया जाता था | यज्ञ व्यक्ति को क्रमश: धर्म के सोपानों पर अग्रसर करते थे तथा धर्म के द्वारा वह ब्रह्म साक्षात्कार तक पहुँच सकता था | इस प्रकार यज्ञ के द्वारा शिक्षार्थी अपने हृदय में ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करने की प्रेरणा लेता था | यज्ञ की यह स्थूल अग्नि मानो उस विराट ब्रह्मांडीय अग्नि की प्रतीक है जिसका वर्णन ऋग्वेद पुरुषसूक्त में किया गया है | वैदिक विद्वानों का विश्वास था कि यज्ञ करने वाला सदा उन्नत रहता है –

"उर्ध्व ऊषुणो अध्वरस्य होतरग्नेतिष्ठ देवताता यजीयान" [9] (ऋग्वेद ४/६/१)

वर्तमान में इस याज्ञिक प्रक्रिया के विधिपूर्वक संपादन से समस्त वायुमंडल में व्याप्त प्रदूषण का परिशोधन करके तथा उसमे निहित धार्मिक भावना के द्वारा पूर्वसंचित नैसर्गिक गुणों के परिशीलन की शिक्षा प्रदान करता है | यही कारण है कि यज्ञ वैदिक शिक्षा प्रणाली का प्रमुख साधन रहा है |

वैदिक ज्ञान के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना –

"यदिहास्ति तद्वान्यत्र यन्नोहास्तिन तद्क्वाचित् |"

इस महावाक्य द्वारा यह सिद्ध होता है कि वैदिक वाड्न्मय में जो कुछ है वह अत्यधिक समृद्धिशाली साहित्य से परिपूर्ण है उसकी प्रत्येक ऋचा का प्रत्येक वर्ण मानव जीवन में अमृत्व का दिग्दर्शन कराता है | आज मानव समाज में उसके प्रचार प्रसार व संरक्षण के साथ सूक्ष्म चिंतन की नितांत अपेक्षा है जो वैदिक संहिताओ के संरक्षण द्वारा संभव है | वेद में व्यक्ति को समाज के योग्य बनाना ही शिक्षा का केंद्र माना गया,अतः सर्वत्र – **" कृण्वन्तो विश्वमार्यम"** [10] (ऋग्वेद 3/63/5)

तथा **" पुमान् पुमांसं परिपातु विश्वतः"** [11] (यजुर्वेद 29/51)

जैसे आदर्श सामने रखे गए| इससे अधिक सार्वभौम, सार्वकालिक और मानवतावादी शिक्षाप्रद सन्देश और कही मिलने दुर्लभ है | मनुष्यमात्र के प्रति सौहार्द और सद्भाव सिखाना वैदिक ज्ञान का प्रधान लक्ष्य रहा है |

" तत्कृण्मोब्रह्मा वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्य:" [12] (अथर्ववेद 3/30/4)

निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि आज की उपयोगितावादी शिक्षा को जीवन के समग्र विकास की दृष्टि से आवश्यक है कि उसमे जीवन मूल्यों की शिक्षा, मानवीय संबंधो की शिक्षा तथा सर्वोपरि सिद्धांत और व्यवहार के समन्वय की शिक्षा भी समाविष्ट की जाये | सम्प्रति पाश्चात्य संस्कृति के चाक-चक्य से चमत्कृत होकर हम वैदिक वाड्न्मय को संरक्षण प्रदान करने के निमित्त प्राचीन गुरुकुल पद्धति के आश्रम व्यवस्था की पवित्रता, सात्विकता, नैतिकता, तथा चारित्रिक उच्चता को अधिगत करते हुए सनातन परम्परा की ओर उन्मुख होकर ही वास्तव में वैदिक वाड्न्मय का संरक्षण करने में पूर्णतः सफलता प्राप्त कर सकते हैं |

"किमधिकं विज्ञेषु" ||

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 4 | ISSN : 2582-0095

महाकवि भास के रामायणाश्रित रूपकों में काव्यशास्त्रगतौचित्य विमर्श

अपर्णेश कुमार शुक्ल
शोधच्छात्र
संस्कृत विभाग
नेहरू महाविद्यालय ललितपुर
सम्बद्ध–बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय
झाँसी

शोध आलेख सार – संस्कृत साहित्य में प्राचीनकाल से ही काव्य का एक सर्वमान्य एवं सर्वथा निर्दुष्ट लक्षण निर्धारण हेतु आचार्यों ने प्रयास किया है। काव्य–प्रयोजन, काव्य–हेतु इत्यादि विषयों पर भी विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। काव्य समीक्षा की दृष्टि से रस, रीति, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति एवं औचित्य ये छः सम्प्रदाय महत्वपूर्ण माने गये हैं। सहृदयों के हृदय में प्रसुप्त शोक नामक स्थायी भाव को जागृत कर करुण रस को सर्वतोभावेन निष्पन्न कर रहा है।

मुख्य शब्द – संस्कृत, साहित्य, औचित्य, गद्य, पद्य, नाटक, महाकाव्य, खण्डकाव्य, चम्पूकाव्य, काव्यशास्त्र, साहित्यशास्त्र, अलंकारशास्त्र।

काव्य की परिधि में गद्य, पद्य, नाटक, महाकाव्य, खण्डकाव्य, चम्पूकाव्य आदि समस्त हृदयवर्जक रचनायें समाहित होती हैं, इनकी समीक्षा, विवेचना अथवा समालोचना पद्धति को ही काव्यशास्त्र, साहित्यशास्त्र, अलंकारशास्त्र अथवा आलोचनाशास्त्र के नाम से जाना जाता है। रमणीय कृतियों का गुण, अलंकार, रस, छन्द, रीति एवं ध्वनि आदि तत्त्वों की दृष्टि से अध्ययन, अनुशीलन एवं विवेचन ही काव्यशास्त्र का विषय है।

संस्कृत साहित्य में प्राचीनकाल से ही काव्य का एक सर्वमान्य एवं सर्वथा निर्दुष्ट लक्षण निर्धारण हेतु आचार्यों ने प्रयास किया है। काव्य–प्रयोजन, काव्य–हेतु इत्यादि विषयों पर भी विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। काव्य समीक्षा की दृष्टि से रस, रीति, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति एवं औचित्य ये छः सम्प्रदाय महत्वपूर्ण माने गये हैं। इन विषयों पर मतभेद होते हुए भी प्रायः सभी आचार्य रस, गुण अलंकर, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति तथा औचित्य का महत्व स्वीकार करते हुए इन्हें काव्यशास्त्र का उपकारक मानते है।

आचार्य क्षेमेन्द्र द्वारा निरूपित औचित्य के सत्ताईस भेदों[1] में गुण, अलंकार एवं रसगत औचित्य काव्यशास्त्र–सम्बद्ध औचित्य के अन्तर्गत परिगणित है। प्रस्तुत लेख में महाकवि भास विरचित रामायणाश्रित रूपकों का गुणौचित्य, अलंकारौचित्य, एवं रसौचित्य की दृष्टि से निदर्शन स्वरूप सोदाहरण एवं ससमन्वय विवेचन प्रस्तुत है।

गुणौचित्य–

आचार्य क्षेमेन्द्र ने गुणौचित्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है कि–

प्रस्तुतार्थोचितः काव्ये भव्यः सौभाग्यवान्गुणः।
स्यन्दतीन्दुरिवानन्दंसंभोगावसरोदितः।।[2]

प्रस्तुत अर्थ के अनुरूप ही ओज, प्रसाद आदि गुण काव्य में सुन्दर तथा अपने अर्थ प्रतिपादन रूप कर्तव्य में निपुण होते हैं और वे उसी तरह आनन्ददायक होते हैं जैसे कान्तासंगम के समय नवोदित चन्द्रमा।

उदाहरण–

हारो जलार्द्रवसनं नलिनीदलानि
प्रालेयशीकरमुचस्तुहिनांशुभासः।
यस्येन्धनानि सरसानि च चन्दनानि
निर्वाणमेष्यति कथं स मनोभवाग्निः।।[3]

पुष्प अथवा मुक्ता की माला, भीगा वस्त्र, कमलिनी के पत्ते, बर्फ की बूँदों को टपकाने वाले चन्द्रमा की किरणें तथा सरस चन्दनद्रव आदि जिस (कामाग्नि) के लिए ईंधन का काम कर रहे हैं, वह कामाग्नि भला कैसे बुझ सकती है।

यहाँ विरहविधुरा कादम्बरी की विरहव्यथा का वर्णन सौकुमार्य आदि समुचित गुणों के सहयोग से अत्यन्त औचित्यपूर्ण प्रतीत हो रहा है।

महाकवि भास ने अवसरानुकूल प्रायः सभी गुणों का प्रयोग किया है। **अभिषेक नाटक** में वीर एवं करुण का प्राधान्य होने से ओजगुण का बाहुल्य है। एक उदाहरण–

एते पादपशैलभग्नशिरसो मुष्टिप्रहारैर्हता,
क्रुध्दैर्वानरयूथपैरतिबलैरूत्पुच्छकर्णैर्वृताः।
कण्ठग्राहविवृत्ततुङ्गनयनैर्दंष्ट्रोष्ठतीव्रैर्मुखैः
शैला वज्रहता इवाशु समरे रक्षोगणाः पातिताः।।[4]

ये वृक्षों तथा पर्वतों द्वारा फोड़े गये शिरों वाले, मुष्टिकाप्रहार द्वारा मारे गये, क्रोधित तथा महाबलशाली और पूँछ तथा कान के ऊपर किए हुए वानर–गण के नेताओं द्वारा घिरे हुए, गला दबा देने से उल्टी तथा बाहर निकली हुई आँखों वाले तथा दाँतों से कटे हुए ओठ के कारण भयंकर मुख वाले राक्षसों का समूह (इन्द्र द्वारा) वज्र से मारे गये पर्वत के समान युद्ध में शीघ्र (मार कर) गिरा दिये गये हैं।

महाकवि भास ने राम–रावण के युद्ध का वर्णन षष्ठ अंक के प्रारम्भ में तीन विद्याधरों से करवाया है। उपर्युक्त श्लोक में द्वितीय विद्याधर द्वारा युद्धभूमि में घायल वानरों एवं मृत राक्षसों का वर्णन ओजपूर्ण शैली में किया गया है। विषयानुकूल वीर रस, दीर्घ समास, परुष वर्ण, ऊपर–नीचे रेफ से युक्त ओजगुण युद्ध की भीषणता को और अधिक बढ़ा रहे हैं।

इसी प्रकार **प्रतिमानाटक** में लक्ष्मण ओजपूर्ण गर्जना करते हुए कहते हैं कि–

यदि न सहसे राज्ञो मोहं धनुः स्पृश मा दया
स्वजननिभृतः सर्वोऽप्येवं मृदुः परिभूयते।
अथ न रूचितं मुञ्च त्वं मामहं कृतनिश्चयो।
युवतिरहितं लोकं कर्तुं यतश्छलिता वयम्।।[5]

यदि महाराज का इस प्रकार मूर्च्छित होना आपकी सहनशीलता के बाहर है तो इस कारण का प्रतिकार करने के लिए धनुष उठाइये, उस पर दया किस लिये? स्वजनों के विषय में चुप रह कर सहन करने वाला तथा कोमल स्वभाववाला पुरुष इसी प्रकार तिरस्कृत होता है। किन्तु यदि आप स्वयं प्रतीकार नहीं करना चाहते तो मुझे

आज्ञा दीजिये। मैंने इस लोक को युवतियों से शून्य करने का निश्चय कर लिया है, क्योंकि युवती के कारण ही हम लोग आज छले जा रहे हैं।

कञ्चुकी के मुख से महाराज दशरथ के मूर्च्छित होने का समाचार सुनकर यह लक्ष्मण का श्रीराम के प्रति कथन है। यहाँ उद्धत पराक्रमी योद्धा लक्ष्मण का वक्तव्य उनके तेजस्वी प्रताप के अनुरूप ओज गुण से परिपूर्ण है।

अलंकारौचित्य–

अलंकारौचित्य को स्पष्ट करते हुए क्षेमेन्द्र कहते हैं–

अर्थौचित्यवता सूक्तिरलंकारेण शोभते।
पीनस्तनस्थितेनेव हारेण हरिणेक्षणा।।[6]

स्थूल एवं उन्नत पयोधरों के मध्य स्थित हार से मृगनयनी की जैसी शोभा होती है वैसी ही शोभा से अर्थगत औचित्य से संवलित अलंकार से कवि के सुन्दर वचन सुशोभित होते हैं।

वत्सराज उदयन की कामदेव के साथ की गयी तुलना श्रृंगार रस के अनुरूप होने के कारण सहृदयों के हृदय को चमत्कृत करते हुए अलंकारौचित्य को प्रकट करते हुए उदाहरण के रूप में क्षेमेन्द्र प्रस्तुत करते हैं कि–

विश्रान्तविग्रहकथो रतिमाञ्जनस्य
चित्ते वसन् प्रियवसन्तक एव साक्षात्।
पर्युत्सुको निजमहोत्सवदर्शनाय
वत्सेश्वर कुसुमचाप इवाभ्युपैति।।[7]

महाकवि भास के रामायणाश्रित रूपकों में अलंकारौचित्य का सौन्दर्य भी सर्वथा दर्शनीय है। **अभिषेक नाटक** के चतुर्थ अंक में–

सजलजलदसन्निभप्रकाशः
कनकमयामलभूषणोज्ज्वलाङ्गः।
अभिपतति कुतो न राक्षसोऽसौ
शलभ इवाशु हुताशनं प्रवेष्टुम्।।[8]

जलपूर्ण मेघ के समान कान्तिवाला तथा स्वर्णाभूषणों से भूषित यह राक्षस आकाश से क्यों उतर रहा है? यह राक्षस तो आग में प्रवेश करने को उद्यत शलभ के सदृश मालूम पड़ता है।

अलंकारौचित्य के उदाहरण तो **प्रतिमानाटक** में प्रति पग पर दृष्टिगोचर होते हैं। इनकी उपमाओं का उत्स जीवन के अत्यन्त निकट है। रामवनगमन का प्रस्तुत चित्र दर्शनीय है–

"सूर्य इव गतो रामः, सूर्य दिवस इव लक्ष्मणोऽनुगतः।
सूर्यदिवसावसाने छायेव न दृश्यते सीता।।[9]

अर्थात् सूर्य के समान राम चले गये। सूर्यानुगामी दिन की तरह लक्ष्मण भी अदृश्य हो गये। सूर्य और दिन के अन्तर्निहित होने पर छाया के समान सीता भी नहीं दिखाई पड़ती हैं।

इन समस्त उपमाओं में औचित्य का जो पुट स्फुरित हो रहा है, उसकी चारुता, मनोहरता, रमणीयता एवं चित्ताकर्षकता सहृदयजनसंवेद्य हैं।

रसौचित्य–

रसौचित्य के स्पष्ट करते हुए क्षेमेन्द्र कहते हैं कि–

कुर्वन्सर्वाशये व्याप्तिमौचित्यरूचिरो रसः।
मधुमास इवाशोकं करोत्यङ्कुरितं मनः।।[10]

अर्थात् सभी सहृदयों के हृदय में अपनी व्यापकता को बनाता हुआ, औचित्य के कारण मनोहर श्रृंगार आदि रस मन को उसी तरह विकसित कर देता है जैसे वसन्त ऋतु अशोक को प्रफुल्लित कर देता है। रसौचित्य को स्पष्ट करते हुए आचार्य क्षेमेन्द्र ने श्रीहर्ष विरचित रत्नावली का एक पद्य उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया है–

उद्दामोत्कलिकां विपाण्डुररुचं प्रारब्धजृम्भां क्षणा–
दायासं श्वसनोद्गमैरविरलैरातन्वतीमात्मनः।
अद्योद्यानलतामिमां समदनां नारीमिवान्यां ध्रुवं
पश्यन्कोपविपाटलद्युति मुखं देव्याः करिष्याम्यहम्।।[11]

क्षण भर में ही पर्याप्त कलियों से आच्छादित, विकसित होने वाली, श्वेतकान्ति वाली, निरन्तर हवा के झकोरों से हिलने के कारण अपनी दुर्बलता प्रकट करती हुई, मदन नामक वृक्ष से लिपटी हुई उद्यान की उस लता की कामवेग के कारण रोमांचित, जम्भाई लेने वाली, सफेद शरीर की कान्तिवाली, निरन्तर उच्छवासों से अपनी व्यथा को व्यक्त करती हुई किसी अन्य स्त्री के समान देखता हुआ मैं आज निश्चय ही महारानी के मुख को कोप के कारण किचिंत् लाल वर्ण का कर दूँगा।

उपर्युक्त श्लोक में वासवदत्ता में दिखाई पड़ने वाले ईर्ष्या विप्रलम्भ रूप श्रृंगार रस की, मनोहर कामिनी से समानता के कारण नवीन मालिका नामक लता में विरह दशा का आरोप होने से रसौचित्य स्वतः स्पष्ट है।

महाकवि भास के रामायणाश्रित रूपक **अभिषेक नाटक** में वियोग श्रृंगार के रसौचित्य का भाव स्पष्ट है कि–

अनशनपरितप्तं पाण्डु स क्षामवक्त्रं
तव वरगुणचिन्तावीतलावण्यलीलम्।
वहति विगतधैर्यं हीयमानं शरीरं
मनसिजशरदग्धं बाष्पपर्याकुलाक्षम्।.।12

वे राम अनाहार के कारण सन्तप, पीत वर्ण वाले, सूखे मुख वाले, आपके श्रेष्ठ गुणों का चिन्तन करने के कारण सौन्दर्य और विलास से रहित, कामदेव के बाणों से जले हुए धैर्य–रहित, अश्रुपूर्ण आँखों वाले दुर्बल शरीर को धारण कर रहे हैं।

यहाँ पर श्रीराम का कान्तिहीन वदन तथा अनङ्ग के बाणों से जलाये जाना आदि सहृदयों के हृदय में भी विरहजन्य वेदना का समुत्पादक होने के कारण रसौचित्य की कसौटी पर उपयुक्त प्रतीत होता है।

इसी प्रकार **प्रतिमानाटक** में रामवनगमन के पश्चात् अयोध्या के दृश्य में करुण रसाभिव्यक्त के रूप में कञ्चुकी कहता है कि–

नागेन्द्रा यवसाभिलाषविमुखाः सास्रेक्षणा वाजिनो
ह्रेषाशून्यमुखाः सवृध्दवनिताबालाश्च पौरा जनाः।
त्यक्ताहारकथाः सुदीनवनदनाः क्रन्दन्त उच्चैर्दिशा
रामो याति यया सदारसहजस्तामेव पश्यन्त्यमी।।[13]

हाथियों ने घास खाना तो दूर उसकी अभिलाषा भी त्याग दी। घोड़ों की आँखे आँसू से डबडबा रही है, जिससे उन्होंने हिनहिनाना छोड़ दिया है। नगरवासी बूढ़े, जवान, औरत और बच्चे तक भी भोजन भूल गये हैं, जिससे सभी के चेहरे उतर गये हैं। सभी जोर–जोर से चिल्ला कर विलाप कर रहे हैं। अधिक क्या कहें ये सभी लक्ष्मण और सीता के साथ राम जिस ओर गये हैं, उधर ही आँखे लगाये देख रहे हैं।

उपर्युक्त स्थिति में सहृदयों के हृदय में प्रसुप्त शोक नामक स्थायी भाव को जागृत कर करुण रस को सर्वतोभावेन निष्पन्न कर रहा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. पदे वाक्ये प्रबन्धार्थे गुणेऽलंकरणे रसे।
   क्रियायां कारके लिङ्गे वचने च विशेषणे।
   उपसर्गे निपाते च काले देशे कुले व्रते।
   तत्त्वे सत्त्वेऽप्यभिप्राये स्वभावे सारसङ्ग्रहे।।
   प्रतिभायामवस्थायां विचारे नाम्न्यथाशिषि।
   काव्यस्याङ्गेषु च प्राहुरौचित्यं व्यापि जीवितम्।। औचित्यविचारचर्चा–8–10
2. औचित्यविचारचर्चा–14
3. औचित्यविचारचर्चा–14 का उदाहरण
4. अभिषेकनाटक–6–3
5. प्रतिमानाटक–1–18
6. औचित्यविचारचर्चा–15
7. औचित्यविचारचर्चा–15 का उदाहरण
8. अभिषेक नाटक–4–5
9. प्रतिमानाटक–2–7
10. औचित्यविचारचर्चा––16
11. औचित्यविचारचर्चा 16 का उदाहरण
12. अभिषेकनाटक–2–21
13. प्रतिमानाटक–2–2

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 4 | ISSN : 2582-0095

न्यायदर्शन में सिद्धान्त : एक समीक्षा

सन्दीप कुमार मिश्र
शोधच्छात्र
संस्कृत विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

शोध आलेख सार – न्याय के पूर्व तथा उत्तर अंग संशय तथा प्रयोजन दो पदार्थों के वर्णन के पश्चात् न्याय के आधार सिद्धान्त नामक षष्ठ पदार्थ का वर्णन करते हैं। सिद्धान्त विषयक सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार वात्स्यायन, जिनका दूसरा नाम 'पक्षिलस्वामी' भी प्राप्त होता है, कहते हैं कि– ''यह ऐसा ही है' इस प्रकार से स्वीकार किये जाने वाले अर्थ (विषय) के समुदाय को 'सिद्ध' कहते हैं।

मुख्य शब्द – न्याय, संशय, प्रयोजन, पक्षिलस्वामी, वात्स्यायन, न्यायसूत्र।

महर्षि गौतम अपने न्यायसूत्र के प्रथम सूत्र में न्यायाभिमत ''षोडश पदार्थों के तत्त्वज्ञान से निःश्रेयस (मोक्ष) प्राप्ति को स्वीकार करते हैं।[1] इन षोडश पदार्थों में प्रथम पदार्थ के रूप में महर्षि गौतम ''प्रमाण'' का नामोल्लेख सर्वप्रथम करते हैं। इसका कारण यह है कि प्रमाण के द्वारा ही अन्य पदार्थों का सम्यक ज्ञान हो सकता है। प्रमाण के अतिरिक्त अन्य जितने भी पदार्थ हैं, सामान्यतः उन्हें प्रमेय नाम से अभिहित किया जाता है, क्योंकि प्रमाणों के द्वारा जिसका ज्ञान कराया जाय वही प्रमेय होता है।[2] वैसे तो 'न्यायसूत्र' में ''प्रमेय को अलग पदार्थ के रूप में उल्लिखित किया गया है, जिसकी संख्या 12 (बारह) है।''[3]

न्याय के पूर्व तथा उत्तर अंग संशय तथा प्रयोजन दो पदार्थों के वर्णन के पश्चात् न्याय के आधार सिद्धान्त नामक षष्ठ पदार्थ का वर्णन करते हैं। सिद्धान्त विषयक सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार वात्स्यायन, जिनका दूसरा नाम 'पक्षिलस्वामी' भी प्राप्त होता है, कहते हैं कि– ''यह ऐसा ही है' इस प्रकार से स्वीकार किये जाने वाले अर्थ (विषय) के समुदाय को 'सिद्ध' कहते हैं। उस सिद्ध विषय की संस्थिति (अच्छी व्यवस्था) 'सिद्धान्त' कहलाती है। संस्थिति से तात्पर्य है, 'ऐसा ही होना चाहिए' इस तरह की व्यवस्था, अर्थात् इस प्रकार निश्चय। यही धर्मों का नियम भी है। अर्थात् धर्मनियम भी वही है।''[4] न्यायसूत्रकार महर्षि गौतम सिद्धान्त के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि– ''तन्त्र ही है अधिकरण (आश्रय) जिन अर्थों का, उनके अभ्युपगमसंस्थिति' अर्थात् धर्मनियमरूप 'इत्थंभावव्यवस्था' अर्थात् यह ऐसा ही है ऐसी व्यवस्था सिद्धान्त कहलाती है।''[5] इसमें 'तन्त्र' शब्द से कहे जाते हैं', प्रमेय पदार्थ। तन्त्र का अर्थ होता है प्रमाण। वह प्रमाण

जिन प्रमेयपदार्थों का ज्ञापक (जानने वाला) है, ऐसे प्रमेयपदार्थों की इत्थंभावव्यवस्था को सिद्धान्त कहते हैं। न्यायभाष्य के अनुर सिद्धान्त वह है जो 'यह' है इस रूप में स्वीकार कर लिया जाता है।[6]

आचार्य वरदराज सिद्धान्त को बताते हुए कहते हैं कि– ''जो अर्थ प्रामाणिक रूप से सिद्ध हो उसे सिद्धान्त कहा जाता है।''[7] इसी प्रकार का आशय प्रकट करते हुए आचार्य केशव मिश्र भी कहते हैं कि– ''जिस मन्तव्य को प्रामाणिक रूप में मान लिया जाता है, वह सिद्धान्त है।''[8]

सिद्धान्त के प्रकार को स्पष्ट करते हुए महर्षि गौतम कहते हैं कि वह सिद्धान्त नामक पदार्थ चार ही प्रकार का होता है।''[9] इसी प्रकार तार्किकरक्षाकार आचार्य वरदराज भी सिद्धान्त के भेद को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ''सिद्धान्त के चार भेद होते हैं।''[10] इसी प्रकार आचार्य ''केशव मिश्र भी सिद्धान्त के चार ही प्रकार मानते हैं।''[11] सिद्धान्त के जो चार प्रकार भेद आचार्यों के द्वारा स्वीकार किये गये हैं, उनके नाम इस प्रकार है–

1. सर्वतन्त्र. सिद्धान्त।
2. प्रतितन्त्र सिद्धान्त।
3. अधिकरण सिद्धान्त।
4. अभ्युपगम सिद्धान्त।

इन चार प्रकार के सिद्धान्तों में से प्रथम सर्वतन्त्रसिद्धान्त का स्वरूप बताते हुए न्यायसूत्रकार महर्षि गौतम कहते हैं कि– ''जिस अर्थ (विषय) का किसी भी शास्त्र में विरोध न हो अर्थात् सम्पूर्ण शास्त्रों का अभिमत हो एवम् अपने शास्त्र में जिसका प्रतिपादन किया गया हो, ऐसे अर्थ (विषय) की 'इत्थंभावव्यवस्था' को 'सर्वतन्त्र सिद्धान्त' कहते हैं।[12]

भाष्यकार वात्स्यायन इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि– जैसे– ''घ्राण, रसना, चक्षु आदि इन्द्रिय हैं तथा गन्ध, रस, रूप आदि इन्द्रियों के विषय हैं, पृथिवी, जल, इत्यादि भूत द्रव्य हैं तथा 'प्रमाणों से प्रमेय पदार्थ का ग्रहण होता है'– ये सिद्धान्त सभी शास्त्रों में समानतया गृहीत हैं, अतः इन्हें 'सर्वतन्त्रसिद्धान्त' कहा जाता है।''[13]

तार्किकरक्षाकार आचार्य वरदराज इस सर्वतन्त्र सिद्धान्त के स्वरूप को बताते हुए कहते हैं– ''सभी तन्त्रों के विरुद्ध न जाने वाला, जो पदार्थ अपने शास्त्र में सिद्ध हो, उसे सर्वतन्त्र सिद्धान्त कहते हैं।''[14] जैसे– प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि। इसी प्रकार इस सिद्धान्त के विषय में कहा गया है कि ''यह सिद्धान्त सभी शास्त्रों से अनुमत तथा स्वशास्त्र में भी सिद्ध है।''[15] इसी प्रकार इसे अन्य उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हुए आचार्य कहते हैं कि जैसे घ्राण आदि इन्द्रियाँ हैं, गन्ध आदि इन्द्रियों के विषय हैं, यह मानने में किसी शास्त्र का विरोध नहीं है तथा इसकी न्यायशास्त्र में भी स्वीकृति है, अतः यह सर्वतन्त्र सिद्धान्त है। नव्यमत में तो वादी प्रतिवादी दोनों के द्वारा स्वीकृत कथा के अनुकूल मन्तव्य ही सर्वतन्त्र सिद्धान्त हैं।

तर्कभाषाकार आचार्य केशवमिश्र इसे बताते हुए कहते हैं कि– ''सर्वतन्त्र सिद्धान्त वह है, जिसमें केवल धर्मी की सत्ता की स्वीकृति हो।''[16] तात्पर्य यह है कि शब्द आदि धर्मी की सत्ता सभी किसी न किसी रूप में

स्वीकार करते हैं, उसके नित्यता, अनित्यता आदि धर्मों के विषय में विवाद हो सकता है। अतः धर्मी की स्वीकृति सर्वतन्त्र सिद्धान्त है।

सिद्धान्त के दूसरे प्रकार 'प्रतितन्त्र' सिद्धान्त का लक्षण करते हुए महर्षि गौतम कहते हैं कि –''समान (स्वमतानुयायी) शास्त्र में सिद्ध हो,परन्तु दूसरे शास्त्रों में सिद्ध न हो, तो ऐसे सिद्धान्त को प्रतितन्त्रसिद्धान्त कहते हैं।''[17] जैसे सांख्य तथा योग ये दोनों परस्पर समान शास्त्र हैं तथा न्याय एवं वैशेषिक शास्त्र में जिसकी सिद्धि है और सांख्ययोगरूप परशास्त्र में जिसकी सिद्धि नहीं है, ऐसे सिद्धान्त को 'प्रतितन्त्रसिद्धान्त' कहते हैं। इस प्रकार समान (स्वमतानुयायी) तन्त्र में स्वीकृत तथा विरोधी अन्य तन्त्र में अस्वीकृत अर्थ प्रतितन्त्र सिद्धान्त कहलाता है।

इसी प्रकार आचार्य वरदराज इसका लक्षण करते हुए कहते हैं कि ''जो अर्थ अपने शास्त्र में सिद्ध हो, किन्तु अन्य शास्त्रों द्वारा निवारित हो उसे प्रतितन्त्र सिद्धान्त कहते हैं।''[18] इसी प्रकार आचार्य वरदराज अपनी व्याख्या में इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि –''जैसे सर्वत्र ईश्वर की प्रामाणिकता मानी जाती है, किन्तु अन्य शास्त्रों में इसका निषेध किया गया है। अतः नैयायिकों के लिए यह प्रतितन्त्र सिद्धान्त है।''[19]

तर्कभाषाकार आचार्य केशवमिश्र से एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि –''जैसे नैयायिक के मत में मन का इन्द्रिय होना क्योंकि यह समानतन्त्र वैशेषिक में असिद्ध है।''[20] तात्पर्य यह है कि –'जिस सिद्धान्त को एक शास्त्र (समान=एक) स्वीकार करता है और दूसरा उसका विरोध करता है, वह प्रतितन्त्र सिद्धान्त है। जैसे मीमांसक का शब्द–नित्यत्व का मन्तव्य तर्कभाषाकार ने यहाँ न्यायभाष्य का अनुसरण किया है। न्यायशास्त्र में मन की इन्द्रियों में गणना नहीं की गयी, वेदान्त आदि भी मन को इन्द्रिय नहीं मानते (परतन्त्रासिद्ध) तथापि वैशेषिक शास्त्र जो न्याय का समानतन्त्र है, उसमें मन को इन्द्रिय कहा गया है अतः न्यायशास्त्र में मन का इन्द्रियत्व प्रतितन्त्र सिद्धान्त है।

क्रमप्राप्त तृतीय अधिकरणसिद्धान्त का लक्षण करते हुए न्यायसूत्रकार कहते हैं कि –''जिस विषय की सिद्धि होने पर, उससे सम्बद्ध दूसरे अर्थ (विषय) के प्रकरण की सिद्धि स्वतः हो जाय, वह 'अधिकरणसिद्धान्त' कहलाता है।''[21] भाष्यकार वात्स्यायन इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ''जिस अर्थ (विषय) की सिद्धि होने में दूसरे अर्थ (विषय) सम्बद्ध होते हैं, अर्थात् उस सम्बद्ध अर्थों के विना वह (प्रस्तुत) अर्थ सिद्ध नहीं होता, वे सम्बद्ध अर्थ जिस प्रस्तुत अर्थ को आश्रय लेंते हैं, वह 'अधिकरणसिद्धान्त' कहलाता है।''[22] जैसे– शरीर, इन्द्रियादिकों से भिन्न, जाननेवाला एक नित्य तथा व्यापक जीवात्मा है, दर्शन तथा स्पर्शन दोनों इन्द्रियों से सब अर्थ के ग्रहण होने से अर्थात् जिसे मैंने पूर्वकाल में देखा था, वही मैं स्पर्श कर रहा हूँ। इस प्रकार देखना तथा स्पर्श करना इन दोनों का कोई एक कर्त्ता है।

आचार्य वरदराज इसके स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि –''जिसकी सिद्धि होने पर अन्य प्रकरण की सिद्धि हो जाती है, उसे अधिकरण सिद्धान्त कहा जाता है।''[23] जैसे पृथिवी आदि के कर्त्ता (ईश्वर) की सिद्धि हो जाने पर उस कर्त्ता की सर्वज्ञता आदि सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि जो सर्वज्ञ है, वही पृथिवी आदि

का कर्त्ता हो सकता है। ''तर्कभाषाकार आचार्य केशव मिश्र भी तार्किकरक्षा के उदाहरण से ही अधिकरण सिद्धान्त को स्पष्ट करते हैं।''[24]

सिद्धान्त के अन्तिम भेद 'अभ्युपगमसिद्धान्त' का लक्षण करते हुए न्यायसूत्रकार कहते हैं कि –''जो अर्थ सूत्रों में परीक्षित न हो अर्थात् न कहा गया हो, परन्तु शास्त्र में मिलता हो अर्थात् शास्त्र में सामान्यरूप से माना गया हो, उसके विशेष की परीक्षा करना (उसका विशेष परीक्षण करना) 'अभ्युपगम सिद्धान्त' कहलाता है।''[25] न्यायभाष्यकार 'वात्स्यायन' इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि –''कोई ऐसा अर्थसमूह जो अपरीक्षित (सूत्र में न कहा गया हो या जिसकी सम्यक् परीक्षा न की गयी) हो, परन्तु शास्त्र में मिल जाय तो उसकी विशेष परीक्षा ही 'अभ्युपगमसिद्धान्त' कहलाती है।''[26] जैसे शब्द द्रव्य है, वह नित्य है या अनित्य'। यहाँ शब्द की द्रव्यत्वपरीक्षा तथा द्रव्य होने पर उसकी नित्यता या अनित्यता की यह विशिष्ट सूक्ष्म परीक्षा ही 'अभ्युपगमसिद्धान्त' है। 'अभ्युपगमसिद्धान्त' का उपयोग अपनी बुद्धि व उत्कृष्टता दिखलाने तथा प्रतिपक्षी की बुद्धि की अपकृष्टता के लिए किया जाता है।

'तार्किकरक्षा' में अभ्युपगम सिद्धान्त का लक्षण इस प्रकार निरूपित किया गया है– ''जो दूसरे शास्त्र में सिद्ध हो और अपने शास्त्र में भी स्वीकृत किया गया हो उसे अभ्युपगम सिद्धान्त कहा जाता है।'[27] जैसे वैशेषिक दर्शन में मन का इन्द्रियत्व सिद्ध है और न्याय ने भी उसको स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार अभ्युपगम सिद्धान्त का एक और लक्षण भी तार्किकरक्षाकार ने दिया है, जो इस प्रकार है– ''अन्य शास्त्र से किसी पदार्थ की सत्ता सिद्ध होने पर उसका विशेष रूप से परीक्षण करना अभ्युपगम सिद्धान्त है।''[28] जैसे काणाद शास्त्र प्रतिपादित मन की सिद्धि होने पर न्याय में मन का इन्द्रियत्व प्रतिपादन। अतएव कहा है–

''परतन्त्रोक्तः स्वतन्त्रे च निषिद्धार्थोऽभ्युपगम सिद्धान्त इत्याचार्या'।''

तर्कभाषाकार आचार्य केशवमिश्र ने भी न्यायसूत्र तथा न्यायभाष्य का ही अनुसरण किया है। अतः आचार्य अभ्युपगम सिद्धान्त को एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि –''न्याय तथा मीमांसा में शब्द की नित्यता, अनियत्यता के विषय में विवाद है। मीमांसक शब्द को द्रव्य मानता है, किन्तु परीक्षा करने के लिए मीमांसक विना प्रमाण के ही यह स्वीकार कर लेता है 'अच्छा' शब्द को गुण मान लिया''।[29] यह मीमांसक का 'अभ्युपगम सिद्धान्त' है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. ''प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्णयवादजल्पवितण्डा–हेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः।'' न्यायसूत्र 1/1/1
2. प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि।।–सांख्यकारिका (4)
3. आत्मशरीरेन्द्रियार्थबुद्धिमनःप्रवृत्तिदोषप्रेत्यभावफलदुःखापवर्गास्तु प्रमेयम्। न्यायसूत्र 1!1/9
4. अथ सिद्धान्तः। इदमित्यम्भूतञ्चेत्यभ्यनुज्ञायमानमर्थजातं सिद्धम् सिद्धस्य संस्थिति सिद्धान्तः। संस्थितिरित्थम्भावव्यवस्था–धर्मनियमः। वात्स्यायन भाष्य
5. तन्त्राधिकरणाभ्युपगमसंस्थितिः सिद्धान्तः। न्यायसूत्र 1/1/26
6. ''अस्त्ययमित्यनुज्ञायमानोऽर्थः सिद्धान्तः'' न्यायभाष्य (1/1/26) पर
7. ''अभ्युपेतः प्रमाणैः स्यादाभिमानिकसिद्धिभिः– तार्किकरक्षा 1/57
8. प्रामाणिकत्वेनाभ्युपगतोऽर्थः सिद्धान्तः– तर्कभाषा
9. 'स चतुर्विधः सर्वतन्त्रप्रतितन्त्राधिकरणाभ्युपगमसंस्थित्यर्थान्तरभावात्''– न्यायसूत्र 1/1/27
10. सिद्धान्त : सर्वतन्त्रादिभेदात् सोऽपि चतुर्विधः।। तार्किकरक्षा 1/58
11. स चतुर्धा सर्वतन्त्र–प्रतितन्त्र–अधिकरण–अभ्युपगम सिद्धान्तभेदात्। –तर्कभाषा।
12. सर्वतन्त्राविरुद्धस्तन्त्रेऽधिकृतोऽर्थः सर्वतन्त्रसिद्धान्तः।।–न्यायसूत्र 1/1/28
13. यथा–घ्राणादीनिन्द्रियाणि, गन्धादय इन्द्रियार्थाः, पृथिव्यादीनि भूतानि प्रमाणैरर्थस्य ग्रहणमिति।–न्यायभाष्यवात्स्यायन–(1/1/28)
14. सर्वतन्त्राऽविरुद्धोऽर्थः स्वतन्त्रेऽधिकृतश्च यः। स सर्वतन्त्रसिद्धान्तो यथा मानेन मेयधीः।।–तार्किकरक्षा 1/58 व 1/59
15. ''प्रमाणात्प्रमेयसिद्धिरित्येवं सर्वशास्त्रानुमतं स्वशास्त्रे चाभ्युपगमिति सर्वतन्त्रसिद्धान्तो भवतीति''– सारसंग्रह (पृष्ठ 181) ('तार्किकरक्षा' पर स्वयं वरदराजकृत सारसंग्रह नामक व्याख्या)
16. तत्र सर्वतन्त्रसिद्धान्तो यथा धर्मिमात्र सद्भावः।–तर्कभाषा
17. समानतन्त्र सिद्धः परतन्त्रासिद्धः प्रतितन्त्रसिद्धान्तः।–न्यायसूत्र 1/1/29
18. स्वतन्त्र एव सिद्धोऽर्थो परतन्त्रैर्निवारितः। प्रतितन्त्रो यथान्याये सर्वज्ञस्य प्रमाणता।।–तार्किकरक्षा 1/59, 60
19. ''ईश्वरः प्रमाणमिति योऽर्थः तन्त्रान्तरैर्निषिद्धः स्वशास्त्रे चाभ्युपगतो नैयायिकस्य प्रतितन्त्र सिद्धान्त इति।'' –सारसंग्रह (पृष्ठ 181)
20. नैयायिकस्य मते मनस इन्द्रित्वम्। तद्धि समानतन्त्रे वैशेषिके सिद्धम्।– तर्कभाषा पृ0 266
21. ''यत्सिद्धावन्यप्रकरणसिद्धिः सोऽधिकरणसिद्धान्तः''–न्याय सूत्र 1/1/30

22. यस्यार्थस्य सिद्धावन्येऽर्था अनुषज्यन्ते न तैर्विना सोऽर्थः सिध्यति, तेऽर्था यदधिष्ठानः सोऽधिकरणसिद्धान्तः।''–न्यायभाष्य (वात्स्ययायन)–1/1/30
23. अनुमेयस्य सिद्धयर्थो योऽनुषंगेण सिद्धयति। स स्यादाधार सिद्धान्तो जगत्कर्त्ता यथेश्वरः।।–तार्किकरक्षा 1/60
24. तृतीयो यथा क्षित्यादिकर्तुत्वसिद्धौ कर्त्तुःसर्वज्ञत्वम्''– तर्कभाषा पृ0 266
25. ''अपरीक्षिताभ्युपगमात् तद्विशेषपरीक्षणमभ्युपगमसिद्धान्तः। –न्यायसूत्र 4/31(1/1/31)
26. यत्र किञ्चिदर्थजातमपरीक्षितमभ्युपगम्यते सोऽभ्युपगमसिव्द्धान्तः।'' –न्यायभाष्य
27. साधितः परतन्त्रे यः स्वतन्त्रे च समाश्रितः। स ह्युपगमो न्याये मनसोऽनुमतिर्यथा।।–तार्किकरक्षा 1/61
28. तद्विशेषपरीक्षा वा सद्भावेऽन्यत्र साधिते। यथान्यत्र मनःसिद्धौ तस्याक्षत्व परीक्षणम्।।–तार्किकरक्षा 1/62
29. चतुर्थो यथा जैमिनीयस्य नित्यानित्यविचारो यथा भरतु, 'अस्तु तावच्छब्दो गुण' इति।–तर्कभाषा पृ0 266

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 4 | ISSN : 2582-0095

महाभारत में वर्णित राजधर्म की समकालीन समाज में उपादेयता

अमरजीत पाण्डेय'

'शोधार्थी, संस्कृत विभाग,

का0सु0 साकेत पी0जी0 कालेज, अयोध्या।

शोध आलेख सार – लोकत्रन्त्रात्मक व्यवस्था में शासन का स्वरूप विकेन्द्रित है। कभी–कभी यह केन्द्रित व्यवस्था की ओर भी अग्रे ित दिखता है। इस शासन में वोट की राजनीति करने वाले इसे संख्या वाद पर तौलते है। इस व्यवस्था के मूल तत्व को ही भूल जाते है आज जनहित के कार्य हो या न हो अपने हित के कार्य को महत्व दिया जाता है। इसलिए आज शान्तिपर्व के राजधर्म के अनुपालन की अत्यधिक आवश्यकता है।

मुख्य शब्द– लोकत्रन्त्रात्मक, राजनीति, शान्तिपर्व, राजधर्म, महाभारत।

सम्पूर्ण विश्व में भारतीय चिन्तन की अद्वितीय महत्ता स्वीकार्य है, न केवल धार्मिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक एवं सामाजिक क्षेत्र में ही अपितु राजनीतिक चिन्तन में भी भारतीय मनीषियों का योगदान अतुलनीय रहा है। भारतीय मनीषियों ने राजनीति के सम्बन्ध में गहन मनन–चिन्तन किया है, इन चिन्तकों ने राज्य के उद्देश्य, शासक के कर्तव्य लोक–कल्याण एवं राज्य की रक्षा, न्याय–विधि, विदेश–नीति के निर्धारण एवं विश्व–शान्ति आदि के सम्बन्ध में जो विचार दिये हैं, वह आज भी एक बड़ी सीमा तक उपादेय एवं सार्थक है।

प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिन्तन की ऐतिहासिकता के सन्दर्भ में विचार करने पर ज्ञात होता है कि वैदिक मंत्र संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रन्थों के कतिपय सन्दर्भित संकेतों के विवेचन से हमें ऋषियों के राजनीतिक दर्शन का परिज्ञान प्राप्त होता है, वेदांगों में प्रतिबन्धित राजनीतिक व्यवस्थायें उत्तम शासन संस्था एवं शासन पद्धति का अवबोध कराती हैं। कल्पसूत्र एवं गृह्य सूत्र विधायें, तो राज्य शासन एवं समाज के संचालन की संवैधानिक व्यवस्था ही प्रस्तुत करती हैं वास्तव में, धर्मसूत्र विधि संहिता की भांति राजनीतिक व्यवस्था करते हैं।

वैदिक साहित्य के पश्चात् लौकिक साहित्यों में अनेक काव्य विधाओं के अन्तर्गत राजनीतिक चिन्तन प्रस्तुत किये गये है जिनके विश्लेषण से तत्कालीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का सम्यक् रूप से परिचय

प्राप्त किया जा सकता है इसी कड़ी में आर्षकाव्य परम्परा का वृहत् काव्य **महाभारत** है जिसके रचनाकार कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी हैं इस अद्वितीय काव्य में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक मूल्यों के अलावा राजनैतिक मूल्यों एवं मानको का ऐसा समावेश है जो आज भी राजनीतिक चिन्तकों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है साथ ही राज व्यवस्थाकारों को आज भी दिशा प्रदान करता है।

सम्पूर्ण जगत में प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीन भारतीय विचारकों ने धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक एवं सामाजिक क्षेत्र से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयों पर चिंतन किया है, इन भारतीय विचारकों के विचार सहस्र वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक पथ–प्रदर्शक की भूमिका में हैं। इन्हीं प्राचीन भारतीय चिन्तकों में कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास कृति 'महाभारत' ग्रंथ अद्वितीय है। यह महाकाव्य भारतीय संस्कृति, सभ्यता एवं राज दर्शन के विश्वकोष के रूप में पूर्णतः समादृति है। अतः इसे 'पंचम वेद' की संज्ञा प्राप्त है।

मानव जगत का सर्वोच्च अभीप्सित आध्यात्मिक क्षेत्र हो, समाज जगत व्यावहारिक व सैद्धांतिक सामाजिक क्षेत्र हो, इतिवृत पर आधारित ऐतिहासिक क्षेत्र हो अथवा जन सामान्य के प्रत्यक्ष कल्याण एवं राजाओं को उनके कर्तव्य का मार्गदर्शक राजनीतिक क्षेत्र हो, प्रजा का राज्य के प्रति और राजा का प्रजा के प्रति कर्तव्य हो, आदि सभी विषयों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सभी सम्बन्धित तत्व समग्र 'महाभारत' ग्रंथ में यत्र–तत्र बिखरे पड़े हैं, इस संबंध में 'महाभारत' ग्रंथ में स्पष्ट उल्लेख है कि–

धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे न भरतर्षभ।

यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् क्वचित।।[1] आदि0 62/53

अर्थात् जिन–जिन विषयों का प्रतिपादन इसमें है वह अन्यत्र स्थानों पर भी है किन्तु जो इसमें प्रतिपादित नहीं है वह अन्यत्र कहीं नहीं है।

'महाभारत' मानव की जय यात्रा का निनाद करता है, देश को समग्र विधाओं के ऐतिहासिक सत्य का वास्तविक निदर्शन हमें इस महाकाव्य से प्राप्त होता है, कुछ विद्वानों का यह मत है कि 'महाभारत' को न जानने पर यर्थात् भारत को नहीं जाना जा सकता है। प्रोफेसर द्वारकादास हर्ष 'महाभारत' ग्रंथ के संदर्भ में अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि ''पारस्परिकता के आत्मीय विस्तार का नाम धर्म है, और पारस्परिकता के अनात्मीय संकुचन का नाम अधर्म है।''[2]

राजधर्म का आशय–

'राजधर्म' शब्द दो शब्दों के योग से बना है राज एवं धर्म। राजधर्म का शाब्दिक अर्थ है राजा का धर्म। राजधर्म में षष्ठी तत्पुरुष समास है जिसका अर्थ राज्ञः धर्म। 'धर्मः शब्दः इति कर्त्तव्यता वचनः' अर्थात् धर्म को हम कर्तव्य के रूप में लेते हैं। यद्यपि प्राचीन काल में आधुनिक शासन प्रणाली अर्थात् जनतंत्र का अभाव था। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का प्रचलन था जिसमें शासन तंत्र की प्रधानता राजा पर ही आश्रित थी। राजा ही संप्रभुता संपन्न था तथा शासन की समस्त शक्तियां राजा में ही समाहित थी। राजा का

आदेश ही कानून होता था राज्य के अन्य पदाधिकारी राजा के सहायक की भूमिका में होते थे, अर्थात् राज्य की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की शक्तियां राजा में सन्निहित थी तथा राजा ही राज्य के तीनों अंगों का अध्यक्ष होता था। राज्य की समस्त शक्तियां राजा में सन्निहित होने के बावजूद भी इसका अर्थ यह नहीं है कि राजा निरंकुश होता था। राजा को भी धर्म शास्त्र के नियमों विनियमों के अंतर्गत राज व्यवस्था का संचालन करना पड़ता था। राजा के स्वेच्छाचारी होने पर उसे पदच्युत भी किया जा सकता था अथवा मौत के घाट उतारा जाता था। इस प्रकार राजा का पद अति उत्तरदायित्व पूर्ण होता था तथा निरंकुशता का कोई भी स्थान नहीं था। राज्य का संचालन सुव्यवस्थित संचालित हो सके इसके लिए ही धर्मशास्त्र के अंतर्गत राजधर्म को भी समाविष्ट किया गया जो कालांतर में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बन गया। राजधर्म के सम्यक् अनुपालन से राजा को इहलोक और परलोक दोनों लोकों के लाभों की प्राप्ति होगी ऐसी मान्यता दृढ़ होने लगी।

राजधर्म किसे कहते हैं? राजधर्म का क्या आशय है? इसका अनुपालन कब सुनिश्चित होता है? इसका प्रत्यक्ष–परोक्ष प्रतिफल क्या है? आदि विषयों के बारे में अति विस्तार से महाभारत ग्रंथ की चर्चा की गई जो समकालीन समाज में राजशास्त्र अनुवर्तकों के लिए प्रेरणा का स्रोत एवं मार्गदर्शन का सिद्धांत प्रस्तुत करती है। महाभारत के शांति पर्व के अन्तर्गत युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से जिज्ञासा की है–

राज्ञां वै परमो धर्म इति धर्मविदो विदुः।

महान्मेतं भारं च मन्ये तद् ब्रूहि पार्थिव।।[3] शान्ति पर्व 56/2

अर्थात् हे पितामह धर्मज्ञ विद्वानों की यह मान्यता है कि राजाओं का धर्म श्रेष्ठ है और यह राजधर्म बड़ा भार स्वरूप है अतः आप मुझे राजधर्म का उपदेश दीजिए'।

राजधर्म संपूर्ण जीव जगत का आश्रय है, राजा के धर्मो में धर्म, अर्थ और काम तीनों का समावेश है, यही नहीं संपूर्ण मोक्ष धर्म भी राजधर्म में निहित है संसार को मर्यादा के भीतर रखने के लिए प्रागः स्वरूप भी है अतः आप सबसे पहले मेरे लिये राजधर्मों को राजधर्म का ही वर्णन कीजिए

राजधर्मान् विशेषेण कथयस्य पितामह।

सर्वस्य जीवलोकस्य राजधर्मः परायणम्।।[4] शान्ति पर्व 56/3

युधिष्ठिर के उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह सर्वप्रथम कहा –

आदावेव कुरूश्रेष्ठ राज्ञा रञ्जनकाम्यया।

देवतानां द्विजानां वर्तितव्यं यथा विधि।।[5] शान्ति पर्व 56/12

अर्थात् 'कुरुश्रे ठ राजा को सबसे पहले प्रजा का रज्जन अर्थात् उसे प्रसन्न रखने की इच्छा से देवताओं और ब्राह्मणों के प्रति शास्त्रोक्त विधि के अनुसार अर्थात् विधिपूर्वक पूजन एवं आदर सत्कार करना चाहिए।[5] इसके अतिरिक्त पुरुषार्थ के लिए सदा प्रत्यनशील रहना चाहिए पुरूषार्थ के बिना केवल प्रारब्ध

राजाओं का प्रयोजन नहीं सिद्ध कर सकता है।[6] यद्यपि कार्य की सिद्धि में प्रारब्ध और पुरुषार्थ ये दोनों साधारण कारण माने गए हैं तथापि मैं पुरुषार्थ को ही प्रधान मानता हूँ। प्रारब्ध तो पहले से ही निश्चित है।[7] पुरुषार्थ ही राजाओं की सर्वोत्तम नीति है,[8] और सत्य के सिवा दूसरी कोई वस्तु राजाओं के लिए सिद्धकारक नहीं है।[9] यही नहीं तीन बातों, अपने छिद्र, अपनी मंत्रणा, अपने कार्य कौशल को छोड़कर सभी कार्यों में सरलता एवं कोमलता का आवश्यकतानुसार अवलंबन लेना चाहिए।[10] जैसे बसंत–ऋतु का तेजस्वी सूर्य न तो अधिक ठण्डक पहुंचाता है और न ही अधिक धूप ही करता है उसी प्रकार राजा को भी न तो बहुत कोमल होना चाहिए न अधिक कठोर।[11]

राजाओं का धर्म के साथ गर्भवती स्त्री समान होना चाहिए जैसे – गर्भवती स्त्री केवल गर्भस्थ बालक के हित का ध्यान रखती है उसी प्रकार राजा को प्रजा के हित का ध्यान रखना चाहिए ''राजस्व की रक्षा के लिए राजा को दंड देने में संकोच नहीं करना चाहिए सेवकों के साथ परिहास आदि में संयम बनाए रखना चाहिए राजा जब सबको यथा योग्य विभाग देता है, मंत्रियों का अनादर नहीं करता दुष्ट पुरुषों को मार डालता है तब उसका यह कार्य 'राजधर्म' कहलाता है''[12] राजा जब मन, वाणी, कर्म के द्वारा सबकी रक्षा करता है और पुत्र के भी अपराध को क्षमा नहीं करता दुर्बलों को आवश्यकतानुसार वस्तुऐं प्रदान करता है व्यापारियों की पुत्रवत् रक्षा करता है, मित्रों की वृद्धि, शत्रुओं का नाश साधु, पुरुषों का आदर आतिथ्य सत्कार, भूदान, प्रेमपूर्वक सत्य पालन करता है तब यह राजा का धर्म कहलाता है।[14]

उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि राजधर्म का वास्तविक कल्याण करना है ऐसा कल्याण जो सामाजिक सौहार्द आध्यात्मिक उन्नति, मानवीय प्रेम पर पूर्णतः आधारित हो।

समकालीन समाज में राजधर्म की प्रासंगिकता –

सुव्यवस्थित वस्तु संगठित वर्तमान के सुनिर्माण में अतीतकाल के समृद्ध पक्ष का अंश प्रबलतर तरीके से होता है अतीत पक्ष को सामान्यतः इतिहास की संज्ञा से अभिहित करते हैं यद्यपि इतिहास का विषयवस्तु सुविस्तृत व सर्वांगीण होता है तथा वर्तमान के सकारात्मक निर्माण व संरचना में सुविज्ञ व दूरदर्शी मानव सर्वथा अतीत के समुज्जवल पक्ष को ही आत्मसात् करता है, वास्तव में ऐसा करना आवश्यक भी होता है क्योंकि सकारात्मकता की स्वीकृति ही मानवता की पथ–प्रदर्शक सिद्ध होती है अतः हम कह सकते हैं कि महाभारत ग्रंथों का एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। जिसमें विविध सांसारिक एवं आलोकित विषयों का समावेश है जिसमें सकारात्मक व नकारात्मक अथवा आदर्शनात्मक एवं व्यवहारात्मक दोनों पक्षों का प्रचुर अंशों में संकलन है, जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव अतीत से लेकर वर्तमान एवं भविष्य काल तक पड़ता रहेगा।

महाभारत में वर्णित 'राजधर्म' निश्चित रूप से लोक–व्यवस्था के धर्मशास्त्र का एक अभिन्न अंग है, किसी भी समाज के सम्पूर्ण परिचालन में धर्मशास्त्र का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरे शब्दों में समाज के चतुर्दिक व सर्वात्रिक प्रक्रिया की धुरी धर्मशास्त्र ही है, राजधर्म में धर्मशास्त्र का अंश होने के कारण ये अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखते है, जिस प्रकार समाज में प्रत्येक व्यक्ति का अपना–अपना धर्म होता है उसी प्रकार लोगों का भौतिक नियंता 'राजा' या राष्ट्रपति का भी अपना धर्म होता है जिसे राजधर्म की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। राजा या राष्ट्रपति अपने अधिकार व कर्त्तव्य का यथोचित् रूप से पालन करें यह 'राजधर्म' का समोज्जवल पक्ष है, राज्य एक विस्तृत इकाई होती है अतः राजा अपनी सहायता के लिए परम–निपुण व राजभक्त सेवकों या कर्मचारियों की नियुक्ति करता है इस प्रकार सेवक आदि भी राज्य के अंग होते हैं, एवं राज्य के सुव्यवस्थापन एवं संचालन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है ऐसे स्थिति में राजा अथवा राष्ट्रपति का धर्म बनता है कि राज कर्मचारियों आदि का चयन बड़ी निपुणता व चतुराई के साथ निष्पक्षता का आश्रय लेते हुए करे ताकि पद के अनुरूप कार्मिकों की नियुक्ति हो सके और ये कार्मिक सर्वथा राजकार्य पूर्ण मनोयोग व श्रद्धा के साथ करके प्रजा वर्ग का हित सुनिश्चित कर सके।आज की ऐसी परिस्थिति में राजधर्म पथ प्रदर्शक राजशास्त्र जैसे ग्रंथों एवं राजधर्म प्रवर्तक आचार्यों के उपदेशों की आवश्यकता होती है जो शासक आदि का पथ–प्रदर्शक व मार्गदर्शन करें।

शासन व्यवस्था का स्वरूप कुछ भी हो परन्तु शाश्वत–मूल्य, चिर–स्थायी प्रकृति के होते हैं, उनका उल्लंघन किसी भी दशा में लाभप्रद नहीं हो सकता है, अतः समकालीन समाज में भी शासक वर्ग को यह प्रयास करना चाहिए कि निर्धारित राज्यादर्श का किसी भी परिस्थिति में अतिचार, अवमानना व उल्लंघन न होने पाए। शांतिपर्व में वर्णित राजधर्म की उत्तरजीविता या समकालीन समाज में उसकी प्रासंगिकता बदलते वैश्विक परिदृश्य में कुछ अधिक ही बढ़ गई है। आज जिस प्रकार से विश्व में हिंसात्मक क्रांति, वैचारिक क्रांति, अनुशासनहीनता जन्य परिस्थिति, नैतिकता विहीन राजनीति, सामाजिक, आर्थिक असमानता जन्य समस्याओं का प्रादुर्भाव मानवीय संवेदनहीनता, आतंकवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद आदि का दौर चल रहा है, इन समस्त कुत्सित व घृणित विचार धारा का अन्त शांतिपर्व में वर्णित राजधर्म के अध्ययन द्वारा व्यावहारिक क्रियान्वयन के माध्यम से किया जा सकता है, महाभारत में वर्णित राजधर्म के श्रेष्ठ मूल्य हमारे आधुनिक राजनीतिक मूल्यों एवं संस्कारों में गुणात्मक वृद्धि एवं उत्थान के कारण सिद्ध हो सकते हैं, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि राजधर्म के श्रेष्ठ मूल्यों को अपना लेने से वर्तमान कालीन राजनीतिक सुचिता, न्याय प्रियता, जैसे अनेक मूल्यों में उत्कृष्टता का आधान कराया जा सकता हैं। महाभारत में वर्णित शान्तिपर्व का 'राजधर्म' वास्तविक रूप से आज की राज व्यवस्था को सही दिशा प्रदान कर सकता है, देशकाल परिस्थितियों के अनुसार भले ही नियम कानून बदल गये हैं लेकिन उददे्श्य आज भी वही है।

लोक रञ्जनमेवात्र राज्ञां धर्मः सनातनः [15] शान्तिपर्व 57 / 115

शान्तिपर्व में वर्णित राजधर्म का उददे्श्य भी प्रजा कल्याण से ही था और आज की शासन व्यवस्था (लोकतन्त्र) का भी मूल उददे्श्य जनता (प्रजा) कल्याण ही है। आज राजधर्म (शासक कर्तव्य) को संकुचित

विचार–धारा में बांधने का प्रयास हो रहा है। अनेकानेक राजनेता अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार नही वे एक–दूसरे में छिद्रान्वेषण करने में लगे रहते हैं। शान्तिपर्व में वर्णित शासन व्यवस्था का स्वरूप यद्यपि राजतंत्रात्मक था, परन्तु शासन तन्त्र का प्रत्येक व्यक्ति

यहां तक कि राजा भी निरंकुश नहीं था। प्रत्येक का अपना उत्तरदायित्व निश्चित था और वह स्वयं इन जिम्मेदारियों का निर्वाहक था। जनता (प्रजा) भी अपने राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों के अनुपालन में मनसा, वाचा, कर्मणा लगी रहती थी। शांतिपर्व के 'राजधर्म' राज तन्त्र होकर भी शासन के निर्णयों में लोकतन्त्रात्मक स्वरूप की सुगन्ध आती थी शासन केन्द्रित था लेकिन शासन का क्रियान्वयन विकेन्द्रित रूप में दिखाई देता है। लेकिन आज लोकत्रन्त्रात्मक व्यवस्था में शासन का स्वरूप विकेन्द्रित है। कभी–कभी यह केन्द्रित व्यवस्था की ओर भी अग्रेि ात दिखता है। इस शासन में वोट की राजनीति करने वाले इसे संख्या वाद पर तौलते है। इस व्यवस्था के मूल तत्व को ही भूल जाते है आज जनहित के कार्य हो या न हो अपने हित के कार्य को महत्व दिया जाता है। इसलिए आज शान्तिपर्व के राजधर्म के अनुपालन की अत्यधिक आवश्यकता है।

<u>संदर्भ ग्रंथ सूची</u>

1. महाभारत आदि पर्व 62 / 53
2. प्रोफेसर द्वारकादासः महाभारत का अर्थः वाग्देवी प्रकाशन बीकानेर।
3. महाभारत शांति पर्व 56 / 2
4. महाभारत शांति पर्व 56 / 3
5. शांति पर्व 56 / 3
6. शांति पर्व 56 / 14
7. शांति पर्व 56 / 15
8. शांति पर्व 56 / 16
9. शांति पर्व 56 / 17
10. शांति पर्व 56 / 20, 21
11. शांति पर्व 56 / 40
12. शांति पर्व 56 / 44, 45, 46
13. शांति पर्व 91 / 13
14. शांति पर्व 91 / 32–40
15. शान्तिपर्व 57 / 115

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 4 | ISSN : 2582-0095

प्राचीन भारतीय शिक्षा

उमेश चन्द्र मिश्र
प्रवक्ता(पी.जी.टी.)-संस्कृत
जे.बी.सी.+२ विद्यालय ,जामताड़ा
झारखंड

शोध आलेख सार– तत्कालीन एवं आधुनिक कालीन भारतीय समाज की तुलना करें तो बहुत अंतर आ चुका है। संयुक्त परिवार एकल परिवार की ओर शायद इसलिए बढ़ रहा है की आज वैसा संस्कार एवं शिक्षा लुप्तप्राय होती जा रही है एवं अत्यधिक तात्कालिक सुखाभिलाषा लोगों को अवसाद ग्रस्त कर दे रही है । शनैः शनैः पौर्वात्य सभ्यता पर पाश्चात्य सभ्यता निर्वाध गति से अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है। आज महाकवि कालिदास के समय की शिक्षा एवं संस्कारों को उनके काव्यों से लेने की आवश्यकता है,जिससे मानव समाज में हो रही विकृति को दूर किया जा सके और 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' को साकार कर सभी सामाजिक एकता के सूत्र में बंध सके।

मुख्य शब्द– आधुनिक कालीन, भारतीय, समाज, प्राचीन, साहित्य, शिक्षा।

भारत अपनी संस्कृति ,सभ्यता ,व्यवस्था एवं शिक्षा के लिए जाना जाता रहा है तथा इसी समावेशी सुचारू व्यवस्था को महाराजा मनु ने सुव्यवस्थित रूप दिया। आर्यभट्ट से लेकर भारद्वाज, चरक, सुश्रुत, वाग्भट्ट, ब्रह्मगुप्त, नागार्जुन, बोधायन,पाणिनि माघ, भारवि, कालिदास, बाणभट्ट इत्यादि विद्वानों ने अपने – अपने स्तर से इस व्यवस्था में महनीय योगदान दिया।

साहित्य के क्षेत्र में अनेक उद्भट विद्वानों में महाकवि कालिदास अग्रगण्य कतार में शिरोमणि बने रहे। कविकुल शिरोमणि कालिदास का चाहे खण्डकाव्य हो, महाकाव्य हो या नाटक हो सभी में उनका अद्वितीय स्थान बना रहा। वैसे तो उनके सभी काव्य एक से बढ़कर एक है लेकिन अभिज्ञानशाकुन्तलम नाटक का अपना एक अलग स्थान है। उसमे भी चतुर्थ अंक के वे ४ श्लोक जो सर्वश्रेष्ठ श्लोको में गिने जाते है। उन्ही ४ श्लोकों में एक श्लोक में विदा होती पुत्री को पिता द्वारा दी गई शिक्षा तत्कालीन संस्कृति एवं सभ्यता की उत्तमोत्तम महनीयता को प्रकट कराती है जो निम्नांकित है

'शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रियसखीवृत्तिं सपत्नीजने
भर्तुर्विप्रकृताSपि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः |

भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी

यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामा: कुलस्याधयः||[1]

कवि कुल शिरोमणि कालिदास विरचित अभिज्ञानशाकुन्तल का शार्दूलविक्रीडित छन्द में रचित यह श्लोक ५७ ई॰ पू॰ की सर्वश्रेष्ठ सामाजित शिक्षा को प्रस्तुत करता है।

महर्षि कण्व अपनी पुत्री को पति गृह विदा करते समय ऐसी शिक्षा देते है जो वसुधैव कुटुम्बकम् की अवधारणा को सिद्ध कर देती है।[2] महर्षि कण्व अपनी पुत्री शकुन्तला को कहते है 'गुरून् शुश्रूषस्व' अर्थात पति के घर जाकर अपने से बड़ों की सेवा करना। यहां यह बात स्मरण रखनी होगी की एक चक्रवर्ती सम्राट की रानी बनने वाली पुत्री को सेवा करने की शिक्षा दी जा रही है ,जो की तत्कालीन समाज को जोड़ कर चलने का उच्च आदर्श प्रस्तुत करता है।[3]

'सपत्नी जने प्रियसखीवृत्तिं कुरु' अपनी सपत्नीयो के साथ प्रिय सखी सा व्यवहार करना। इर्ष्या ,द्वेष ,अमर्ष इत्यादि से रहित प्रेम की यह शिक्षा उदात्तता की उपरि सीमा को प्रकट करता है।[4]

'विप्रकृता अपि रोषणतया भर्तु: प्रतीपं मा स्म गम:' महर्षि कण्व अपनी विदा होती पुत्री को कहते है कि तिरस्कृत होने पर भी क्रोध के आवेश में आकर पति के प्रतिकूल कार्य न करना। यहां भाव यह है कि कतिपय मतभिन्नता के चलते पति के अमर्ष युक्त वचनों पर प्रतिक्रिया कदापि नहीं करना| पुत्री को इस प्रकारकी शिक्षा पारिवारिक सामंजस्य एवं सयुक्त परिवार को एकता के सूत्र में बांधकर चलने की एक कड़ी के रूप में देखा जा सकता है ।[5]

'परिजने भूयिष्ठं दक्षिणा भव 'अर्थात अपने आश्रितों पर अत्यन्त उदार रहना। यह सामाजिक समभाव को प्रकट करता है क्योंकि एक चक्रवर्ती सम्राट की भार्या को अपने सेवको के साथ नम्र होकर व्यवहार करने तथा किये गये कार्य के बदले अधिकाधिक पारिश्रमिक के साथ उदारता को द्योतित करता है।[6]

'भाग्येषु अनुत्सेकिनी' अर्थात अपने ऐश्वर्य का अभिमान मत करना। यहाँ भाव है की चक्रवर्ती महाराज की महारानी होने का अहंकार कभी मत करना। इस श्लोक के पूर्व ही शारंगरव ने महर्षि कण्व के लिए कहा 'न खलु धीमतां कश्चित् विषयो नाम'इसका आशय यह है की विद्वानों के लिए कोई चीज अज्ञात नही होती। निश्चित रूप से महर्षि कण्व तपस्वी जीवन में भी गृहस्थ धर्म में क्या क्या विकार आ सकते है उसको वह अच्छी तरह से जानते थे। इन्ही सब कारणों से पुत्री को सचेत करते हुए शिक्षा दे रहे थे।[7]

'एवं युवतयः गृहिणी पदं यान्ति वामाः कुलस्य आधयः' अर्थात इस तरह का आचरण करने वाली स्त्रियाँ गृह लक्ष्मी के पद पर अधिष्ठित होती है और इसके विपरीत चलने वाली कुल के लिए अभिशाप होती है।[8]

इस प्रकार तत्कालीन एवं आधुनिक कालीन भारतीय समाज की तुलना करें तो बहुत अंतर आ चुका है। संयुक्त परिवार एकल परिवार की ओर शायद इसलिए बढ़ रहा है की आज वैसा संस्कार एवं शिक्षा लुप्तप्राय होती जा रही है एवं अत्यधिक तात्कालिक सुखाभिलाषा लोगों को अवसाद ग्रस्त कर दे रही है। शनैः शनैः पौर्वात्य सभ्यता पर पाश्चात्य सभ्यता निर्वाध गति से अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है। आज महाकवि कालिदास के समय की शिक्षा एवं संस्कारों को उनके काव्यों से लेने की आवश्यकता है,जिससे मानव समाज में हो रही विकृति को दूर किया जा सके और 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' को साकार कर सभी सामाजिक एकता के सूत्र में बंध सके।

सन्दर्भ

1. संस्कृत साहित्य का इतिहास– वाचस्पति गैरोला
2. प्राचीन भारतीय संस्कृत– डॉ.विरेन्द्र कुमार सिंह
3. संस्कृत साहित्य का इतिहास– डॉ.कपिल देव द्विवेदी
4. अभिज्ञानशाकुन्तलम् – डॉ.कपिल देव द्विवेदी
5. मेघदूतम्– श्री तारिणीश झा
6. रघुवंशम्– डॉ श्री कृष्णमणि त्रिपाठी
7. अभिज्ञानशाकुन्तलम्– सुबोधचन्द्र पंत
8. संस्कृत साहित्य का इतिहास– बलदेव उपाध्याय

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 4 | ISSN : 2582-0095

सन् साठ के बाद के हिन्दी उपन्यासों का सर्वेक्षण एवं वर्गीकरण

डॉ0 विजय कुमार शुक्ला
एम.ए.,पीएच.डी. (हिन्दी)
बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर (बिहार)

प्रेमचन्द्र के बाद हिन्दी उपन्यास अनेक धाराओं में विकसित हुआ। ये धाराएँ सबल भी थी और वैविध्यपूर्ण भी। उपन्यास का क्षेत्र अधिक व्यापक हुआ और उसके कथ्य को अधिक जीवन्तता मिली। यह वह दौर है जब हिन्दी उपन्यास के क्षेत्र में नये हस्ताक्षर उभरने लगे थे और पुराने उपन्यासकारों ने पाठकों को आकर्षित किया। शैलेश मटियानी का पहला उपन्यास 'बोरीबली से बोरी बन्दर तक' 1959 में प्रकाशित हुआ। श्रीलाल शुक्ल का पहला उपन्यास 'सूनी घाटी का सूरज' 1957 में छपा। कृष्ण बददेव वैद भी 1957 में ही 'उसका बचपन' के साथ उपन्यास के क्षेत्र में उपस्थित हुए। कमलेश्वर का पहला उपन्यास 'उसका बचपन' के साथ उपन्यास के क्षेत्र में उपस्थित हुए। कमलेश्वर का पहला उपन्यास 'एक सड़क सत्तावन गलियाँ' 1957 में ही प्रकाशित हुआ। मोहन राकेश, राजेन्द्र अवस्थी, रामदरश मिश्र, निर्मल वर्मा, उषा प्रियम्वदा, राही मासूम रजा, भीष्म सहनी, शिवप्रसाद सिंह, काशीनाथ सिंह वस्तुतः 1960 के बाद ही हिन्दी पाठकों में परिचित हुए। राजेन्द्र यादव, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोवती, राजकमल चौधरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे कथाकार सन् साठ के बाद ही स्थापित हुए। हिन्दी उपन्यासों में विमर्श के नये क्षितिज को लेकर भैरव प्रसाद गुप्त, अमृतराय, नागार्जुन, अमृतलाल नागर, उपेन्द्रनाथ 'अश्क' जैसे उपन्यासकार इस कालखंड में अपने विशिष्ट प्रयोग और जनपक्षधरता के कारण महत्वपूर्ण हुए। भीमसेन त्यागी, महीप सिंह, धमेन्द्र गुप्त, वीरेन्द्र कुमार जैन, सुरेन्द्र वर्मा, द्रोणवीर कोहली, रमेशचन्द्र साह, रवीन्द्र वर्मा, मंजुल भगत, योगेश गुप्त, मंजूर एहतेशाम, कामतानाथ, मृदुला गर्ग, नरेन्द्र कोहली, ममता कालिया, शिवानी, अमरकान्त, हृदयेश अभिमन्यु अनतः मेहरूनिशा परवेज, गोविन्द मिश्र, शशिप्रभा शास्त्री, विश्वम्भर नाथ उपाध्याय, विवेकीराय, गिरिराज किशोर। अस्सी के पहले के चर्चित उपन्यासकार हैं। अस्सी के बाद उपन्यास के कथानक और शिल्प में परिवर्तन आता है। इस संदर्भ में डॉ0 सूरज पालीवाल ने सच ही कहा है–''बीसवीं शताब्दी के अंतिम दो दशकों में प्रकाशित उपन्यासों ने जिन विषयों

को शिद्धत के साथ उठाया है, उससे उनकी क्षमता का पता चलता है। यह मात्र संयोग नहीं है कि उपन्यासकारों ने इतिहास के किसी कालखण्ड या इतिहास की किसी ऐसी घटना को जिनके सूत्रों ने पूरे इतिहास को ही बदल दिया हो, पर अपनी संवेदनशील नजर से उपन्यास लिखे, राजनीति के क्षरण के बीच से निकल रही चिन्ताधारा को उपन्यासकारों ने सकारात्मक दृष्टि उभारा है, स्त्री–पुरूष सम्बन्धों को नये नजरिये से देखा–परखा है। अपने इतिहास पुरूषों को उनके सम्पूर्ण कार्यकलापों और तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं के साथ भारतीय जनमानस की आवश्यकताओं की कसौटी पर परखा तथा यह भी देखा है कि हमारे पूर्वजों ने कहाँ ऐसी गलती की है, जिसका परिणाम हम आजतक भोग रहे हैं। यह केवल संयोग मात्र नहीं है कि उपन्यासकारों ने भारी–भरकम विषयों के साथ बहुत ही छोटे लेकिन बहुत प्रभावशाली विषयों को अपने उपन्यासों में लिया है और घटनाओं के साथ उनके घटित होने की स्थितियों की अधिक पड़ताल की है। संयोग मात्र कहकर हम इतिहास की धारा को ही उलट देना चाहते हैं। समाज में जब भी परिवर्तनों की धारा तेज गति से बहती है तब साहित्य उन्हें व्यक्त करने के लिए अपने में अपूर्व परिवर्तन करता है। साहित्यकारों के समक्ष वह चुनौती का समय होता है। हिन्दी के उपन्यासकारों ने इस परिवर्तन की चुनौती को स्वीकार किया और अपने उपन्यासों में उसे व्यक्त करने का कौशल दिखाया। जिस प्रकार 1950 के बाद उपन्यासों की भाषा, शिल्प और विषय बदले, उसी प्रकार 1980 के बाद के उपन्यासों में यह परिवर्तन दिखाई देता है। सन् 50 के पहले के उपन्यासों और 50 के बाद के उपन्यासों को एकसाथ पढ़कर इस अंतर को देखा जा सकता है। स्वाधीन भारत के खुले उजास में जो उपन्यास लिखे गये उनमें नये बनते–बिगड़ते सम्बन्धों की अकुलाहट स्पष्ट दिखाई देती है। 1980 के बाद के उपन्यासों में भी वही अकुलाहट नये सम्बन्धों के टूटने–बनने, स्त्री तथा दलितों के उभार एवं विश्व बाजार की चुनौतियों के संदर्भ में देखी जा सकती है।''

समकालीन हिन्दी उपन्यासों की एक विशेषता है स्त्री विमर्श। इस संदर्भ में डॉ0 वीरेन्द्र यादव ने सच ही लिखा है–''यह सुखद् संयोग है कि विश्वकथा साहित्य की तर्ज पर नारी चेतना के सशक्त तेवरों की अनुगूँज इधर के हिन्दी उपन्यासों में अत्यंत प्रभावी ढ़ंग से हुई है। ये उपन्यास पितृ–सत्तात्मक भारतीय समाज में नारी की उस अभिशप्त नियति को रेखांकित करते हैं, जिसका दायरा दैहिक, भावनात्मक एवं आर्थिक शोषण तक विस्तृत है। इस संदर्भ में कृष्णा सोवती मैत्रेयी पुष्पा, चित्रामुद्गल प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा व गीतांजलि श्री की औपन्यासिक कृतियाँ विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करती हैं। अपने उपन्यासों के माध्यम से इन लेखिकाओं ने जहाँ 'नारीवादी' लेखन की सार्थकता को रेखांकित किया है वहीं पुरूष लेखन की उस सीमा को भी उजागर किया है, जो अपने सारे नेक इरादों के बावजूद पुरूष दृष्टि से उबर नहीं पाते।

समकालीन ऐतिहासिक उपन्यासों पर उनकी टिप्पणी है–''इतिहास का उपन्यास के साथ गहरा रिश्ता रहा है, और सच तो यह है कि सही ऐतिहासिक

अंतर्दृष्टि के बिना सार्थक उपन्यास नहीं लिखे जा सकते। लेकिन जब इतिहास ही उपन्यास की कथा–वस्तु हो तो यह चुनौती और भी बढ़ जाती है। कमलाकान्त त्रिपाठी ने अपने उपन्यासों 'पाट्‌ीधर' और 'बेदखल' में अठारह सौ सत्तावन और उसके बाद के कालखंड को इतिहास की जिस जन–पक्षधर समझ के साथ प्रस्तुत किया है, वह इधर के उपन्यासों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 'पट्‌टीधर' और 'बेदखल' की विशिष्टता के मूल में इनकी इतिहास गाथा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, जितनी इतिहास दृष्टि। अठारह सौ सत्तावन के विप्लव एवं अवध के किसान आंदोलन में बाबा रामचन्द्र की नेतृत्वकारी भूमिका को जिस जनपक्षधर समझ के साथ ये उपन्यास प्रस्तुत करते हैं। वह इतिहास और समाजशास्त्र की क्षतिपूर्ति सरीखा है। इतिहास के इस कालखंड को प्रभुत्वकारी विमर्श के बाद निकालकर सतह से शिखर देखने की जो इतिहास दृष्टि से कमलाकान्त त्रिपाठी अपनाते हैं उसी के परिणामस्वरूप 'पट्‌टीधर' 1857 की 'जनक्रांति' या 'भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम' की अवधारणा को प्रश्नों के घेरे में खड़ा करता है। इसी इतिहास दृष्टि के चलते स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्यधारा से 'बेदखल' अवध के किसान आंदोलन (1919–1922) को पहली बार औपन्यासिक केन्द्रीयता प्राप्त होती है।

यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि 'पट्‌टीधर' और 'बेदखल' दोनों ही उपन्यास इतिहास कथा होने के साथ–साथ ग्रामकथा भी है। कर्ज, मालगुजारी, नजराना और बेदखली से त्रस्त अवध के जयकरन और सूचित सरीखे किसानों की दुर्दशा की पृष्ठभूमि में 'पट्‌टीधर' का 1857 का विद्रोह एवं 'बेदखल' का बाबा रामचन्द्र के नेतृत्व में किसान आंदोलन महज इतिहास की थिगाली न होकर इन उपन्यासों को केन्द्रीय अन्तर्वस्तु है। यहाँ यह विडम्बना द्रष्टव्य है कि 'पट्‌टीधर' में 1857 के विप्लव के दौरान तालुकेदारों, जमींदारों व माजगुजारों का जो कुलीन संवर्ग अपने हितों की रक्षा के लिए निर्धन किसानों को अंग्रेजों के विरूद्ध लड़ाई में कच्चेमाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था, वही कुलीन वर्ग 'बेदखल' में अंग्रेजों के साथ गठजोड़ करके किसान रियाया पर भूमि बेदखली का कहर ढा रहा था।

मंजूर एहतेशाम ने भारत में सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय की पीड़ा अन्तर्द्वन्द्व व दुर्बलताओं को भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीति परिदृश्य के साथ जिस तरह अंतर्गुम्फित किया है, वह गहरी रचनात्मक आत्मसंलग्नता के बिना संभव नहीं पात्रों व परिवेश की जीवन्त आत्मीयता प्रदान करती उपन्यास की हिन्दी–उर्दू मिश्रित भाषा इसे अत्यंत पठनीय बनाती है। 'सूखा बरगद' में पठनीयता व औपन्यासिक दृष्टि का यह दुर्लभ सुयोग एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

आज उपन्यास बहुआयामी हो गया है। ऐतिहासिक, आंचलिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक प्रकृतिवादी उपन्यासों ने आज नवीन रूप ग्रहण किया है। सन् साठ के बाद हिन्दी उपन्यासों की राजनीति चेतना अधिक प्रखर हुई है। काशीनाथ

सिंह का 'अपना मोर्चा' छात्र राजनीति पर पहला उपन्यास है। यह 1972 ई0 में प्रकाशित हुआ। 'गली आगे मुड़ती है' (शिवप्रसाद सिंह) में भी छात्र राजनीति की पूरी झलक है। 'रागदरबारी' महाभोज जैसे उपन्यास राजनीतिक उपन्यास के प्रतिमान हैं।

संदर्भ :

1. समकालीन हिन्दी उपन्यास–डॉ0 सूरज पालीवाल भूमिका से।
2. आधुनिक हिन्दी उपन्यास–सं. डॉ0 नामवर सिंह, पृ. 19–20.
3. उपरिवत्, पृ. 26–27.
4. हीरक जयंती–नागर्जुन, पृ. 50.
5. वही पृष्ठ.

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 4 | ISSN : 2582-0095

गाँधी एवम् अहिंसा : एक अध्ययन

डॉ0 सुजीत कुमार तिवारी
एम.ए., पीएच.डी. (राजनीति विज्ञान)
बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर (बिहार)

महात्मा गाँधी ने भारतीय संस्कृति का विविध दिशाओं से इतना अधिक प्रभावित किया कि उनके समस्त अवदानों का मूल्यांकन कठिन है। खान–पान, रहन–सहन, भाषा–शैली, परिधान, परिवेश, सामाजिक आचार–व्यवहार, धर्म–कर्म, राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता भारत में जो भी आचार और विचार प्रचलित हैं या जिन्होंने भारतीय जनमानस को प्रभावित किया है उनमें प्रत्येक पर कहीं न कहीं गाँधी के व्यक्तित्व और कृतित्व की स्पष्ट झलक दिखती है। यहाँ तक कि गाँधी के आलोचकों एवं विरोधियों में भी उनके प्रभाव मौजूद हैं। वर्त्तमान भारत गाँधी का भारत है और गाँधी नाम आज के भारत का पर्याय है। गाँधी का अवतरण, तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्याधीन भारत को विभिन्न समस्याओं के निराकरण तथा सांस्कृतिक नवोत्थान के लिए हुआ।

महापुरूषो के संकेतों पर इतिहास हमेशा अपना स्वरूप बदलता रहा हैं प्रत्येक महापुरूष तत्कालीन समय की उपज होते हैं तथा काल के पटल पर जितनी अनुभूतियाँ एकत्र होती हैं उन्हीं की अभिव्यक्ति इनके माध्यम से होती है। भले ही वे कवि, कथाकार, सुधारक, सन्त, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ अथवा अर्थ विशेषज्ञ एवं वैज्ञानिक ही क्यों न हों। यहाँ उदाहरण स्वरूप दर्शाया जा सकता है जैसे राजा राम मोहन राय, केशव चन्द्र सेन, स्वामी दयानन्द सरस्वती, रामकृष्ण परम हंस, स्वामी विवेकानन्द, अरविन्द, एनीबसेन्ट आदि तत्कालीन समय की उपज थे तथा उनके भी राजनैतिक नेता के रूप में गाँधी उभरे।

हमारे सभी नेता एवं सुधारक यूरोपीय सभ्यता की दुर्बलताओं अर्थात् उनकी धन लोलुपता एवं विलासिता के लिए राष्ट्रों के आर्थिक शोषण किये जाने से पूर्ण परिचित होते गयें उस समय भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रीयता उत्तरोत्तर बढ़ रही थी । उसी ने राजनैतिक, राष्ट्रीयता को जन्म दिया। लगता है कि गाँधी जी के जन्म और विकास को सम्भव बनाने के लिए ही राजा राममोहन राय ने सांस्कृतिक जागरण का श्री गणेश किया था जिन्हें हम भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत

भी कहते हैं लगभग 100 वर्षों तक इस आध्यात्मिक देश ने जो आत्म मंथन किया तथा पराधीनता की ग्लानि को धोने के लिए अपनी श्रेष्ठ शक्तियों का चिंतन एवं ध्यान किया गाँधी जी उसी तपस्या के वरदान बन प्रकट हुए। नवोत्थान को व्याकुल एवं प्रेरित भारत अपनी स्वतंत्रता की तलाश कर रहा था साथ ही विश्व जनित समस्याओं का समाधन भी। गाँधी ने दोनों कामनाएँ पूरी की।

गाँधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे। महानायक वह होता है जिसके इशारे पर काल अपनी दिशा बदलता है। गाँधी ने भी इशारे किये और सदियों की गुलामी में झुकी भारतीयता की रीढ़ सीधी हो गई, राष्ट्र का स्वाभिमान जाग उठा। देश ने अपनी अस्मिता पहचानी और जनता ने अपना वजूद। जैसा कि राष्ट्रकवि दिनकर ने लिखा है ''आज का भारत गाँधी का भारत है और गाँधी का नाम आज के भारत का पर्याय है। ऐसा इसलिए कि गाँधी ने चिन्तन–व्यवहार, भाषा–परिधान, धर्म–राजनीति तथा मूल्य शैली आदि अनेक पहलुओं से भारत की सभ्यता और संस्कृति पर व्यापक प्रभाव डाला। किन्तु गाँधी केवल भारत के नहीं थे बल्कि पूरी दुनिया और सारी मानवता के लिए थे।

भारतीय संस्कृति में रसी बसी थी। इसे हम भारतीय चिन्तनधारा की एक महत्वपूर्ण अवधारणा और भारतीय जीवन शैली का एक विशिष्ट मूल्य कह सकते हैं। वह जीवन की एकता का सिद्धान्त है तथा सत्य ही इस भावना की स्वीकृति है कि ''जो जीवन एक प्राणी के अन्दर भी मौजूद है वही जीवन दूसरे प्राणी के अन्दर भी मौजूद है। इसलिए किसी दूसरे प्राणाी को कष्ट पहुँचाने की गहराई में स्वयं को दुःख पहुँचाना है जिससे बचने का एकमात्र उपाय अहिंसा है। दिनकर के अनुसार ''भारत में अहिंसा की परम्परा प्राग्वैदिक परम्परा थी और इसके बीज वेदों में भी थे। यद्यपि वेदों में बलि युक्त यज्ञों की प्रधानता है तथापि इन यज्ञों की निन्दा करने वाले ऋषि भी उस काल में मौजूद थे। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथों में ''सर्वमेधे सर्वम् हन्यात्'' (सर्वमेघ–यज्ञ में सब कुछ मारा जा सकता है) के साथ–साथ 'मा हिंस्यात सर्वभूतानि' (किसी भी जीवन को मत मारो) की भी आज्ञा दी गई है। उपनिषद् काल में अहिंसा के विकास की जानकारी मिलती है किन्तु अधिकतर तपस्वी लोग इसका अनुपालन करते थे।

23वें तीर्थंकर पाश्र्वनाथ ने अपने उपदेश में अहिंसा के साथ सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह को जोड़ दिया। जिसके कारण तपस्वियों के जीवन से जुड़ अहिंसा आम लोगों के जीवन से जुड़ गई। बाद में जैनियों के 24 वें और अन्तिम तीर्थंकर महावीर ने अहिंसा को शीर्ष पर पहुँचा दिया। इसी काल में गौतम बुद्ध ने हिंसा मुक्त यज्ञ को श्रेष्ठ कहकर अहिंसा को और अधिक व्यापक बनाया।

यद्यपि गाँधी की सोंच पूर्णतः अध्यात्म पर आधारित थी किन्तु उनका कार्य क्षेत्र राजनीति रहा। राजनीति को उन्होंने स्वराष्ट्र धर्म के रूप में अपनाया इसलिए अहिंसा रूपी अस्त्र का सर्वाधिक

महत्वपूर्ण प्रयोग राजनीतिक क्षेत्र में किया। चाणक्य एवं मेकियावेली जैसे राजनीतिक चिंतकों के कारण राजनीति छल–क्षूद्र, झूठ, प्रपंच तथा लोभ–दंड आदि दुर्गुणों से युक्त हो गई थी। गाँधी ने अहिंसा के प्रयोग से उन खामियों को मुक्त करके सत्य, प्रेम, त्याग तथा करूणा आदि सद्गुणों पर आधारित किया। गाँधी के लिए राजनीति सिर्फ सत्ता सुख का साधन नहीं बल्कि मनुष्यता को बेहतर बनाने का मार्ग है। किन्तु यह तभी सफल होगा जब उसकी नींव सत्य और अहिंसा पर टिकी हो। गाँधी का विश्वास साध्य एवं साधन संबंध की पवित्रता पर आधारित किया। देश की आजादी गाँधी का पवित्र लक्ष्य था तथा उसे प्राप्त करने के लिए अहिंसा जैसे पवित्र माध्यम का प्रयोग किया। गाँधी का कहना था ''खून करके जो लोग राज करेंगे, वे प्रजा को सुखी नहीं बना सकेंगे।

गाँधी की अहिंसा सत्य एवं प्रेम से अलग नहीं है। इसलिए सत्य एवं अहिंसा एक दूसरे के पूरक तथा सिक्के के दो पहलु हैं और इस प्रकार आपस में बँधे हैं कि अलग कर पाना संभव नहीं। अहिंसा मात्र निषेधात्मक अमंगल हीनता नहीं बल्कि प्रेम की भावनात्मक प्रगति भी है, जो अमंगलकारी को भी मंगलकारी बना देता हैं। गाँधी के अनुसार अहिंसा कायरों की अहिंसा नहीं, जो भय के कारण उत्पन्न होती है, बल्कि शक्तिशाली और निर्भिक लोगों के गुण हैं जो व्यक्ति हिंसा का उत्तर हिंसा से दे सकता है, शक्ति का प्रतिकार शक्ति से कर सकता है परन्तु ऐसा नहीं करके इनका उत्तर प्रेम और करूणा से देता है, अहिंसा उसी के लिए है इसलिए गाँधी अहिंसा का जन्म प्रेम और करूणा से मानते हैं उसमें ंदुर्बलता और कायरता के लिए कोई स्थान नहीं है। साथ ही गाँधी के अनुसार यदि कायरता और हिंसा में किसी एक को चुनना हो तो हमेशा हिंसा को चुनना ही श्रेयस्कर होगा। हिंसा के आधार पर हुई क्रांतियाँ अन्ततः अपने उद्देश्यों के च्युत, होकर विफल हो गई। इस विफलता के कारणों को दर्शाते हुए समाजवादी चिन्तक सच्चिदानन्द सिंन्हा कहते हैं ''ऊँचे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी जब हिंसा का रास्ता अपनाया जाता है तो हिंसा ही सर्वोपरि मूल्य बन जाती है और बाकि उद्देश्य वैसा ही विकृत रूप ग्रहण करते हैं जो अपने को हिंसा से उपजे माहौल के अनुरूप बन सकें। इस पृष्ठभूमि में यह समझना आसान है कि हिंसक क्रान्तियाँ क्यों पथ भ्रष्ट होती रही है।

जब हिंसा असमर्थ हो जाती है तब जो विकल्प बचता है वह अहिंसा का होता हैं दरअसल हिंसा का प्रयोग करने वाला अपने सिद्धान्तों को लेकर इतना शख्त हो जाता है कि वह बलपूर्वक दूसरों को इसे मानने के लिए बाध्य करता है, इसमें संवाद की संभावना समाप्त हो जाती है। फलतः सही–गलत, उचित–अनुचित का विमर्श नहीं हो पाता तथा अन्तिम विजय शक्ति की कुशलता से प्रयोग करने वाली की होती है, किन्हीं आदर्शो की नहीं। अतः हिंसा का निर्णय लेने से इस बात की जाँच करनी होगी कि इससे पैदा हुई स्थितियाँ अपने उन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाती है या नहीं,

जिनके लिए हिंसा का चुनाव किया गया था। यदि नहीं तो फिर निर्णय को बदलना होगा तथा ऐसे विकल्प की तलाश करनी होगी जिसके द्वारा अभिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकें। अहिंसा ऐसा ही विकल्प है। आधुनिक युग में इसके सबसे बड़े प्रयोक्ता गाँधी हैं।

गाँधी की अहिंसा बहुआयामी है। वह समर्थ राष्ट्रों द्वारा असमर्थ राष्ट्रों पर किये गये सर्व आयामी आक्रमण का प्रतिकार कर सकती है। इस क्रम में उनका असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन, व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आन्दोलन, अनशन तथा सत्याग्रह आदि कार्यक्रम किसी भी राष्ट्र के हिंसक आक्रमण को विफल कर देने का सफल उपाय है।

यद्यपि दो विश्व युद्धों के बाद अब ऐसी स्थिति नहीं रही कि कोई हिटलर या मुसोलिनी पैदा हो जो सैनिक कार्रवाई के द्वारा सीधे–सीधे किसी भी कमजोर राष्ट्र पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर ले तथापि अमेरिका द्वारा इराक पर किए गये आक्रमण तथा शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा सी.टी. बी.टी. पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डालने जैसी घटनाएँ घटती रहती है जिनका विरोध गाँधी के द्वारा बताये गये अहिंसा के मार्ग पर चलकर किया जा सकता है। इन्हीं तरीकों से मध्यस्थता एवं शान्ति स्थापित करने के बहाने अपना अधिपत्य जमाने आने वाले विदेशियों से भी निपटा जा सकता है।

अतः स्पष्ट है कि गाँधी की अहिंसा बहुआयामी है। अतः वह किसी को निरंकुश राष्ट्र के किसी भी प्रकार के हमले से किसी साधनहीन राज्य की सम्प्रभुता को सुरक्षित रख सकने में समर्थ है। भारत की स्वतंत्रता से लेकर उसकी सम्प्रभुता को भी सुरक्षित रख सकने में समर्थ हो सका है। इसके द्वारा भारत की आजादी को लेकर जो प्रश्न उठाये जा रहे थे गाँधी ने उसे सिद्ध कर दिखाया।

अतः पद्धति के रूप में अहिंसा को चयन किये जाने के संबंध में गाँधी पर लिखे गये उपन्यास ''पहला गिरमिटिया के लेखक गिरिराज किशोर का कहना है कि'' यदि गाँधी विश्व प्रचलित युद्ध पद्धति को अपनाते तो उनकी निर्भरता दूसरे शक्तिशाली राष्ट्रों पर बढ़ जाती । गाँधी का एक 'गोस्पल' आत्मनिर्भरता भी था। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में तो था ही, उन्होंने आत्म निर्भरता को भी अपने इस संघर्ष का अविभाज्य अंग बना लिया था। गाँधी अहिंसक युद्ध के साथ उन सभी राष्ट्रों को जोड़ना चाहते थे जो साधनहीन थे और जहाँ मात्र आर्थिक और राजनीतिक विपन्नता ही नहीं थी बल्कि दरिद्रता भी थी, जिसके कारण वे राष्ट्र भी किसी शक्तिशाली राष्ट्र के मुकावले अपनी इच्छा शक्ति और जुझारूपन के बल पर आत्मविश्वास और आत्म–निर्भरता के साथ लड़ सके।

हालांकि गाँधी ने अनेक देशी–विदेशी मतों और विचारधाराओं के आधार पर अपने अहिंसा का महल खड़ा किया। उन्होंने अहिंसा की तीन अवस्थाएँ बताई प्रथम–जाग्रत अहिंसा– यह सबसे उच्च कोटि की अहिंसा है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए आवश्यक एवं उपयोगी है। द्वितीय

–''औचित्यपूर्ण अहिंसा'' यह विशेष परिस्थितियों में उचित होती है तथा असहाय व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। इसके द्वारा किसी भी विरोधी शक्तियों का निष्क्रिय प्रतिरोध किया जा सकता है। तृतीय– भीरूओं की अहिंसा– परिस्थितियों से पलायन और जीवन की निष्क्रयता की स्थिति की अहिंसा है। गाँधी ने इसे कायरता कहकर अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि ''कायरता और अहिंसा पानी और आग की तरह एक साथ नहीं रह सकती।'' गाँधी ने अपनी अहिंसा को पूर्ण अहिंसा कहा, जो जैन दर्शन के अनेकांतवाद का ही प्रतिरूप है। गाँधी ने अपनी अहिंसा को परिभाषित करते हुए कहा था ''पूर्ण अहिंसा सभी प्राणियों के प्रति दुर्भावना के अभाव का नाम है। इस प्रकार अहिंसा अपने क्रियात्मक रूप में सभी जीवधारियों के प्रति सद्भावना का नाम है। यह तो विशुद्ध प्रेम है। अनेकान्त सिद्धान्त विभिन्न धर्म, सम्प्रदाय और देशों के बीच बंधुता, सह अस्तित्व और प्रेम का आधार हैं यह अहिंसा की चल परिणति है । भारतीय संविधान की धर्म निरपेक्षता, समता, विश्ववन्धुत्व, सामाजिक न्याय तथा पंचशील के सिद्धान्त आदि में अनेकांत दृष्टि ही कार्यरत है और यही अहिंसा गाँधी की भी अहिंसा हैं इस प्रकार गाँधी और उनकी अहिंसा ने भारतीय जीवन दर्शन को बहुत हद तक प्रभावित किया है।

गाँधी ने भारतीय जीवन के सदियों से सोये हुए दर्शन सत्य एवं अहिंसा का प्रयोग कर अंग्रेजों की गुलामी तथा सामन्तवादी व्यवस्था के बर्बरतापूर्ण समन से देश को मुक्ति दिलाई थी, उसी प्रकार आज के हिंसा, तनाव से ग्रसित आतंकपूर्ण वातावरण में गाँधी दर्शन के सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर करूणा, मैत्री, भाईचारा एवं समानता के अलख जगानें की आवश्यकता है। आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ाकर ही हम समाज, राज्य तथा राष्ट्र का भला सोंच सकते हैं तथा चाहे परिवार हो या समाज और देश में शान्ति के बिना उन्नति कर ही नहीं सकता तथा शान्ति स्थापित करने का एक ही मार्ग है अहिंसा की भावना तथा देश प्रेम, राष्ट्रीयता । गाँधी जी के अनुसार ''देश का एक–एक व्यक्ति यदि अपने को सुधार ले तो देश स्वतः सुधर जायेगा। द्वेष से द्वेष तथा हिंसा से प्रतिहिंसा उत्पन होती है। मनुष्य के लिए सदैव राग और द्वेष की भावना से परे रहना असंभव है किन्तु एक दूसरे कें प्रति उदार, सम्मान स्नेह और प्रेम भाव बनाये रखना तो मुश्किल नहीं। अतः आज गाँधी की अहिंसा के अर्थ को गहराई से समझते हुए उसे प्रयोग में लाने की आवश्यकता है तब ही हमारा देश उन्नति के उज्ज्वल शिखर पर निरन्तर आगे बढ़ेंगा। हमें वर्तमान में इन बातों पर विचार करने की जरूरत है।[13] भारत की विशेषता अनेकता में एकता है जिसे मजबूत बनाने के लिए हमें गाँधी के विचारों पर मनन, चिन्तन करते हुए उसे अपने आचरण में लाना होगा।

संदर्भ संकेत::

1. संस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ–531, रामधारी सिंह दिनकर लोकभारती प्रकाशन, 15 ए , महात्मा गाँधी मार्ग इलाहाबाद–1988 ।
2. संस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ–105, रामधारी सिंह दिनकर, लोकभारतीय प्रकाशन, 15–ए, महात्मा गाँधी मार्ग, इलाहाबाद–01, 1988 ।
3. प्राचीन भारत का धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पृष्ठ–52, सत्यकेतु विद्यालंकार, सरस्वती सदन, नई दिल्ली। ई० 2011 ।
4. कोसल–संयुक्त के वाग्ग– 01, सुत्त– 09 ।
5. संस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ– 537, रामधारी सिंह दिनंकर ।
6. हिन्द स्वराज, महात्मा गाँधी, अनुवादक–अमृत लाल ठाकुर दास नानाबती, पृष्ठ–62, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी। 1982 ।
7. गाँधी बाड्.मय से संकलित, पुस्तकालय, बी०आर० अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर। हिंसा और समाज परिवर्तन, ''बहुवचन'' वर्ष–3, अंक–11, अप्रैल–जून 2002, पृर्ष्ठ– 68,
8. महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय बी/3/61, सफदरगंज इन्क्लेव, नई दिल्ली।
9. वही पृष्ठ– 70 ।
10. ग्राम स्वराज्य, महात्मा गाँधी, पृष्ठ–16, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहजमदाबाद, 2003 ।
11. गाँधी वाड्.मय ˙
12. गाँधी ह्रदय परिवर्तन और दक्षिण अफ्रिकी, पृष्ठ– 32, गिरिराज किशोर गाँधी मार्ग वर्ष–46, अंकत–06 दिसम्बर–2001, गाँधी शान्ति प्रतिष्ठान, 221/223
13. गाँधी वाड्.मय ।

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 4 | ISSN : 2582-0095

Pattern of Sexual Behavior Among People in a Rural Area of Bihar : A Qualitative Study on Wives of Migrant Workers

Dr. Prabha Kumari
M.A., Ph.D. (Psychology)
B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur (Bihar)

ABSTRACT

Population mobility and migration are important processes of human life. It affects broad range of sociocultural parametersbesides its greatest economic potential. Mobility increases personal interaction and exposure to sexual partners from high-risk group. Many studies reported a significant rise in risky sexual behavior among migrants, indicating some inherent characteristic. Married women are highly vulnerable to sexually transmitted diseases (STDs) including HIV due to the high risk behavior of their husbands. Some of the married males have multiple sex partners which also put their wives at risk of getting HIV infection.

Introduction

The Economic Survey of India 2017 reported an annual internal migration of 9 million between 2011 and 2016. The census 2011 reported total internal migration in the country including inter- and intra-state movement to be 139 million. Uttar Pradesh and Bihar are the biggest source states.

Human sexual practice or human sexual behavior is the way humans experience and express their sexuality. People engage in a variety of sexual acts from time to time, and for a wide variety of reasons. Although the primary evolutionary purpose of sexual activity is a reproduction, research on college students suggested that people have sex for four general reasons: “physical attraction,” “as a means to an end,” “to increase emotional connection,” and to “alleviate insecurity.” According to the published literatures, risk sexual behavior was defined as having multiple sex partners, paying for sex, homogeneity sex, etc.

GISRRJ192416 | Received: 01 July 2019 | Accepted: 25 July 2019 | July-August-2019 [2 (4) : 41-45]

Although traditional Indian value prohibits premarital or extramarital sexual activities, this aspect has not been explored in migrant workers. As per the best of author's knowledge, there was no study in this area for exploring the various aspect of sexual behavior of migrant workers and their wives. The present article describes the social context of migration-related sexual behavior in Muzaffarpur district of Bihar, India. The existing information about the sexual networks and risk profile of wives and their migrant husbands are very important in order to understand the HIV epidemic in the district. Globally, a large proportion of the HIV prevalence is attributed to individual sociopsychological and personal behavior, and mode of interactions or sexual mixing pattern within and outside the community. Qualitative methods attempt to grasp these phenomena in the more holistic way or to understand a phenomenon within its own context or to emphasize the immersion in and comprehension of human meaning ascribed to some set of circumstances or phenomena, or all three. We used indepth interviews of wives of migrant workers to describe the interpersonal, social, and cultural context of the reported behaviors and information related to marriage and sexual practices commonly prevalent in the rural areas.

Study Area

Out of 16 sub-districts or developmental blocks in Muzaffarpur district, Kurhani block was selected, considering the approachability and logistics. Four villages were selected from two Panchayats, the lowest administrative unit as per the three-tier administrative structure of the state government.

Study Population and Sample Size

The study participants were wives of migrant workers of 15-49 years of age, living in rural areas of Muzaffarpur district for at least 6 months, and without any mental health problems. There was no actual calculation of the sample size for this phase of the study. It is suggested that 50-100 is a reasonable size for a qualitative study.[19] A sampling frame of these participants was created by the two female interviewers with the help of a non-Government Organization (NGO) and ASHA (Accredited Social Health Activists) of four villages in the selected panchayat of Kurhani block in the district. All 24 participants, after going through the project information or having it explained to them by the ASHA workers, gave their formal consent to participate. The place and time of interview was told to them 1 day in advance. All 24 participants who gave their formal consent attended the interview at scheduled time and place. They were paid an honorarium of INR 150 (US $3) for compensating their time.

Data Collection

Indepth interviews were conducted by two female field interviewers recruited for the study. These female investigators were selected from Muzaffarpur district only because to make conversation in local Hindi dialect with the participants. They received 1-week training about the techniques for conducting indepth interviews. The PI and interviewers discussed together how to reach the migrant workers' wives, what information they need to collect, and how they would collect it.

An indepth interview guide was prepared which was approved by the Institutional Review Board of UCLA and Institutional Ethical Committee of ICMR, Patna. The guide was mainly focused on basic demographic information, sexual behavior, including premarital, marital, and extramarital, quality of marital relationship, gender roles, decision making within the family, peer networks, substance abuse, work-related activities, etc. The questions were of a general nature and not directed to their personal behaviors.

Indepth interviews were conducted in the local language, mainly a version of the Hindi language. All the interviews were tape recorded and were later translated into English by a professional Hindi-to-English translator. Both female interviewers conducted all the 24 interviews together dividing their job responsibilities between them; one of them was asking questions from the guide and recording the entire process using a tape recorder, another was taking down written notes simultaneously. Both were prompting participants during the interviews. All the participants were interviewed in a closed room provided by the head of the local Panchayat. The purpose of selecting this place was to make a neutral place where the extent of distractions during the interviews could be minimized.

Data Analysis

All the hand-written field notes and recorded interviews were taken at the time of each interview were collected from the female field interviewers. The hand-written field notes and the recorded interview were verified by the PI to ensure the completeness of the interview. Qualitative data from interviews were transcribed and translated by a trained translator. Sections of the transcripts were back-translated at random by a different member of the study team to test for quality. All transcripts were uploaded to NVIVO for thematic analysis based on the iterative steps of open coding, axial coding, and selective coding. The project map was created with NVIVO reflecting the hierarchy and relationships of various nodes.

Results

Almost 75% of the respondents (18 out of 24) had no agricultural land for farming, no cattle, or other means of livelihood. They were totally dependent on the income earned by their husbands.
Husbands' Profile: The husbands of the participants were working in other states or big cities like Kolkata, Delhi, Mumbai, Surat, Punjab, Haryana, Assam, Sikkim, and Bangalore as skilled worker, factory laborers, and fruit/vegetable vendor. The median duration of migration (in years) as told by the respondents was 10 years (range; 4-25 years). They visit home during festival time.

Discussion

The qualitative results from the indepth interviews helped in framing a general picture or view of migrant workers' wives about sociocultural practices related to marriage and sex in rural communities. Although the participants for indepth interviews were selected from the study population wives of migrant workers, the sample cannot be considered as representative of wives of migrant workers in the selected study district because of non-random selection. Nonetheless, it helped in generating some idea about the real scenario regarding sexual activity in the rural community.

Most of the north Indian states have a patriarchal family system where females have a very little or almost non-existent role to play in the decision-making process. The power to make decisions is completely vested into the bread earner or head of the family, mainly husband. Sex is considered a very sensitive issue and even wives feel very shy in discussing sex issue with their husband. Women do not feel comfortable in expressing their sexual desire or asking their husband to use a condom. Some of them had apprehensions of being physically abused by their husbands. Bihar is one of the leading states in India in terms of physical or sexual violence against women. A total of 60% of women, aged 15 to 49 years, are subjected to physical or sexual violence in Bihar against the national average of 37%.

As this study was conducted in a small and purposive sample of wives of migrant workers, its findings cannot be generalized across the district because of the study design and non-representative sample. This qualitative research helped to reveal some of the more nuanced cultural, social, and interpersonal shifting contexts of sexual behaviors of the wives of migrant workers or married women.

Patients with symptoms of sexually transmitted infections often come to family physicians. The patient expects that they will get the treatment in a professional and non-judgmental manner. Often such infections are as a result of various high risk activity such as sex with multiple partners and with commercial sex workers. The patient always shies away in revealing such activities and do not confide in their family physicians. The knowledge regarding the sexual activity, behavior, practices, and type of partner in rural inhabitants will provide insights to the family physician to take a detailed sexual history and to treat the infections in a holistic manner. It will also help family physician to understand the dynamic combination of biomedical, behavioral, and sociocultural factors that influence transmission of infection within marriage.

References:

1. Ghosh P, Arah OA, Talukdar A, Sur D, Babu GR, Sengupta P, et al. Factors associated with HIV infection among Indian women. Int J STD AIDS. 2011;22:140–5.
2. Ibid.
3. Wyatt GE, Gupta RN, Swaminathan S, Venkatesan P, Ranganath VJ, Wyatt L, et al. Factors that increase HIV risks to rural and urban women in India. International Conference of AIDS. 2004
4. Gangakhedkar RR, Bentley ME, Divekar AD, Gadkari D, Mehendale SM, Shepherd ME, et al. Spread of HIV infection in married monogamous women in India. JAMA. 1997;278:2090–2.
5. Mehta SH, Gupta A, Sahay S, Godbole SV, Joshi SN, Reynolds SJ, et al. High HIV prevalence among a high-risk subgroup of women attending sexually transmitted infection clinics in Pune, India. J Acquir Immune Defic Syndr. 2006;41:75–80.
6. Newmann S, Sarin P, Kumarasamy N, Amalraj E, Rogers M, Madhivanan P, et al. Marriage, monogamy and HIV: A profile of HIV-infected women in south India. Int J STD AIDS. 2000;11:250–3.
7. India has 139 million internal migrants. They must not be forgotten [Internet]. World Economic Forum. cited 2019 Feb 25. Available from:
8. Census of India Website : Office of the Registrar General & Census Commissioner, India [Internet] cited 2019 Feb 25. Available from:
9. Parrish S. Expert opinion: Sexual behaviour vs. Sexuality [Internet]. Longevity LIVE. 2014. cited 2019 Feb 25

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 4 | ISSN : 2582-0095

आय के विभिन्न स्रोत और आय–कर अधिनियम 1961

डॉ0 राज कुमार
एम.कॉम.,पीएच.डी. (वाणिज्य)
बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर (बिहार)

आय के अनेको स्रोत होते है। उन सभी स्रोतों को वर्ग में विभाजित कर अध्ययन करना सरल होगा। प्रारम्भ में आय कर अधिनियन में आय कर के लिए छः शीर्षक बनाए गए थें जो निम्न हैं :–

(1) वेतन
(2) मकान–सम्पत्ति से आय
(3) कर योग्य पूँजी सम्पत्ति से आय
(4) व्यापार एवं पेषे से आय
(5) प्रतिभूति से आय
(6) अन्य साधनों से आय
(7) वेतन से आय (Income from Salary)

आय के पाँच शीर्षक बनाये गये है जिसमें प्रथम स्थान वेतन से आय का है। सामान्य शब्दों में 'वेतन' शब्द उन नकद प्राप्तियों की ओर संकेत करता है जो एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता से प्राप्त होती हैं, किन्तु आय–कर अधिनियम में इसका अर्थ पृथक है। आय–कर की दृष्टि में किसी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को उनके द्वारा की गई सेवाओं के बदले में प्रति माह या समय–समय पर जो पारिश्रमिक दिया जाता है, वह वेतन कहलाता है। इस पारिश्रमिक में नकद राषियों के अतिरिक्त उन सुविधाओं का भी मौद्रिक मूल्य शामिल किया जाता है जो कर्मचारी को नियोक्ता से प्राप्त हुई है और जो कर योग्य है।

वेतन शीर्षक की आय के सम्बन्ध में आय–कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों की विस्तृत विवेचना करने से पूर्व वेतन के सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों (या नियमों) का वर्णन करना आवष्यक होगा जो निम्नलिखित है :–

(i). नियोक्ता एवं कर्मचारी का सम्बन्ध (Relationship of employer and employee)

वेतन शीर्षक में किसी भी आय को कर–योग्य होने के लिए यह अनिवार्य है कि आय का भुगतान करने वाला नियोक्ता, स्वामी या मालिक हो तथा प्राप्त करने वाला कर्मचारी या नौकर हो। यदि भुगतान कर्त्ता एवं भुगतान प्राप्तकर्त्ता में नियोक्ता और कर्मचारी का सम्बन्ध नहीं है तो ऐसा भुगतान वेतन शीर्षक में कर–योग्य नहीं होगा, जैसे – संचालक को प्राप्त फीस या कमीषन, षिक्षक को प्राप्त परीक्षा पारिश्रमिक, सांसद या विधायकों को प्राप्त वेतन आदि 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर–योग्य होते है।

अतः वेतन शीर्षक में किसी भी आय को तभी कर–योग्य माना जायेगा जबकि आय देनेवाला नियोक्ता है। नौकरी चाहे पूर्णकालिक (full time) हो अथवा अंष कालिक (part time), भारत में हो अथवा भारत के बाहर, मानसिक कार्य के लिए हो अथवा शारीरिक कार्य के लिए, इससे प्राप्त आय एवं सुविधायें वेतन शीर्षक में ही कर–योग्य होंगे। नियोक्ता के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, सरकार, सत्ता, कम्पनी, फर्म, संघ, संगठन, ट्रस्ट, क्लब अथवा किसी प्रकार की संस्था आदि सम्मिलित होती है।

(ii) वेतन के एक से अधिक स्रोत (More than one source of salary)

किसी भी करदाता को गत वर्ष में एक से अधिक नियोक्ता से वेतन प्राप्त हो सकता है। सभी नियोक्ताओं से प्राप्त वेतन 'वेतन' शीर्षक में ही कर–योग्य होगा और एक साथ ही इसकी गणना की जायेगी।

(iii) वेतन और मजदूरी (salary and wages)

सौद्धान्तिक एवं कानूनी रुप में वेतन ओर मजदूरी में कोई अंतर नहीं है। एक मजदूर को मिलने वाली मजदूरी तथा भारत के प्रधानमंत्री को मिलने वाला वेतन, दोनो ही 'वेतन' शीर्षक में कर–योग्य होते है। वैसे सामान्यतया मानसिक तथा गैर–शारीरिक कार्यों के बदले मिलने वाली राषि वेतन तथा शारीरिक परिश्रम के बदले मिलने वाली राषि मजदूरी कहलाती है। आय–कर की दृष्टि से वेतन और मजदूरी में काई अन्तर नहीं होता है।

(iv) स्वेच्छापूर्वक भुगतान (voluntary payments)

नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उसकी सेवाओं के प्रतिफल में किया गया प्रत्येक भुगतान (वेतन, अनुलाम एवं भत्ते) चाहे वह नियोक्ता ने अनुबन्ध के अन्तर्गत किया हो या स्वेच्छा से, वेतन शीर्षक में कर–योग्य होगा। कोई भी भुगतान केवल इस कारण कि इसका भुगतान नियोक्ता ने स्वेच्छा से किया है, वेतन शीर्षक में जोड़ने से नहीं छोड़ा जा सकता है।

(v) कर–मुक्त वेतन (Tax-free salary)

यदि कोई नियोक्ता कर्मचारी को 'कर–मुक्त' वेतन देता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि कर्मचारी के वेतन पर लगने वाला आय–कर नियोक्ता द्वारा दिया जायेगा, कर्मचारी द्वारा नहीं। ऐसी दषा में

कर्मचारी के वेतन शीर्षक में उसके द्वारा प्राप्त वेतन, अनुलाभ तथा भत्तों आदि के अतिरिक्त नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की ओर से चुकाया गया 'आय–कर' भी जोड़ा जायेगा क्योंकि नियोक्ता द्वारा आय–कर का भुगतान कर्मचारी के दायित्व का भुगतान है, अतः यह भी कर्मचारी के लिए वेतन का एक भाग है। साथ ही कर्मचारी की कुल आय पर निकाले गये, आय–कर में से नियोक्ता द्वारा देय आय–कर घटाकर जो राषि शेष बचती है, वही कर्मचारी द्वारा चुकानी पड़ेगी।

(vi) वेतन का त्याग या समर्पण (salary foregoing or surrendering)

आय–कर अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, वेतन पर 'देय आधार' (due basis) पर कर लगाया जाता है अर्थात् वेतन के देय होते ही उस पर कर देने का दायित्व उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई कर्मचारी अपने वेतन को त्याग देता है और नियोक्ता से भुगतान प्राप्त नहीं करता है तो भी वह अपने कर–दायित्व से नहीं बच सकता है। वेतन का त्याग वेतन का प्रयोग माना जाता है, अतः त्यागा गया वेतन भी करयोग्य आय में जोड़ा जाता है। लेकिन यदि एक कर्मचारी अपना वेतन Voluntary surrender at salaries (Exemption from Taxation) Act 1961 की धारा 2 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को समर्पित कर देता है तो ऐसा समर्पित वेतन उसकी कर–योग्य आय में नहीं जोड़ा जायेगा। इसी प्रकार कोई अन्य कर्मचारी भी, चाहे किसी भी संस्था में कार्य करे, यदि अपना वेतन जनहित में अथवा सरकार को समर्पित कर देता है तो ऐसा समर्पित वेतन उसकी कर–योग्य आय में नहीं जोड़ा जायेगा।

(vii) वेतन से की गई कटौतियाँ (Deductions from salary)

नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन में से की गई कटौतियाँ 'आय का प्रयोग' माना जाता है। अतः कर्मचारी की कुल आय में करदाता को प्राप्य वेतन (कटौतियों से पूर्व की राषि) ही जोड़ा जायेगा, प्राप्त वेतन नहीं। नियोक्ता ने ये कटौतियाँ, चाहे किसी प्रसंविदे के अन्तर्गत की हो अथवा स्वेच्छा से, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है। नियोक्ता द्वारा सामान्यतया निम्न कटौतियाँ की जाती है :–

(क) प्रॉविडेण्ट फण्ड में कर्मचारी के अंषदान की राषि
(ख) नियोक्ता के मकान में रहने की दषा में किराये की राषि
(ग) नियोक्ता से प्राप्त ऋण के ब्याज तथा मूलधन की किष्त की राषि।
(ध) कर्मचारी के बीमा के सम्बन्ध में प्रीमियम की राषि एवं अन्य कोई भी राषियाँ, जिन्हें नियोक्ता ने स्वयं या कर्मचारी के निर्देष पर काटा गया हो।

II भत्ते (Allowances)

एक वेतनभोगी कर्मचारी को अपने नियोक्ता से मूल वेतन के अतिरिक्त कुछ अन्य नकद प्राप्तियाँ होती है जो भत्ते कहलाते है। इनमें से कुछ भत्ते सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर–मुक्त होते है, जबकि कुछ भत्ते आंषिक सीमा तक या पूर्ण सीमा तक कर–योग्य होते हैं।

इस प्रकार आय–कर की दृष्टि से करदाता को प्राप्त समस्त भते को निम्न तीन भागों में विभक्त किये जा सकते है, जो निम्नलिखित है :–

[A] पूर्णतया कर–योग्य भत्ते (Fully Taxable Allowance) – एक करदाता को अपने नियोक्ता से प्राप्त निम्न भत्ते पूर्णतया कर–योग्य होते है, तथा इन भत्तों की सम्पूर्ण राषि करदाता के वेतन में जोड़ दी जाती है :–

(i) महँगाई भत्ता (Dearness Allowance) – नियोक्ता से कर्मचारी को प्राप्त महँगाई भत्ते की सम्पूर्ण रकम कर–योग्य है। प्रायः प्रतिष्ठानों में कर्मचारी को महँगाई भत्ते का भुगतान मूल वेतन के कुछ प्रतिषत के रुप में किया जाता है। मूल्यों में निरन्तर वृद्धि के कारण यह भत्ता काफी प्रचलित है। महँगाई भत्ता सेवा की शर्तो के अन्तर्गत हो सकता है और नहीं भी। यदि यह सेवा की शर्तो के अन्तर्गत है तो इसका आषय है कि यह भत्ता कर्मचारी के अवकाष ग्रहण सम्बन्धी लाभों एवं सुविधाओं में शामिल होगा।

(ii)अतिरिक्त महँगाई भत्ता (Additional Dearness Allowance) अतिरिक्त महँगाई भत्ता कोई विषेष शब्द नहीं है। एक निष्चित प्रतिषत से ज्यादा भत्ते को ही अतिरिक्त महँगाई भत्ता कहा जाता है।

(iii) महँगाई वेतन (Dearness pay) – यह भी नियोक्ता द्वारा महंगाई की क्षतिपूर्ति के उद्देष्य से कर्मचारी को दिया जाता है। यह सम्पूर्ण राषि कर–योग्य होता है। अतः इसे वेतन में जोड़ लिया जाता है। सामान्यतया महंगाई वेतन कर्मचारी को सेवा की शर्तो के अन्तर्गत दिया माना जाता है। इसलिए इसे सदैव मूल वेतन का ही भाग माना जाता है।

(iv) नगर क्षतिपूरक भत्ता (City Compensatory Allowance) – यह भत्ता बड़े नगरों में कार्यरत कर्मचारियों को वहाँ के स्तर के हिसाब से रहने के लिए व्ययों की क्षतिपूर्ति के रुप में दिया जाता है। यह भत्ता पूर्णतया कर–योग्य होता है।

(v) ग्रामीण भत्ता (Rural Allowance) – यह भत्ता, कर्मचारी को ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ सुविधाओं का अभाव है कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। भत्ते की सम्पूर्ण राषि कर–योग्य है।

(vi) प्रैक्टिस न करने का भत्ता (Non-Practising Allowance) यह सरकारी सेवा में कार्यरत चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस न करने के कारण उन्हे होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए दिया जाता है। भत्ते की सम्पूर्ण राषि कार–योग्य है।

(vii) चिकित्सा भत्ता (Medical Allowance) यह भत्ता कर्मचारियों को स्वयं के बीमारी पर या अपने परिवारजनों की बीमारी पर खर्च के लिए यह भत्ता प्राप्त होता है। कर्मचारी बीमारी पर खर्च करे या न करे यह भत्ता पूर्णतया कर–योग्य होता है।

(viii) नौकर भत्ता (Servant Allowance) उच्च पद पर कार्यरत करदाताओं को अपने स्तर के अनुकूल नौकर रखने पर किये गये व्ययों की क्षतिपूर्ति के लिए यह भत्ता नियोक्ता द्वारा दिया जाता है। भत्ते की सम्पूर्ण राषि कर–योग्य होती है।

(ix) प्रॉक्टर भत्ता (Proctor Allowance) कॉलेज एवं विष्वविद्यालय के प्रवक्ता या प्रोफेसरों को प्रॉक्टर (अनुषासक) के रुप में कार्य करने के लिए यह भत्ता दिया जाता है। इन्हे प्राप्त भत्ते की सम्पूर्ण राषि कर–योग्य होती है।

(x) वार्डन भत्ता (Wardenship Allowance) – षिक्षा संस्थाओं में छात्रावासों की देखरेख हेतु वार्डन नियुक्त होते है जिन्हें भत्ते के रुप में प्राप्त रकम पूर्णतया कर–योग्य होती है।

(xi) कुत्ता भत्ता (Dog Allowance) किसी–किसी सेवा में कर्मचारियों को कुत्ता पालने हेतु भत्ता प्रदान किया जा सकता है। इसकी सम्पूर्ण राषि कर–योग्य होगी।

(xii) अधिसमय भत्ता (Overtime Allowance) कर्मचारी द्वारा कार्य के सामान्य घण्टों के अतिरिक्त अपने कार्य में समय दिया जाता है। इसे अधिसमय कहते है। इस अतिरिक्त दिये गये समय के लिए कर्मचारियों को प्राप्त भत्ता अधिसमय भत्ता कहलाता है। इसकी सम्पूर्ण रकम कर्मचारी के वेतन में शामिल कर लिया जाता है।

(xiii) प्रतिनियुक्ति भत्ता (Deputation Allowance) एक कर्मचारी को एक विभाग से दूसरे विभाग या संस्था या अन्य स्थान पर कुछ समय के लिए भेजा जाता है। ऐसी दषा में उसे प्राप्त भत्ता प्रतिनियुक्ति भत्ता कहलाता है। यह भत्ता पूर्णतया कर योग्य होता है।

(xiv) जल – पान भत्ता (Tiffin Allowance) – कर्मचारियों के जल–पान के लिए दी गई एक नियमित स्थायी राषि जल–पान भत्ता कहलाता है। यह सम्पूर्ण कर–योग्य होता है।

(xv) पर्वतीय भत्ता (Hill Allowance) :– यह भत्ता पर्वतीय क्षेत्र में नौकरी करने वाले कर्मचारियों को दिया जाता है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा जीवन–निर्वाह लागत अधिक होता है। इस भत्ते की सम्पूर्ण राषि कर–योग्य होती है।

(xvi) अन्य भत्ते (other allowance) – उपर्युक्त भत्तों के अतिरिक्त और भी कई प्रकार के भत्ते हो सकते है जैसे – परिवार भत्ता, परियोजना भत्ता, विवाह भत्ता, मैदान भत्ता, बच्चों के लिए भत्ता, कपड़ों के लिए भत्ता, आदि। इन सभी भत्तों की सम्पूर्ण रकम कर्मचारी के लिए कर–योग्य होती है जिन्हे कर्मचारी के वेतन में शामिल कर ली जाती है।

B. आंषिक कर–योग्य भत्ते (Partially Taxable Allowance) कुछ भत्ते ऐसे होते हैं जिनकी सम्पूर्ण प्राप्त राषि न तो कर–योग्य होती है और न कर–मुक्त ही। ऐसे भत्तों की एक निष्चित राषि ही कर–मूक्त होती है; तथा शेष राषि कर–योग्य होती है; अतः ऐसे भत्तों को आंषिक कर–योग्य भत्ता कहते है। आंषिक कर–योग्य भत्ता वह भी माना जाएगा जिसकी सम्पूर्ण राषि कर्मचारी के वेतन में जोड़ लिया जाता है तथा कुछ शर्तो के अन्तर्गत सकल वेतन में से कर–मुक्त राषि को घटा दिया जाता है, जैसे – मनोरंजन भत्ता।

III. अनुलाभ (Perquisites)

एक वेतन भोगी कर्मचारी को अपने वेतन या मजदूरी के अतिरिक्त जो आकस्मिक प्राप्तियाँ या लाभ मिलते है, उन्हे 'अनुलाभ' कहा जाता है। संक्षेप में, ''अनुलाभ वे सुविधायें, लाभ एवं प्राप्तियाँ है, जो एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता से, नौकरी के दौरान, वेतन या मजदूरी के अतिरिक्त प्राप्त होता है।'' जैसे किसी कर्मचारी को निःषुल्क आवास मिला है या नियोक्ता से निःषुल्क बिजली, पानी, यातायात, नौकर, षिक्षा की सुविधायें आदि प्राप्त है तो ये सभी अनुलाभ है। वास्तव में, अनुलाभ मात्र कर्मचारियों के व्ययों की क्षतिपूर्ति के रुप में नहीं होते बल्कि यह तो एक अतिरिक्त लाभ है जो कर्मचारी की जेब में जाता है।

अनुलाभ वेतन शीर्षक के अन्तर्गत कर–योग्य होता है। लेकिन करदाता को प्राप्त 'अनुलाभ' तभी 'वेतन' शीर्षक में कर–योग्य होंगे जब वे निम्न शर्तो को पूरी करेंगे :–

1. अनुलाभ नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को दिये जायें। अन्य किसी से प्राप्त अनुलाभ 'व्यापार अथवा पेंषे के लाभ' या 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्षक में कर–योग्य होते है।
2. 'अनुलाभ' प्रत्यक्ष रुप से नौकरी से सम्बन्धि हो।
3. नौकरी के दौरान ही दिये गये हो। नौकरी के समापन के बाद दिये गये लाभ अनुलाभ नहीं माना जा सकता है।
4. अनुलाभ नियोक्ता से उसकी अनुमति एवं अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त किये गये है। यदि कोई कर्मचारी चोरी–छुपे कुछ सुविधायें प्रयुक्त करता है तो ये सुविधायें अनुलाभ नहीं होगी।

(IV) वेतन के स्थान पर लाभ (Profits in lieu of salay)

5. एक वेतन भोगी कर्मचारी के कर–योग्य वेतन की गणना करने से पहले सकल वेतन की गणना करनी होती है। सकल वेतन में वेतन, भत्ते, अनुलाभ व वेतन के स्थान, पर लाभ शामिल होते है। अब तक तीन मदों का विस्तृत वर्णन किया जा चुका है। अब यहाँ पर यह स्पष्ट करना आवष्यक है कि कर्मचारी को अपने नियोक्ता से वेतन के स्थान पर अन्य कौन–कौन से लाभ प्राप्त होते है।
6. वेतन के स्थान पर होने वाले लाभ नियमित रुप से प्राप्त नहीं होते है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि यह वेतन के स्थान पर कर्मचारी को दिया जाता है अर्थात कर्मचारी को वेतन मिलना बन्द हो जाता है, तो उसके स्थान पर ये राषियाँ दी जाती है।
7. आय–कर अधिनियम की धारा 17(3) के अनुसार वेतन के स्थान पर लाभ के कुछ उदारण निम्नलिखित है :–

8. (क) सेवा की शर्तो में परिवर्तन के फलस्वरुप प्राप्त क्षतिपूर्ति – यह सम्पूर्ण राषि कर–योग्य है। आय–कर अधिनियम की धारा 17(3) (i) के अन्तर्गत एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता या पूर्व–नियोक्ता से, सेवा समाप्त हो जाने या सेवा की शर्तो में परिवर्तन या संषोधन के फलस्वरुप प्राप्त रकम को 'वेतन के स्थान पर लाभ' के अन्तर्गत शामिल किया जाता है।
9. कर्मचारी की नौकरी उसके अवकाष ग्रहण, त्याग–पत्र, अथवा मृत्यु की वजह से भी समाप्त हो सकती है।
10. (ख) नौकरी से हटाने की सूचना – अवधि का वेतन – इसकी सम्पूर्ण राषि कर–योग्य होती है।
11. (ग) अप्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड से प्राप्त रकम – अप्रमाणित प्रॉविडेण्ट फण्ड की रकम में नियोक्ता का अंषदान व उस पर ब्याज शामिल होता है और यह दोनों रकमें कर–योग्य होगी।
12. (घ) Keyman जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त धन (बोनस सहित) 1–10–1996 से शामिल होगा।

संदर्भ सूची :

1. आयकर विधान एवं लेखे –डॉ0 बी.के. अग्रवाल
2. आयकर नियोजन एवम् धन कर–डॉ0 एच.सी. मैल्हौत्रा
3. दूरदर्शन समाचार
4. इन्टरनेट
5. आयकर विभाग
6. विभिन्न वर्ग के कर दाताओं से मुलाकात

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 4 | ISSN : 2582-0095

भारतीय राष्ट्रीय राजनीति और गाँधी के स्वराज्य की सामाजिक अवधारणा 1922–1934 : एक अध्ययन

डॉ0 रेखा कुमारी
एम.ए., पीएच.डी. (इतिहास)
बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय,
मुजफ्फरपुर (बिहार)

महात्मा गाँधी ने अपने भारतीय परिवेश से आर्य जीवन के शाश्वत सामाजिक मूल्यों को आत्मसात किया और उसे अपने व्यावहारिक जीवन में उतारने की कोशिश की। उन्होंने उन शाश्वत सामाजिक मूल्यों का समर्थन कतिपय पश्चिमी दार्शनिकों एवं साहित्यकारों के माध्यम से भी पाया। अन्य धर्मों की पवित्र पुस्तकों ने भी उन्हें भारतीय आर्य जीवन के शाश्वत सामाजिक एवं धार्मिक मूल्यों के प्रति लगाव एवं मजबूती प्रदान की। कुल मिलाकर अन्दर एवं बाहर के प्रभावों से महात्मा गाँधी के व्यक्तित्व का निर्माण हुआ और तदनुरूप उन्होंने एक सामाजिक धार्मिक दर्शन की अवधारणा विकसित की। बल्कि कहना चयह चाहिए कि उन्होंने उक्त दर्शन की व्यावहारिक प्रस्तुति के द्वारा ही अपना जीवन जीना शुरू किया और धीरे–धीरे उनके व्यावहारिक जीवन से ही दर्शन अनुस्यूत होना शुरू हुआ। उनके व्यावहारिक जीवन को देख एवं परखकर ही बाद के विद्वानों व विचारकों ने उनके जीवन को देख एवं परखकर ही बाद के विद्वानों व विचारकों ने उनके जीवन के दार्शनिक पक्षों की अवधारणा विकसित की एवं उसकी व्याख्या प्रस्तुत की। उक्त आधार को हम उनके राजनीतिक जीवन से जुड़ी अवधारणाओं को रेखांकित कर उनका आकलन करते हैं। उन्हीं अवधारणाओं में एक अवधारणा है उनका स्वराज्य एवं तद्सम्बन्धी उनकी सामाजिक अवधारणा।

महात्मा गाँधी ने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा और स्वयं महसूस किया कि दुनिया में मनुष्यों की कई श्रेणियाँ हैं और मनुष्यों ने अपनी–अपनी श्रेणियों के बीच आपसी समझौता कर कई सामाजिक समूह बना लिया है। उन्हें यह देखने को मिला कि मनुष्य अपनी–अपनी श्रेणी के बीच आपसी भाईचारा के बतौर तो रह रहा है पर वह दूसरे मनुष्य की श्रेणी या समूह के प्रति दुश्मन जैसा बर्ताव करता है, आपसी वैर–भाव एवं घृणा का वातावरण पैदा करता है। यह सब कुछ महात्मा गाँधी के बाल एवं किशोर व्यक्तित्व में उन सिद्धांतों के खिलाफ था जिन्हें उन्होंने अपने परिवार, परिवेश एवं भारतीय सांस्कृतिक जीवन से ग्रहण किया था। अतः उनके मन–मस्तिष्क में एक अन्तर्द्वन्द्व की स्थिति पैदा हुई और उन्होंने यह सोचा कि क्यों नहीं भारतीय संस्कृति एवं धर्म–दर्शन की जो बातें हैं उनका सामाजिक व्यावहारीकरण किया जाए। इसका पहला प्रयोग करने का अवसर उन्हें दक्षिण अफ्रीका में मिला और बहुत हद तक वे अपनी सोच में सफल भी रहे। शीघ्र ही उन्हें इसका प्रयोग करने का अवसर अपनी मातृभूमि भारत में भी प्राप्त हुआ जब उन्होंने अफ्रीका की तर्ज पर 1917 में भारत के एक सुदूर क्षेत्र चम्पारण में सामाजिक–आर्थिक मामलों को लेकर सत्याग्रह शुरू किया। इसके पूर्व ही उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘हिन्द स्वराज्य’ में अपनी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अवधारणाओं की एक सोच विकसित की थी। इसी सोच के तहत् उन्होंने ‘स्वराज्य’ के बारे में कई तरह से सामाजिक जीवन को समझने और समझाने की कोशिश की। महात्मा गाँधी द्वारा चलाये गये राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलनों के मध्य उनके स्वराज्य की सामाजिक अवधारणाओं का तारतम्य प्राप्त कर सके। इस संबंध में सारांशतः उल्लेख करना है कि ‘स्वराज्य’ शब्द महात्मा गाँधी के लिए मात्र एक राजनीतिक शब्दावली न होकर एक पवित्र धार्मिक शब्द था जिसका जड़ आर्य संस्कृति के त्याग रूपी जीवन दर्शन में जमी थी। उन्होंने माना कि जब जीवन में त्याग, सत्य, अहिंसा एवं भाईचारा की भावना आ जाए तो सामाजिक जीवन में राज्य के हस्तक्षेप की बात कम से कम हो जायेगी। अगर प्रत्येक व्यक्ति आत्मसंयम एवं त्याग का जीवन जीना शुरू कर देगा तो ही सही अर्थों में ‘स्वराज्य’ स्थापित होगा। जीवन के इस उच्चतम आदर्श को

उन्होंने तत्कालीन भारतीय परिवेश में लागू करने हेतु तत्कालीन भारतीय परिवेश के मुताबिक व्याख्या की ओर कहा कि 'स्वराज्य' की उक्त सामाजिक अवधारणा का व्यावहारीकरण तभी संभव होगा जब भारतीय समाज विदेशी शासन से पूरी तरह स्वतंत्र हो तो कैसे ? क्या वह स्वतंत्रा के लिए उन मार्गों को अनुशीलन कर जिसे पश्चिमी समाज ने रक्तरंजित क्रांतियों के द्वारा किया था।? इसके उत्तर में उन्होंने भारतीय संस्कृति के आधार स्तम्भ अहिंसा और सत्याग्रह को चुना और साध्य के साथ–साथ साधन की पवित्रता एवं श्रेष्ठता के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित किया। लेकिन सिर्फ सिद्धांतों के बयान से ही हमारा काम नहीं चलने वाला था। इसके लिए व्यवहार जरूरी था और महात्मा गाँधी ने अपने स्वराज्य की राजनीतिक अवधारणा के व्यावहारिक प्रकटीकरण के लिए सत्य एवं अहिंसा पर आधारित राष्ट्रीय प्रयोग किये। राष्ट्रीय प्रयोग के राजनीतिक सफाया के बाद भी स्वतंत्र भारत में सामाजिक स्वराज्य की जरूरत होती। इसके लिए उन्होंने यह जरूरी समझा कि उसकी सही तस्वीर भारतीय नागरिक के मन–मष्तिष्क में हो। इसके लिए उन्होंने अपने 'स्वराज्य' की सामाजिक अवधारणाओं के प्रति विस्तृत व्याख्याएँ कीं, ताकि लोग उनके 'स्वराज्य' की सही पहचान कर उसकी प्राप्ति के प्रति प्रयत्नशील हो। इस संदर्भ में उन्होंने मूलतः भारतीय संस्कृति की विरासतों के प्रति ही लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जिनमें समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था तो होगी पर उसके अंदर जो विकृतियाँ आ गई है उन्हें दूर करना होगा। परिस्थितियों के दबाव से भारतीय समाज में जो विविधताएँ आ गयी हैं उन्हें स्वीकार करके यहाँ के विभिन्न सम्प्रदायों में धार्मिक प्रेम–भाव पैदा करते रहना होगा। समाज के विभिन्न स्तरों पर आर्थिक समझौतापरक अर्थतंत्र विकसित करना होगा, अनावश्यक यंत्रीकरण से दूर रहकर गाँवों को छोटे–छोटे उद्योगों के द्वारा विकसित कर ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जो एक दूसरे से न सिर्फ अधिक प्रश्नों से जुड़ा हुआ हो, पर उनमें सांस्कृतिक भाईचारा भी हो। इन सबों के लिए उन्हें भारतीय आर्य संस्कृति में व्याप्त सत्य, अहिंसा, प्रेम, करूणा, त्याग एवं विश्व–बंधुत्व की भावना के प्रति सच्चा समर्पण दिखाना होगा। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर एक सच्चे 'स्वराज्य

का निर्माण संभव हो सकेगा और एक स्वस्थ्य एवं प्रगतिशील भारतीय समाज का निर्माण संभव हो सकेगा।

महात्मा गाँधी द्वारा चलाये गये असहयोग आंदोलन के राजनीतिक पक्ष का व्यौरा प्रस्तुत किया गया है। राजनीतिक तौर पर महात्मा गाँधी भारत में ब्रितानी सरकार से सहयोग कर रहे थे। ऐसा वे इस आशा में कर रहे थे कि भारतीय जनता के सहयोग से प्रभावित होकर ब्रितानी सरकार भारतीयों को स्वशासन के मामलों में और भी अधिक विस्तृत सुविधा मुहैया करायेगी। लेकिन उनकी आशा के विपरीत जब ब्रितानी सरकार का राजनीतिक शिकंजा भारत पर और भी बढ़ और भारतीय सहयोगी जनता को जब रौलेट एक्ट जैसा काला कानून एवं जलियावाला बाग हत्याकांड देखना पड़ा तो महात्मा गाँधी का अंग्रेजी सरकार की नेकनियर्ती पर से विश्वास उठ गया। उन्होंने सहयोग से असहयोग का मार्ग अपनाया।

महात्मा गाँधी ने अंग्रेजी सरकार के विरूद्ध असहयोग का जो आंदोलन चलाया उसके प्रति वे इस बात के प्रति हमेशा सतर्क रहे कि कहीं इस राजनीतिक आंदोलन में उनकी जनता हिंसक न हो उठे, क्योंकि अगर जनता ने हिंसा का रास्ता अपनाया तो भारत जैसे विविधता एवं सामाजिक कायिक बहुलतावाले समाज में स्वतंत्रता के बाद, अनेक समस्याएँ पैदा होगी, क्योंकि सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता से ही भारत की समस्याओं का निदान नहीं होने वाला था।

अतः उन्होंने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि भारत की जनता ने हिंसा के प्रति लगाव पैदा न हो। इसी अवधारणा का एक दूसरा विधायक रूप समाज के विभिन्न घटकों में आपसी प्रेम एवं एकता का संदेश देना भी इस आंदोलन का एक प्रमुख सामाजिक उद्देश्य था जिसे बापू ने असहयोग के साथ खिलाफत के प्रश्न को जोड़कर किया। दूसरे शब्दों में हिन्दू–मुस्लिम एकता की बात करके और इस दिशा में प्रयत्न भी किया। इसी तरह सामाजिक एकता एवं समरसता के और भी प्रयत्न किये।

महात्मा गाँधी ने अपने 'स्वराज्य' की सामाजिक अवधारणाओं के प्रति असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को अपनी सारी भूल का अहसास

तो हुआ और उन्होंने आंदोलन स्थगित तो कर दिया, परंतु भारतीय जनता की अच्छी प्रवृत्ति के प्रति उनका विश्वास नहीं टूटा। जरूरत इस बात की थी कि और अधिक अच्छी तरह से उन्हें शिक्षित किया जाए। महात्मा गांधी को अपने अच्छे शिक्षक होने का अटूट विश्वास था और भारतीय जनता के अच्छे विद्यार्थी होने में भी। इसके लिए उन्होंने अपनी सामाजिक अवधारणाओं को भारतीय मन में गहरा उतारने के लिए रचनात्मक कार्यक्रमों की रणनीति में अपने को उतारा।

संदर्भ सूची :

1. जे.बी. कृपलानी, महात्मा गाँधी, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, 1978, पृ. 315–317.
2. महात्मा गाँधी, मेरे सपनों का भारत, नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद, 1989, पृ.20.
3. चुने हुए पत्र, नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद, 1,40.
4. भारत सचिव के नाम वायसरॉय रीडिंग का पत्र 13 अक्टूबर, रीडिंग कलेक्शन, सुमित सरकार, पूर्वोक्त में उधृत, पृ. 215.
5. यंग इण्डिया.
6. यंग इंडिया 11 अगस्त 20
7. होम पोलिटिकल फाइल, फरवरी 1921 सं. 13 एन.ए. आर्क, नई दिल्ली.
8. उदाहरणार्थ बिहार में स्वामी विद्यानन्द तथा स्वामी सहजानन्द की उक्तियाँ को देखें, स्टीफेन हेनिंघम, पिजेन्ट मूभमेंट इन कोलोनियल इंडिया, ए.एन.यू. 1982, पृ. 74 स्वामी सहजानन्द, मेरा जीवन संघर्ष, (स0) अवधेश प्रधान, ग्रंथ शिल्पी, 2000, पृ. 226.

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 4 | ISSN : 2582-0095

उच्च माध्यमिक स्तर के शहरी विद्यार्थियो एवं ग्रामीण विद्यार्थियो के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन

निधि कुमारी
शोध छात्रा, षिक्षाषास्त्र, नेहरू ग्राम भारती विश्वद्यालय, प्रयागराज, उ0 प्र0

प्रस्तावना

षिक्षामानव के विकास में एक साधन के रूप में कार्य करती है षिक्षा ग्रहण कर मनुष्य सभ्य नागरिक बनकर समाज एवं राप्ट्र के निर्माण में सहायक है । जिस प्रकार माता.पिता बच्चे का पालन पोपण करते है जिस प्रकार सूर्य के प्रकाष में पौधे खिल उठते है एवं प्रकाष न मिलने पर सूख जाते है उसी प्रकार व्यक्ति षिक्षा द्वारा फूल के समान खिल जाता है और षिक्षा न मिलने पर वह अपने को इस समाज में अन्य लोगो की अपेक्षा हेय दृप्टि से देखता है । षिक्षा माता के समान पालन एवं पिता के समान उचित मार्गदर्षन प्रदान करती है ।

किषोरावस्था में बालक माध्यमिक स्तर की षिक्षा प्राप्त करता है । कक्षा 11 और 12 को उच्च माध्यमिक स्तर की षिक्षा के रूप में जाना जाता है । माध्यमिक षिक्षा का बालक के व्यक्तिगत, षैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक पर प्रभाव पडता है ।

बालक जब किसी विद्यालय में प्रवेष करता है तब से ही वह समायोजन करना प्रारम्भ कर देता है । समायोजित बालक सदैव प्रगति की ओर अग्रसर होता है । संघर्प पर विजय प्राप्त करने की प्रवृति समायोजन की स्थिति को दर्षाती है । बालक को षारीरिक, भौतिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक आवष्यकताओ की पूति हेतु समायोजन की आवष्यकता होती है । बालक को अपने षैक्षिक विकास हेतु विद्यालय, पाठ्यक्रम एव सहपाठियो से समायोजन, सामाजिक जीवन हेत समुदाय एवं पडोसियो से मधुर सम्बन्ध हेतु एवं संवेगात्मक रूप से सन्तुलित रहने हेतु समायोजन की आवष्यकता पडती है ।

उद्देष्य

1. उच्च माध्यमिक स्तर के शहरी विद्यार्थियो एवं ग्रामीण विद्यार्थियो के समायोजन का अध्ययन करना।

परिकल्पना

1. उच्च माध्यमिक स्तर के शहरी विद्यार्थियो एवं ग्रामीण विद्यार्थियो के समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नही है ।

प्रस्तुत षोध अध्ययन में वर्णात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है षोध हेतु स्तरीकृत यादृच्छिक विधि द्वारा उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यालयो में अध्ययनरत् 50 षहरी विद्यार्थियो एवं 50 ग्रामीण विद्यार्थियो का चयन अध्ययन से सम्बिन्धित उद्देष्यो की पूर्ति हेतु किया गया है साख्यिकी विधियों के अर्न्तगत मध्यमान मानक विचलन, मानक त्रुटि एवं टी मूल्य का प्रयोग किया गया है ।

अध्ययन की सीमाएं

1. प्रस्तुत षोध प्रयागराज जनपद के विद्यार्थियो तक ही सीमित है ।
2. प्रस्तुत अध्ययन हेतु उच्च माध्यमिक स्तर के कक्षा 11 और 12 वर्प के षहरी एंव ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियो तक ही सीमित है ।

प्रदत्तो का प्रस्तुतीकरण, विष्लेपण एवं व्याख्या

उच्च माध्यमिक स्तर के शहरी विद्यार्थियो एवं ग्रामीण विद्यार्थियो के समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नही है ।

सारणी संख्या–1.0.

उच्च माध्यमिक स्तर के शहरी विद्यार्थियो एवं ग्रामीण विद्यार्थियो के समायोजन में अन्तर को दर्शाते मध्यमान, मानक विचलन एवं टी–अनुपात

समूह	N	मध्यमान	मानक विचलन	मानक त्रुटि	df	C.R	सारणी मान
षहरी छात्र	50	150.2	16.98	3.34	98	4.37	t=.05=1.97
षहरी छात्राएँ	50	137.5	16.28				T=.01=2.60
निष्कर्ष	शून्य परिकल्पना........................दोनो स्तरो पर अस्वीकृत						

*df (.05) तथा (.01) पर सार्थक

चूकि C.R = 4.37 का मान df 98 पर df (.05) तथा (.01) पर सार्थकता स्तरो के सारणी मान कमष 1.97 व 2.60 से अधिक है अतः मध्यमानों में अन्तर दोनो स्तरो .05 तथा .01 पर सार्थक है अतः शून्य परिकल्पना *'उच्च माध्यमिक स्तर के शहरी विद्यार्थियो एवं ग्रामीण विद्यार्थियो के समायोजन में कोई सार्थक अन्तर* नही *है'* अस्वीकृत होती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. दुबे डाॅ0 मनीप एवं दुबे डॉ0 विभा, उदीयमान भारती समाज में षिक्षक, षारदा पुस्तक भवन, यूनिवर्सिटी रोड, प्रयागराज
2. कबीर एच 1995, स्वतन्त्र भारत में षिक्षा, राजपूत प्रकाषन, दिल्ली
3. कपिल, एच. के. 2000. सांख्यिक के मूल तत्व, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 4 | ISSN : 2582-0095

आश्रमाणां व्यवस्थापकाः वेदाः

डॉ. सुभाष चन्द्र मीणा
सहायकाचार्यः (व्याकरण विभागे)
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
क.जे- सोमैया परिसर मुम्बई, भारत।

सारांशः– संन्यासाश्रमः निवृत्तेः पूर्णचरितार्थता अस्ति। व्रतस्य प्रारम्भः ब्रह्मचर्याश्रमे अभवत् तस्य एषा व्यवस्था अत्यन्तम् उदारशीला वैज्ञिकसिद्धान्ताधारिता च अस्ति। अनया व्यवस्थया एकतः तु मनुष्यस्य शारीरिक-आध्यात्मिक-बौद्धिक-मानसिकक्षमतानां पूर्वविकासः भवति, द्वितीयतः तस्य बाह्यातरिकेन्द्रियाणां बुद्धेश्च पूर्णतृप्तिः भवति। अनेन राष्ट्रस्य न केवलं वैयक्तिकः अपितु समष्टिगतः विकासः बाधारहितः सामञ्जस्यपूर्ण च भवति। एते चत्वारः आश्रमा प्राचीनभारतस्य जीवनदायी आत्मा अस्ति।

मुख्यशब्दः– आश्रमाणां,व्यवस्थापकाः, वेदाः, संन्यासाश्रमः, चत्वारः।

प्रस्तावना -

शैशवेऽभ्यस्तविधानं यौवने विषयैषिणाम्।
वार्द्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्।।

'शतायुर्वै पुरूषः' इति प्रायोवादानुसारं मानवजीवनं शतवार्षिकम् अस्ति, सर्वेऽपि शतायुर्व भवितुमर्हति। जिजीविषेदैकैकोऽपि शतं समा इति भारतीय संस्कृतिरिदं शतवार्षिकं मानवजीवनं चतुर्षु भागेषु विभाजयति। त इमे भागा 'आश्रम' पदेनाभिधीयन्ते। ब्रह्मचर्य-ग्रहस्थ-वानप्रस्थ-सन्यासाश्च चत्वार एते आश्रमाः। सर्वोऽपि लोकेः स्ववयोऽनुरूपाश्रममाक्षयेत्। तदाश्रमनिर्दिष्ट नियमान् पालयेत् इति च पूर्वं व्यवस्था परिकल्पिताऽसीत्। आश्रमे मानवाः स्वजीवनस्य

व्यवस्थितरूपेण जीवनं निर्वह्नं करोति। स्वस्य सम्पूर्णं विकासं प्राप्नोति। अर्थात् एकं व्यवस्थितं जीवनस्य यापनं करोति सैव आश्रमाः।

यतो यतः समीहसे ततो नो अभयङ्कुरू।
शन्नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः।।

सर्वेभ्योऽभयम् अर्थात् सर्वेषां कृते सर्वस्मात् च। मनुष्याणां भयं कस्मात् मुख्यरूपेण मनुव्यादेव। अतः मनुष्याणां सर्वकल्याणकारिणी अभयप्रदायिनी व्यवस्था एव समाज इति कथ्यते। समाजः मनुष्याणां समुदायस्य कृते प्रयुज्यते, मनुष्योतरप्राणिनां समूहस्य समजः इति कथ्यते। यथा उक्तं काशिकायाम् -

समुदोरजः पशुषु - समजः पशूनाम्। समुदाय इत्यर्थः।
पशुषु इति किम् समाजो ब्राह्मणानाम्।।

वेददृष्ट्या सर्वे मनुष्याः परस्परं मित्रवत् (सखावत्) सन्ति तथा तेषु मित्रतायाः भावः भवेत् न केवलं मनुष्यान् प्रति अपितु समस्तप्राणिमात्रं प्रति। अत व उक्तं यजुर्वेदे -

दृते दृतं मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। मित्रस्याहं
चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे।।

वैदिकी सामाजिक-सांस्कृतिकव्यवस्था मानवीयेति ह्रासे उत्कृष्टतमा आसीत् या ईश्वरीसिद्धान्ताधारिता निर्दिष्टा च आसीत्। मनुष्यस्य सुखं, शान्तिः समृद्धिश्च सर्वे सामाजिक धर्मसम्बद्धाः सन्ति। सामाजिकं सौख्यं शान्तिश्चैव मनुष्यस्य वैयक्तिकं सौख्यं शान्तिश्च। एषा एव संस्कृतिः यस्यां जीवन् मानवः निरन्तरं कल्यापथि अग्रेसरोऽभवत्, बीजरूपं पारस्परिकसौहार्दः सामाजिकसमरसता च विकसित् वृक्षरूपे अस्यामेव जीवन् मानवः धर्मार्थकाममोक्षरूपं पुरुषार्थ चतुष्ट्यं सम्प्राप्य जीवनस्य पूर्णत्वम् अधिगतवान्। वैदिकसमाजव्यवस्थायाः प्रमुखधारा आसीत् वर्णाश्रमव्यवस्था। वर्णाश्रमव्यवस्थायामेव सर्वेषां प्राणिनां सर्वे कर्तव्याधिकाराः वर्णिताः। वर्णव्यवस्थया अनुशासितस्वतन्त्रसमाजस्य राष्ट्रस्य च स्वरपरक्षायै आवश्यकमस्ति यत् तस्य राष्ट्रस्य जनाः पूर्णतया प्रतिष्ठिताः सर्वप्रकारेण च विकसिताः स्युः। अप्रतिष्ठित-अयोग्य-अमर्यादाहीन-जनानां समष्टिः कदापि समाजसापेक्षणवर्णधर्मस्य पालनं कर्तुं न शक्नोति। अत एव वैदिककालीनमहर्षिभिः समाजस्या स्वरूपक्षायै वर्णव्यवस्थता सह व्यक्तेः। स्वरूपरक्षायै आश्रमव्यवस्थायाः निर्माणं निर्धारणं च कृतम्।

वर्णविभागः एकः महायज्ञः अस्ति एवञ्च समस्तं राष्ट्रम् अनेन सम्बद्धम् अस्ति। वर्णव्यवस्था न तु एकेकैन पृथक् रूपेण साध्या, एतस्मादेव अस्याः सङ्गतनाय कर्तारः चतुर्षु विभागेषु विभक्ताः, किन्तु आश्रमव्यवस्था व्यक्तिसम्बद्धाऽस्ति। एवं प्रत्येकं व्यक्तेः जीवने चत्वारि स्वतन्त्रकर्माणि सन्ति। परन्तु एतेषां चतुर्णाम् उद्देश्यानि भिन्नानि, अत एतेषां सममेव अवस्थितिः असम्भवा। अत एव व्यक्तिगत आत्मशक्तिनां विकासाय मानवः यद् अनुष्ठानं करोति, तस्य चतुर्षु भागेषु विभाजनं कृत्वा स्वजीवनकाले एव क्रमशः चतुर्णामेव शक्तीनां विकासं करोति, अर्थात् एक एव जनः स्वजीवने समयानुसारं चतुर्णाम् एव आश्रमाणां पालनं करोति।

जाबालोनिषद अपि उक्तमस्ति -

स होवाच याज्ञवल्क्यः - ब्रह्मचर्य समाप्य।

गृही भूत्वा वनी भवेत्, वनी भूत्वा प्रव्रजेत्।।[5]

ऋषिदयानन्देनं स्वऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायाम् आश्रमाणां विषये लिखितमस्ति -

आश्रमा अपि चत्वारः सन्ति - ब्रह्मचर्यग्रहस्थवानप्रस्थासंन्यासभेदात् ब्रह्मचर्येण सद्विधा शिक्षा च ग्राह्या। गृहाश्रमेणोत्तमाचरणानां श्रेष्ठानां पदार्थानां चोन्नति कार्या। वानप्रस्थेनैकान्तसेवनं ब्रह्मोपासनं विद्याफलविचारणादि च कार्यम्। संन्यासेन परब्रह्ममोक्षपरमानन्दप्रापणं क्रियते। सदुपदेशेन सर्वस्मै आनन्ददानं चेत्यादि, चतुर्भिराश्रमेर्धर्मकाममोक्षाणां सम्यक् सिद्धिः सम्पादनीया।

ब्रह्मचर्याश्रमः - ऋग्वेदे दशमण्डले ब्रह्मचर्याश्रमस्य महिमा वर्णितोऽस्ति तथा-

ब्रह्मचारी चरति वेविषद्विषः स वेदानां भवत्येकमङ्गम्।

तेन जायामन्वविन्दद् बृहस्पतिः सोमेन नीतां जुह्वं न देवाः।।[6]

ऋग्वेदस्य पर्यालोचनेन ज्ञायते यत् सर्वैः ब्रह्मचर्याश्रमः अपरिहार्यत्वेन परिपालनीयोऽस्ति। ग्रहस्थादयस्तु त्रयः आश्रमाः ऐच्छिका एव आसन्। ऋग्वेदे ब्रह्मचर्याश्रमे ब्रह्मचारिणः स द्विद्यासुशिक्षादीनां शुभगुणानां सम्यक्प्रकारेण ग्रहणं कुर्वन्ति। ब्रह्मचर्याश्रमस्य विविधानानां विषये अथर्ववेदेऽपि उक्तं अस्ति -

आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः।

तं रात्रीस्तस्र उदरे बिभर्त्ति तं जातं द्रजुमभिसंयन्ति देवाः।।

इयं समित्पृथिवा द्यौर्द्वितीतान्तरिक्षं समिधा पृणाति।

ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकांस्तपसा पिपर्त्ति।।
पूर्वो जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी धर्मं वसानस्तवानोदतिष्ठत्।
तस्माज्जातं ब्राह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठं देवाश्च सर्वे अमृतेन साकम्।।[7]

अर्थात् गर्भेस्थित्वा मातृपित्रोः संयोगेन यत् जन्म भवति, तत् मनुष्यस्य प्रथमं जन्म इति। द्वितीयं जन्म भवति यदा आचार्यः पिता विद्या च माता भवतः। अस्य जन्मनः अभावे मनुष्यः मनुष्यत्वहीनः भवति। बालकः बालिका वा अष्टमे वर्षे पाठशालां प्रविश्य आचार्यसमीपं गत्वा ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी वा भवति। आचार्यः त्रिरात्रिपर्यन्तं तं गर्भो संरक्ष्य आराम्भिकं ईश्वरोपासाना-धर्म-पारस्परिक विद्याऽध्ययनादिकं ज्ञानं प्रददाति। यः ब्रह्मचारी पूर्णतया सम्पठ्य अध्ययनं करोति, स पुरूषार्थी भूत्वा सर्वेषां मनुष्याणां कल्याणं करोति।

ब्रह्मचारी ज्ञानप्रकाशयुक्तः तपस्वी, दीर्घश्मश्रुतधारी प्राण-लोक परमेश्वरादिसम्बद्धविद्यानां जिज्ञासुः अविद्यायाश्छेदको भवति। यथा सूर्यः परमेश्वरस्य नियमेषु संस्थित्य समस्त लोकान् प्रकाशयति तथैव मनुष्यः ज्ञानवान् भवति। ब्रह्मचारी प्रतिदिनं सन्ध्योपासना पवित्रं सात्त्विकं च आहारविहारं कुर्वन् अध्ययनं कुर्यात्। ब्रह्मचर्यं त्रिविधं भवति।
1. कनिष्ठ ब्रह्मचर्यं - 24 वर्षपर्यन्तम्, 2. मध्यमब्रह्मचर्यं - 44 वर्षपर्यन्तम्, 3. उत्तमब्रह्मचर्यं - 48 वर्षपर्यन्तम्

ब्रह्मचर्याश्रमः ब्रह्मदानत्वाद् अन्याश्रमेभ्यो विशिष्यते, एत एव उक्तम् -

सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते।
वार्यन्नगोमहीवासस्ति लकाश्च न सर्पिषाम्।।[8]

अतः एव यावच्छक्यं तावत् तन-मनः धनैः विद्यायाः वृद्धिः करणीया। यस्मिन् देशे यथायोग्यं ब्रह्मचर्य-विद्या-वेदोक्तधर्मादीनां प्रचारः भवति, असावेव देशः सौभाग्यवान् भवति।

गृहस्थाश्रमः - मनुमतेन यः अक्षटयस्वर्गस्य कामनां करोति, सः प्रयत्पूर्वकं गृहस्थाश्रमस्य पालनं कुर्यात्। महाभारतेऽपि गृहस्थाश्रमस्य उत्कर्षं प्रतिपादयन् उक्तम् यत् यथा मातरम् आश्रित्य सर्वे प्राणिनः जीवन्ति तथैव गृहस्थाश्रमाश्रित्य सर्वे आश्रमाः।

यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः।
एवं गृहस्थमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति भिक्षवः।।[9]

गृहस्थाश्रमस्य विधिविषये यजुर्वेदे उक्तमस्ति -

यत् ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये।
यदेनश्यकृमा वयमिदं तदवयजामहे स्वाहा।।
देहि मे ददामि ते नि मे धेहि नि ते दधे।
निहारं च हरासि मे निहारं निहराणि ते स्वाहा।।
गृहा मे बिभीत मा वेपध्वमूर्जं बिभ्रत एमसि।
ऊर्जं विभ्रिद्वः सुमनाः समेधा गृहानौमि मनसा मोदमानः।।
येषामध्येति प्रवसन्येषु सौमनसो बहुः।
गृहानुपह्वयामहे ते नो जानन्तु जानतः।।
अपहूता इह गाव उपहूता अजावयः।
अथो अन्नस्य कीलाल उपहूतो गृहेषु नः।।
क्षेमाय वः शान्त्यै प्रपद्ये शिवं राग्मं शंयोः शंयोः।।[10]

सामाजिकनियमेषु स्थित्वा सत्यव्यवहारपूर्वकम् आदानप्रदानं कथनोपकथनं करणीयम्। अर्थात् कथमपि मिथ्याव्यवहारः न करणीयः। गृहस्थिनः निम्नप्रमुखकर्तव्याणि अपि भवन्ति -

पुरूषार्थचतुष्टयस्य प्राप्तिः, ऋणत्रयात् मुक्तिः, महायज्ञानां सम्पादनम्, पारिवारिकसौभनस्यम्, मानवीयजीवनदर्शनस्य उपलब्धिः वैयक्तिकोत्थानम्, सर्वाङ्गीणव्यक्तित्वस्य निर्माणम्, भौतिकसुखापेक्षया आध्यात्मिक सुखस्य श्रेष्ठत्वप्रतिपादनम् मानवस्य व्यावहारिकनिर्माणं करणार्थं प्रयासरथाः इत्यादयः।

विवाहसंस्कारानन्तरं स्नातकाः गृहस्थाः भवति। गृहस्थाश्रमः विविधप्रकारकैः उत्तरदायित्वे युक्तमस्ति। अत्र मनुष्याणां महत्वपूर्णं आश्रमः वर्वते। पञ्चमहायज्ञानाम् अनुष्ठानं तेषां मुख्यकर्तव्यमस्ति। ग्रहस्थे स्वपरिवारजनस्य पालपोषणं निर्वहनं करोति। उक्त च वशिष्ठेन -

यथा नदीनदाः सर्वे समुर्दे यान्ति संस्थितिम्।
एवमाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्।।[11]

वानप्रस्थाश्रमः - ब्रह्मचर्यं गृहस्थं च पूर्णं कृत्वा वानप्रस्थस्य दीक्षा प्राप्तव्या। मोक्षप्राप्तिः मानवाजीवनस्य चरमलक्ष्यम्। वानप्रस्थे च मानवः मोक्षाभिमुखी भवितुं प्रयतते। नियमानुष्ठाने, त्यागे तपस्यायां च क्रमशः वृर्द्धिं कुर्वन्तः संन्यास आश्रमधारस्य योग्यता लभन्ते। वार्द्धम्ये समागते पत्नी पुत्रेषु विसृज्य अथवा तया साकं धर्माचरणाय ब्रह्मसाक्षात्काराय च वनं गच्छेत्। तत्र च

नित्यम् आत्मपरमात्मनोः तत्वं विचिन्तयन् संसारबन्धनाद्विषण्णो भवेत्। विषयोसेवनस्य परित्याग आश्रमस्यास्य प्रथमं कर्त्तव्यम्। मनुस्मृतौ अपि उक्तमस्ति -

एवं गृहस्थाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नतको द्विजः।
वने वसेत्तु निपतो यथावद्विजितेन्द्रियः।।
गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वलीपलितमात्मनः।
अपस्यस्यैव चापत्यं तदाऽरण्यं समाश्रयेत्।।
सन्त्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्वश्चैव परिच्छदम्।
पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य वनं गच्छेत् सहैव च।।[12]

उक्तं अभिज्ञानशाकुन्तले -

भूत्वा चिराय चतुरन्त महीस पत्नी,
दौष्यन्ति मप्रतिरथं तनयं निवेश्य।
भर्त्रा तदर्पित कुटुम्ब भरेण सार्धं,
शान्ते करिष्यति पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्।।[13]

वानप्रस्थाश्रमे निवसन् सः निःस्वार्थभावेन विभिन्नशास्त्राणां स्वाध्यायं कुर्यात् शिष्येभ्यः विद्यादानं कुर्वन् सामाजिकाभ्युदाय प्रयतेत। अत एव उक्तं छान्दोग्योपनिषदि -

त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचर्याचार्यकुलवासी तृतीयोऽत्यन्तआत्मानमाचार्यकुले अवसादयन् सर्वं एते पुण्यलोका भवन्ति[14]।

वानप्रस्थाश्रमे धर्मस्य त्रयः स्कन्धा भवन्ति - प्रथमः विद्याध्ययनम्, द्वितीयः यत् (उत्तमक्रियासम्पादनम्), तृतीयः च विद्यादीनाम् उत्तमगुणानां दानम् इति। एवमेव त्रीणी तपांसि भवन्ति - प्रथमं तपः वेदोक्तधर्मानुष्ठानपूर्वकं विद्याप्रदानम्, द्वितीय तपः आचार्यकुले वसन् विद्याध्ययनम्, तृतीयं च परमेश्वरस्य सम्यक्प्रकारेण विचारं कुर्वन् समस्तविद्यानां ज्ञानप्रापणम्। मुण्डकोपनिषदि अपि वानप्रस्थश्रमस्य संयतजीवनविषये उक्तमस्ति -

तपः श्रद्धे ये ह्युपवसन्तयरण्ये, शान्ता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः। सूर्यद्वारेण तं विरजाः प्रयान्ति, यत्राऽमृतः सपुरुषो ह्यव्ययात्मा।।[15]

अर्थात् भिक्षावृत्तिम् आश्रित्यः यः विद्वान् शान्तस्वभावः वानप्रस्थः सन् अरण्ये निवसन् तपः श्रद्धां च सेवते पुण्यपापेभ्यः मुक्तः भूत्वा उत्तरायणपथि अमृताव्यपुरुषस्य लोकं (ब्रह्मलोकं) गच्छति।

सन्यासाश्रमः - संन्यासाश्रमः जीवनस्य अन्तिमाश्रमः। वानप्रस्थस्य सहजपरिणतिरेव संन्यासाश्रम इत्युच्यते। संन्यासाश्रमः अन्तिमाश्रमः। व्यक्तिः संन्याश्रमे भौतिकविषया सर्वथा विहाय परब्रह्मणि रतिं करोति। एवञ्च सर्वविधकर्तव्याणि कुर्वन् पुरुषार्थचतुष्टयं च सम्प्राप्नुवन् एकं सर्वाङ्गिणजीवनं यापयति अत एव उक्तम् -

वनेषु च विहृत्यैव तृतीयं भागमायुषः।
चतुर्थमायुषो भागंत्यक्त्वा संगं परिव्रजेत्।।[16]

गीतायामपि श्रीकृष्णमुखेन वेदव्यासः कथयति काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः।।[17]

संन्यासाश्रमे प्रविशन् संन्यासी प्रतिज्ञां करोति यत् अद्य अहं पुत्र-धन-यशोविषयिकां सर्वां कामनां परित्यजामि सर्वे च मत्तः अभयं प्राप्नुवन्ति। अत एव उक्तं -

पुत्रैषणा वित्तैषणा लोकेषणा या परित्यक्ता मतः सर्वेभ्योऽफयमस्तु। एतादृशं पवित्रं सर्वजनहिताय व्रतं संधार्य विश्वस्य कल्याण कामनां च लक्षयित्वा देशे-देशान्तरेषु संन्यासिनः भ्रमणं कुर्वन्ति, उपदिशन्ति, अंहिसाः शान्त्योः प्रसारेण सह भारतीय ज्ञानं सर्वेभ्यः जनमानसेभ्यः प्रददति एवञ्च प्राप्नुवन्ति विश्वगुरुपदम्। एते एव संन्यासिनः अग्रजन्मानः इति कथ्यन्ते एतानेव संलक्ष्य मनुः अलिखत् -

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः।
स्वं स्वं चरित्र शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः।।[18]

संन्यासाश्रमः निवृत्तेः पूर्णचरितार्थता अस्ति। व्रतस्य प्रारम्भः ब्रह्मचर्याश्रमे अभवत् तस्य एषा व्यवस्था अत्यन्तम् उदारशीला वैज्ञिकसिद्धान्ताधारिता च अस्ति। अनया व्यवस्थया एकतः तु मनुष्यस्य शारीरिक-आध्यात्मिक-बौद्धिक-मानसिकक्षमतानां पूर्वविकासः भवति, द्वितीयतः तस्य बाह्यातरिकेन्द्रियाणां बुद्धेश्च पूर्णतृप्तिः भवति। अनेन राष्ट्रस्य न केवलं वैयक्तिकः अपितु समष्टिगतः विकासः बाधारहितः सामञ्जस्यपूर्ण च भवति। एते चत्वारः आश्रमा प्राचीनभारतस्य जीवनदायी आत्मा अस्ति।

प्रथमे ब्रह्मचर्याश्रमे प्रयासः क्रियते यत् ब्रह्मचारी स्वदेशस्य सांस्कृतिक-आत्मिकपरम्पराणां विषये स्वसामर्थ्यानुसारं पूर्णज्ञानं प्राप्नुयात्। अनेन व्यक्ते शिक्षया दीक्षया च देशस्य सांस्कृतिकनिधि अबाधगत्या प्रवहति। आश्रमेऽस्मिन् मनुष्यः ज्ञानोपार्जनं करोति। अस्मिन् आश्रमे

समाजस्य परमं दायित्वमस्ति यत् सः ब्रह्मचारिणां समस्तसुविधानां आवश्यकतानां च पूर्णं भारं वहेत्।

द्वितीये गृहस्थाश्रमे व्यक्तिः स्व आर्थिकजीवोत्पत्तिसम्बन्धि आवश्यकतानं प्रवृत्तीनां च सन्तोषणाय, प्रयतते सर्वेभ्यः गृहस्थेभ्य अपेक्ष्यते यत् ते आर्थिकक्षेत्रे स्वदायित्वानां निर्वाहं कुर्वन्तः समाजस्य ऋणेभ्यः मुक्ताः भवेयुः वंशपरम्पराश्च सन्तानोत्पत्ति द्वारा अविच्छिन्नां कुर्युः।

तृतीये वानप्रस्थाश्रमे आशा क्रियते यत् वानप्रस्थिनः स्वार्थं रागद्वेषं च परित्यज्य निस्तरं मनन-चिन्तनं कुर्वन्तः दार्शनिकानुभवेषु समृद्धा भवेयुः।

चतुर्थे संन्यासाश्रमे व्यक्तिः अनन्तस्य अन्वेषणे जीवनं यापयन् आत्मबोधं प्राप्नोति भारते एषा धार्मिकमान्यता विश्वासः च यत् एतेषां चतुर्णाम् आश्रमाणां सम्यक्तया नियमपूर्वकं पालनेन मनुष्यः निश्चियेन मोक्षं प्राप्नोति। अर्थात् चुतर्णाम् आश्रमेण नियमपूर्वकं परिपालयत् मनुष्यः मोक्षं प्राप्तं करोति।

संदर्भग्रन्थसूची -

1. रघुवंशमहाकाव्यम् (सर्ग-1, श्लोक-8
2. यजुर्वेदे (अ. 36, अनु 17, मंत्र-22)
3. काशिकायाम 3.2.69
4. यजुर्वेद अ-36, मंत्र 18
5. जाबालोपनिषदे
6. ऋग्वेदे (दशमण्डले)
7. अथर्ववेदे मंत्र 3-5
8. मनुस्मृते
9. यजुर्वेदे अ. 36, मंत्र 29
10. यजुर्वेदे मंत्र 41-43, 45-50
11. यजुर्वेदे (वशिष्ठेन)
12. मनुस्मृते, श्लोक 1-3
13. अभिज्ञाशाकुन्तलम् (चतुर्थ-20)
14. छान्दोग्योपनिषद् (प्र-1)
15. मुण्डकोपनिषद् (2-11)
16. मनुस्मृते (6-23)
17. महाभारते (18-25) शांतिपर्व
18. मनुस्मृते

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 4 | ISSN : 2582-0095

संस्कृत वाङ्मय में आश्रम

डॉ. नंदिता मिश्रा
असिस्टेंट प्रोफेसर,संस्कृत विभाग, जवाहर लाल नेहरू स्मारक पी.जी. कॉलेज, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश

सारांश– ऋषियों के आश्रम तपोवन ही उपयुक्त होते थे। जो शिक्षा के भी केन्द्र होते थे। परन्तु प्रत्येक के लिए गुरु के आश्रम में जाकर विद्या प्राप्त करना अनिवार्य नहीं था। कहीं–कहीं पिता भी पुत्र को शिक्षा देता था। जैसे– दिलीप ने रघु को धनुर्विधा की शिक्षा की थी। पति–पत्नी को भी शिक्षा दिया करता था। इन्दुमती ने ललित कलाओं की शिक्षा अज से प्राप्त की थी।

मुख्यशब्द–संस्कृत, वाङ्मय, आश्रम, तपोवन, ऋषि, शिक्षा, गुरु।

आश्रम शब्द का अर्थ– भारतीय परम्परा, सामाजिक सुव्यवस्था, संतुलन, एकता और सङ्घटन पर आधारित है। इसमें वर्ण–व्यवस्था का जितना महत्त्व है, उसी प्रकार 'आश्रम–व्यवस्था' भी महत्त्वपूर्ण है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष– इन पुरुषार्थ–चतुष्टयों की पूर्ति के लिए, आश्रम में, इनका पृथक–पृथक् विभाग कर दिया गया है। अतः आश्रम चार माने गये हैं। यद्यपि आश्रम शब्द मुनियों के निवास–स्थान वन–मठादि तथा वानप्रस्थाश्रम के लिए भी प्रयुक्त होता आया है[1] तथापि हम आश्रम शब्द से भारतीय–संस्कृति में अभीष्ट ब्रह्मचर्यादि आश्रमों को ही वर्ण्य–विषय का अङ्ग मानते हैं। **''आश्रमन्ति स्वं–स्वं तपश्चरन्ति अत्र''** अथवा ''आ=समन्तात् श्रमो अत्र इति आश्रमः'' इस व्युत्पत्ति के आधार पर आश्रम शब्द कठिन परिश्रम से अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए जीवन–यात्रा के लिए गए चारों विभागों का बोधक है। स्मृतियाँ, श्रुति के ही अर्थ की व्याकृति हैं।[2] इस दृष्टि से स्मृति प्रतिपादिता ये चार आश्रम वैदिक काल[3] से ही देखे जाते हैं– जो ब्रह्मचर्याश्रम, गार्हस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम तथा सन्न्यासाश्रम के नाम से प्रसिद्ध हैं। अमर सिंह ने इन्हें ही क्रमशः ब्रह्मचारी, गृही, वानप्रस्थ और भिक्षु कहा है।[4]

आश्रम के सम्बन्ध में महाकवि कालिदास की धारणा भी उपर्युक्त ही है। इनकी दृष्टि में गृहस्थाश्रम बहुत महत्त्वपूर्ण है। इन्होंने इसे सर्वोपका–क्षमम् कहा है।[5]

मनुष्य जीवन के लक्ष्य–धर्म, अर्थ और काम इन तीनों को कवि ने समान महत्त्व दिया हैं। किन्तु धर्म रहित कामादि को वे उतना महत्त्व दिया हैं। किन्तु धर्म रहित कामादि को वे उतना महत्त्व नहीं देते। पार्वती से शंकर ने इस रहस्य को उसकी तपश्चर्या के महत्त्व को मानते हुए व्यक्त किया है।[6]

मनोवैज्ञानिक आधार पर यदि विश्लेषण किया जाय तो मानव–जीवन–यात्रा की गाड़ी को अपने परम लक्ष्य, परम श्रेय या परम मोक्ष तक पहुँचने के लिए जीवन को चार आश्रमों में बाँटना अत्यावश्यक है। इस प्राचीन व्यवस्था में यह ध्यान रखा गया है कि मानव की मूल–प्रवृत्तियाँ दबायी न जायें। क्योंकि दबायी जाने पर मूल–प्रवृत्तियाँ प्रतिक्रियाएँ करती हैं और असाध्य रोग आदि को उत्पन्न करती हैं। अतः युवावस्था में विवाह, भोग–विलास और काम (विषय से तृप्ति) आवश्यक हैं। इस दृष्टि से गृहस्थाश्रम में पूर्ण इन्द्रिय–सुख प्राप्त कर लेने के बाद ही वानप्रस्थाश्रम आदि का विधान किया गया है। गीता में भी ''मूल प्रवृत्तियों के दबाये जाने पर भी भावानात्मक रस नहीं दब पाते'' कहकर उपर्युक्त तथ्य की पुष्टि की है।[7]

आश्रमों की नींव इसी मनोवैज्ञानिक आधार पर पड़ी दीख पड़ती हैं। ब्रह्मचर्याश्रम में ज्ञानार्जन होता है तो युवावस्था में गृहस्थाश्रम में जाकर सांसारिक सुख प्राप्त करता है और वानप्रस्थाश्रम में शनैःशनैः सांसारिक मोहां से अपने मन को हटाकर ईश्वरोन्मुख करता है और तब अन्ततः संन्यासाश्रम में सांसारिक माया–मोह, भोग–विलास को त्यागकर मोक्ष मार्ग में तल्लीन हो जाता है।

महाकवि कालिदास की आस्था इसी सिद्धान्त पर है। उन्होंने आयु के चार विभाग किये– शैशव, यौवन, वार्धक्य और अन्त। इनमें शैशव ''जो ब्रह्मचर्याश्रम का प्रतिनिधित्व करता है'' को विद्याभ्यास के लिए उपयुक्त माना, विषय से इन्द्रियों की तृप्ति के लिए– यौवन को गृहस्थाश्रम का प्रतीक समझा, वानप्रस्थाश्रम के रूप में– मुनिवृत्ति से जीवन निर्वाह की अवस्था को वार्धक्य माना और अन्तिम अवस्था को संन्यासश्रम के लिए उपयुक्त समझकर योगाभ्यास के लिए उपयुक्त ठहराया।[8] इस प्रकार इन्होंने इन आश्रमों को प्रथम, द्वितीय आदि शब्दों से ही व्यवहृत किया। इस प्रकार– उन्होंने ब्रह्मचर्याश्रम के लिए प्रथमाश्रम[9], गृहस्थाश्रम के लिए द्वितीयाश्रम[10] तथा संन्यासाश्रम

आज की जीवन–यात्रा अनेक कष्ट और व्याधि से ग्रस्त अकालमृत्यु तक देने वाली भार–स्वरूप है। भगवान् मनु ने आज से कई सहस्र–वर्ष पूर्व आज की दुर्गति का अनुमान कर अकाल मृत्यु के चार–कारण निर्दिष्ट कर दिये थे–

1. वेदों का अभ्यास न करना,
2. आचार छोड़ देना,
3. आलस्य और
4. अन्न का दोष।[11]

हमें इतिहासों एवं पुराणों से पता चलता है कि हमारे इस आनन्द कानन भारत जैसे पुण्य–क्षेत्र में अकाल – मृत्यु जैसी दुष्ट लता का अङ्कर तक भी देखने सुनने में न आता था। यहाँ तो सब मनुष्य समृद्धशाली, पराक्रमशाली हृष्ट–पुष्ट, सुन्दर, विद्वान् एवं नित्य आनन्दमय होते थे। देवता लोग भी यहाँ के

सुखों के लिए लालायित रहते थे। अतएव वे यहाँ का जीवन जीन के लिए, आश्रमों में अपने को ढ़ालने के लिए, भारत में जन्म लेने के लिए ललचाये रहते थे।[12]

आज ये सब बीते स्वप्न के बड़बड़ाहट लगते हैं। विश्वास नहीं होता कि क्या ऐसा भी सम्भव हैं मृत्यु की ओर दृष्टिपात करने पर लगता है कि उस पिशाचिनी का पञ्जा सभी देश, सभी नगर, ग्राम–ग्राम और प्रत्येक घर में जमा हुआ है। पुत्रों के वियोग में एक ओर पिता तड़प रहे हैं, तो दूसरी ओर बाल–विधवाओं का करुण–क्रन्दन आकाश को फाड़ रहा है। प्लेग–हैजा आदि जन–पद–ध्वंस रोग एक–पर–एक नित्य नये–नये रूप में अपना घर बना रहे हैं। जो आज जीते हैं; वे मरे हुओं से भी गये–बीते हैं। पैदा होते ही कैसे–कैसे रोग होते जा रहे हैं ''चालनी–न्याय'' (जैसे–हिलती–डोलती–चलनी को चूर्ण से भरने के प्रयास में– होता यह है कि एक ओर जब तक मरते हैं; तब तक दूसरी ओर का चूर्ण नीचे गिर जाता है। पुनः दूसरी ओर भरने पर एक ओर का चूर्ण नीचे आ जाता है। फलतः चलनी को चूर्ण से भरना अशक्य हो जाता है) उसी प्रकार एक रोग का समाधान हो नहीं पाता कि अन्य अनेक नये रोग उत्पन्न होते जा रहे हैं। बल–बुद्धि का कहीं पता नहीं, बालकों के भी मुख–कमल झुर्रियों से जकड़े नजर आते हैं। धीरे–धीरे इतना ह्रास हुआ है कि आने–वाली पीढ़ी के लिए ''एक–एक हाथ के शरीर वाले लोग होंगे'' जैसी भविष्य–वाणियाँ भी अब सत्य ही समझ में आने लगी है।

अकाल मृत्यु के चार कारणों में जब हम 'वेदों के अनभ्यास' पर विचार करते हैं– तो लगता है– यह कारण आज अक्षरशः विद्यमान है। अतः आजकल अकाल–मृत्यु की सङ्खया बहुत अधिक बढ़ गयी है। जिस वेद के लिए ''भूतं भव्यं भविष्य सर्वं वेदात् प्रसिद्धयति'' कहा गया है अर्थात् वेद से भूत, वर्तमान और भविष्यत् तीनों कालों की अदृश्य घटनाओं का ज्ञान सम्भव है– और जिसके लिए ऋषि–मुनियों ने यह नियम बना रखा था कि जो द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) वेद पढ़कर अन्य विषय में श्रम करता है; वह वंश सहित जीता–जागता शीघ्र ही शूद्र कोटि में गणना के योग्य हो जाता है।[13] दूसरे शब्दों में वह स्वयं अकाल मृत्यु का भाजन बन जाता है।

इस दृष्टि से यदि देखा जाये तो आज कितने द्विजात वेदज्ञ मिलेगे? कितनों ने साङ्ग वेद को पढ़कर अपने पूर्वजों के विद्या–भण्डार के रत्नों की चमक देखी? द्विजातियों की बात छोड़ भी दें, तो ब्राह्मणों में भी यह प्रश्न सटीक बैठेगा जिसका उत्तर कुछ अङ्कों में दिया जा सकेगा। वैसे बहुत से भारतवासी तो वेदों का नाम तक नहीं जानते।

एक समय था– जब ब्राह्मणों के लिए बिना कारण सोचे धर्म बुद्धि से छः अंगों सहित वेद पढ़ने और समझने का विधान था।[14] किन्तु आज वेद पढ़ने की चर्चा आते ही पेट की बात सामने आ जाती है और

उसकी ज्वाला इतनी प्रबल है कि उसकी ज्वाला बुझाने में ही सारा जीवन समाप्त हो जाता है फिर भी वह बढ़ती ही जाती है।

षडङ्गों के सहित अर्थज्ञान पूर्वक वेदों को पढ़कर उसके द्वारा अलौकिक विद्याओं को जानने वाला आजा भारत में कौन है? ऐसी परिस्थिति, यदि स्वयं अकाल मृत्यु का कारण बनती है, तो इसमें आश्चर्य ही क्या? आश्चर्य तो तब होता– जब वेदाभ्यास सब जगह सदैव होता रहता और अकाल मृत्यु दीख जाती। वेदाभ्यास और उनके अर्थों का यथार्थ–ज्ञान तप के द्वारा ही सम्भव है और तप के सामने अकाल मृत्यु कहाँ से? यास्क के मत में तो बिना तप के मन्त्रों का यथार्थ ज्ञान हो ही नहीं सकता।[15] तत्त्वज्ञान के लिए एक जन्म क्या जन्म–जन्मान्तर तक ब्रह्मचर्य–पूर्वक वेदाभ्यास करते रहने का उदाहरण ब्राह्मणों में आया है।[16]

जब वेद–ज्ञान ही न रहा, तो धर्मज्ञान कहाँ से हो। और तब आचार का पालन क्यों न सूखे वृक्ष के समान हो जाये। जब आचार जानने का साधन जब वेद–शास्त्र ही छोड दिया गया, तब आचार–पालन, हो कहाँ से। हमारे पूर्वजों ने अनेकों वर्ष जंगलों में भटककर राज्य सुख से विमुख होकर जो सम्पत्ति प्राप्त की थी और परम करुणावश, उन्होंने जिसे हमे उपदेश के रूप में दिया था, उस सम्पत्ति को, उस रत्नराशि को हमने नादान लड़कों के समान कूड़े–कर्कट में फेंक दिया है। सैकड़ों वर्ष की खोज से वैज्ञानिकों ने जिन बातों को जान पाया है; उन्हें आचार के रूप में हमारे घरों में अशिक्षित स्त्रियाँ भी जानती हैं। यद्यपि हम अपने आचारों पर स्वयं हँसा करते हैं; किन्तु जब उन्हीं बातों को विदेशी वैज्ञानिकों के मुख से सुनते हैं तो सिर झुकाकर मान लेते हैं। गोबर का चौका, तुलसी का बिरवा अब फिर से लगाये जा रहे हैं। ब्रह्म–मूर्हूत्त में उठना, शौच, दन्त–धावन और नित्य स्नान आदि हमारे आचार के अङ्ग है; जिनका फल तो प्रत्यक्ष है, फिर भी कितने नवशिक्षित इसे निभाते हैं। इस प्रकार **''आचारस्य च वर्जनात्''** कही हुई यह मनूक्ति अकाल मृत्यु के दूसरे कारण के रूप में भी यहाँ पूर्णतया उपस्थित है; इसमें कोई सन्देह नहीं।

तीसरे हेतु 'आलस्य' के सम्बन्ध में क्या कहना। आज मद्य–मांसादि सेवन को धर्म के क्षेत्र से बाहर का समझा जाने लगा है। शास्त्रीय निर्णय तो यह था कि पुरुष जैसा अन्न खायेगा वैसा ही मन होगा– ''आनन्दमय् हि सौम्य! मनः।'' सात्त्विक कर्म और तामस अन्न से तामस मन, तामस विचार और तामस कर्म। अतएव शास्त्रों में भोजन में शुद्धि का बड़ा विवेक रखा था। शुद्ध कमाई का शुद्धिपूर्वक बनाया गया। शुद्ध अन्न भोजन करना विहित था। किन्तु आज न अन्न का विचार न कमाई का विचार, शुद्धि नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। आज तो भक्ष्याभक्ष्य का विवेक वैज्ञानिक बुद्धि के लिए व्यर्थ का पचड़ा है।

वामन पुराण में सुकेशी से ऋषियों ने वर्ज्यं और भोज्य अन्न के वर्णन के साथ–साथ उनकी शुद्धि का भी विधान बतलाया है।[17] पर्य्युषित (वासी) अन्न के भोजन का निषेध करते हुए घृत पक्व, तैल पक्व अन्न को

भोज्य माना है। अथवा सूखें भुने हुए चावल अथवा दूध से बनी हुई मिठाईयाँ भी बहुत दिनों तक बासी होने पर भी शुद्ध और भोज्य रहती हैं। इसी प्रकार द्विदल और व्यञ्जन के विकार भी शुद्ध माने गये हैं।[18]

''सम्भव–व्यभिचाराभ्यां स्याद् विशेषणमर्थवत्'' के आधार पर ही शास्त्र, नियम निर्दिष्ट करते हैं। ऐसा कोई स्थल नहीं रहता जहाँ पर का नियम असम्भवदुक्तिक हो। गौ का दूध बहुत पवित्र माना गया है। किन्तु वह बछड़े का जूठा ही तो होता है। अधिकांश फल पक्षियों के उच्छिष्ट ही होते हैं। फिर भी शास्त्रकारों ने इन्हें पवित्रतम माना है। गाय को पेन्हाने में बछड़ा तथा फल को गिराने में पक्षी पवित्र माने गये हैं।[19]

शास्त्र का उपदेश प्रभु–सम्मित होता है। इस दृष्टि से अज्ञानवश दूषितान्न भोजन के लिए जहाँ त्रैरात्र उपवास के द्वारा शुद्धि का विधान है; वहीं ज्ञान–पूर्वक दूषितान्न भोजन करने पर अशक्य शुद्धि बतलाई गयी है।[20] आज विज्ञान ने जब यह सिद्ध कर दिया है कि कुत्ते के काटने पर चाटने पर यदि उसकी लार शरीर में नश द्वारा प्रविष्ट हो जाए तो प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। फिर भी शिकारी कुत्ते को शिकार के समय शुद्ध माना गया है।[21]

इस प्रकार यदि इन चारों कारणों से अकाल मृत्यु का ताण्डव नृत्य समाने उपस्थित है तो हमें भी इन कारणों को दूर करने के लिए सोचना चाहिए।

अतः अकाल मृत्यु से मानव–विनाश को बचाने के लिए नियम–पूर्वक वेदाभ्यास, आचारों का पालन, कर्त्तव्यनिष्ठा के साथ निरालस्यभाव एवं ज्ञानपूर्वक अन्न दोषों का परिष्कार आवश्यक हो जाता है।

एतदर्थ शास्त्रों ने मानव–जीवन को चार आश्रमों में बाँटकर उन्हें पालन का उपदेश दिया है। इन आश्रमों के विहित आचरणों के द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति तो सुलभ होती ही है; समस्त मानव–समाज स्वस्थ और संतुलित रहता है। ये आश्रम ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के नाम से विदित है। ये चार परम निःश्रेयस–साधन चार सोपान हैं। जिनकी पहली सीढ़ी ब्रह्मचर्याश्रम यदि बिगड़ गयी तो अन्य सभी आश्रम (सोपान) अस्त–व्यस्त हो जाते हैं। अतः ब्रह्मचर्याश्रम के विषय में हमारे मनीषियों ने बहुत कुछ समझाया है। यह आश्रम व्यवस्था भी वर्ण–व्यवस्था पर आश्रित है। दोनों में प्रायः अन्योन्याश्रम भाव हैं। अतः एक की उपेक्षा कर दूसरे को नहीं देखा जा सकता।

यद्यपि इस व्यवस्था का पालन आज बहुत शिथिल दीख पड़ता है; तथापि आज से दो सहस्र वर्ष पूर्व, पूर्णतया इनका पालन होता था। रघुवंश के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है। उस समय चारों आश्रमों को विधिवत् पालन होता था। शैशवावस्था वेदाभ्यास के द्वारा विद्यार्जन का, युवावस्था गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर सभी प्रकार के सुखोपभोग का, अवस्था ढ़ने के समय वानप्रस्थाश्रम सुख–दुःख सहिष्णुता का तथा अन्तिमावस्था में संन्यासाश्रम–मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते थे।[22]

गुरु के पास जाकर विद्या प्राप्त करने वाला प्रथमाश्रम ब्रह्मचर्य का था। जिसके लिए ऋषियों के आश्रम तपोवन ही उपयुक्त होते थे। जो शिक्षा के भी केन्द्र होते थे। परन्तु प्रत्येक के लिए गुरु के आश्रम में जाकर विद्या प्राप्त करना अनिवार्य नहीं था। कहीं–कहीं पिता भी पुत्र को शिक्षा देता था। जैसे– दिलीप ने रघु को धनुर्विधा की शिक्षा की थी।[23] पति–पत्नी को भी शिक्षा दिया करता था। इन्दुमती ने ललित कलाओं की शिक्षा अज से प्राप्त की थी।[24]

सन्दर्भ सूची

1 ''आश्रमो ब्रह्मचर्यादौ वानप्रस्थे वने मठे'' मे0को0

2 श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत।। – रघु0 2/2

3 चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक् ।
भूतं मण्यं भविष्यच्च सर्वं वेदात् प्रसिध्यति।। मनृ0 12/96

4 ब्रह्मचारी गृही वनप्रस्थो भिक्षुश्चतुष्ट्ये।। अ0को0 2/7/4

5 अपि प्रसन्नेन महर्षिणा त्वं सम्यग्निवनीयानुमतो गृहाय।
कालोह्ययं संक्रमितुं द्वितीयं सर्वोपकारक्षममाश्रमं ते।। – रघु0 5/10

6 अनेन धर्मः सविशेषमद्य में त्रिवर्गसारः प्रतिभाति भाविनि।
त्वया मनोनिर्विषयाऽर्थकामया यदेक एव प्रतिगृह्य सेव्यते।। –कु0सं0 5/38

7 विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रस वर्जं.................................।। गीता0 2/59

8 शैशवैऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणाम्। वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्।। रघु0 1/8

9, विवेश कश्चिद्जटिलस्तपोवनं शरीरबद्धः प्रथमाश्रमो यथां कु0सं0 5/30

10 अपि प्रसन्नेन महर्षिणा त्वं सम्यग्विनीयानुमतो गृहाय।
कालोह्ययं संक्रमितुं द्वितीयं सर्वोपकाररक्षममाश्रमं ते।। रघु0 5/10

11 अनभ्यासेन वेदानाभाचारस्य च वर्जनात्।
आलस्यादन्नदोषाश्च मृत्युर्विप्राञ्जिधांसति।। – मनु0 5/4

12 गायन्ति देवाः किल गीतकानि,
धन्यास्तु ते भारत–भूमि–भागे।
स्वर्गापवर्गास्पदहेतु– भूते
भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरव्वात् स्फुटक।

[13] योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्।

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः।। मनु0, 2/168

[14] ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च। म0भा0प0

[15] ''नैतेषु प्रत्यक्षमस्त्यनृषेरतपसो वा''— निरुक्त

[16] ब्राह्मणों में कथा है कि भरद्वाज ऋषि बाल्य, यौवन, जरा तीनों अवस्थाओं में वेद ही पढ़ते रहे और जब इन्द्र ने उनसे पूछा कि आप को चौथी अवस्था और मिले तो आप क्या करेंगे? उस पर भी उन्होंने यही उत्तर दिया कि ब्रह्मचर्यपूर्वक वेदाभ्यास करते ही उसे भी बिता दूंगा। पाँचवीं और मिलेगी तो वह भी वेद पढ़ने में ही जायेगी।

महामहोपाध्याय पण्डित गिरिधर शर्म्मा चतुर्वेदी की श्री गीता प्रवचन माला, भाग—3, पुष्प—40, पृ0सं0 228 पर उद्धृत।

[17] यच्च वर्ज्यं महाबाहो सदा धर्म स्थितैर्नरैः।

यद् भोज्यं च समुदिष्टं कथयिष्यामहेवयम्।। वा0पु0 14/58

[18] भोज्यमन्नं पर्युषितं स्नेहाक्तं चिरसंभृतम्।

अस्नेहा ब्रीहयः श्लक्षणा विकाराः पयसस्तथा।। वहीं, 14/59

तद्वद् द्विदलकादीनि भोज्यानि मनुरब्रवीत्। वहीं, 14/60

[19] मातुः प्रस्रवणे वत्सः शकुनिः फलपातने। वहीं, 14/72 (पूर्वाद्ध)

[20] उपवासं त्रिरात्रं वा दूषितान्नस्य भोजने।

अज्ञाते ज्ञातपूर्वेच नैव शुद्धिर्विधीयते।। वा0पु0 14/75

[21] गर्दमों भारवाहित्वे पूवा मृगग्रहणे शुचिः।। वहीं, 14/72 (उत्तराद्ध)

[22] शैशवेऽभ्यस्तविधानां यौवने विषयैषिणाम्।

बार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुव्यजाम्।। रघु0 1/8

[23] त्वचं स मेध्यां परिधाय रौरवीमशिक्षतास्त्रं पितुरेव मन्त्रवत्।

न केवलं तद्गुरुरेकपार्थिवः क्षितावभूदेकधनुर्धरोऽपि सः।। रघु0 3/31

[24] गृहिणी सचिवः सखीमिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ।

करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वां वद किं न मे हृतम्।। वहीं, 8/67

Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 4 | ISSN : 2582-0095

वैदिक संस्कृति में संगीत चिकित्सा (म्यूजिक थैरेपी)

डॉ० जया शर्मा
रीडर एवं अध्यक्ष, संगीत विभाग,
आर्य कन्या पी0जी0 कालेज, हापुड़, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।

सारांश– सच्चे सुर और लय का संगीत ही मन के बिखरेपन को समेटकर सुकून देता है। इसी कारण मनोवैज्ञानिकों और चिकित्सकों ने मनोरोगों के उपचार हेतु ऐसे संगीत को स्थान दिया, जिसके प्रभाव हमारे अंतर मन तक पहुंच सके।

मुख्य शब्द– वैदिक, संस्कृति, संगीत, चिकित्सा, साहित्य, नैतिक, धर्म।

विश्व भर में सर्वाधिक प्राचीन ''वैदिक साहित्य'' है। जीवन के सभी नैतिक–अनैतिक मूल्यों का समाधान वेदों में प्राप्त होता है। भारत या विश्व में जितने सम्प्रदाय धर्मा एवं मतमतांतर हैं, वे सभी वैदिक पृष्ठभूमि पर ही स्थापित हुए 'श्रुतिसौरभ' नाम के ग्रंथ में लेखक पंडित शिवकुमार शास्त्री ने उल्लेख किया है– ''ऐतिहासिक दृष्टि से सभ्यता का विकास क्रम का यह एक प्रकार है, कि यूरोप में सभ्यता रोम और यूनान के सम्पर्क से पहुँची। रोम में यूनान के द्वारा सभ्यता का उन्मेष हुआ। यूनान में भारत और मिस्त्र से सभ्यता पहुँची मिस्त्र को भारत ने सभ्यता का पाठ पढ़ाया, इस तथ्य को सभी इतिहासज्ञ स्वीकार करते हैं।'' ऋक्–यजु–साम और अथर्व इन चर्तुवेदों की संहिताओं के पुंज को 'चतुर्वेद' कहा जाता है। जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, जिसका विश्लेषण वेदों में न किया गया हो। कर्म काण्ड, भक्ति काण्ड और ज्ञान काण्ड के रूप में जीवन उपयोगी तमाम विचार और ज्ञान का भंडार, ये वैदिक संहिताएँ हैं जिसमें सर्वप्रथम शारीरिक–मानसिक और आत्मिक रूप से पुष्ट करने के निर्देश दिए गये हैं। इसीलिए वैदिक संस्कृति को समस्त विश्व के इंसान के जीवन–यापन कराने वाला प्राचीन और विशालतम साहित्य स्वीकार किया जाता है। विदेशी मैक्समूलर ने अपनी पुस्तक 'हम भारत से क्या सीख सकते हैं' में लिखा है– 'यदि किसी को मानव जाति का अध्ययन करना हो, या यों कह सकते हैं कि यदि किसी को आर्य जीवन के विषय में अध्ययन करना हो तो, उसके लिए वैदिक साहित्य का अध्ययन ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा ।

वैदिक साहित्य, जीवन के विभिन्न क्रिया–कलापों की एक विशाल संहिता है। वेदों की एक शाखा आयुर्वेद भी कही गई है जो 'अथर्ववेद' को मुख्य अंग है। आयुर्वेद को पाँचवा वेद इसलिए कहा गया है,

GISRRJ192254 | Received: 01 July 2019 | Accepted: 25 July 2019 | July-August-2019 [2 (4) : 77-82]

क्योंकि इसमें शरीर–मन–इंद्रिय और आत्मा का संयोग है। अर्थात जिस शिल्प या विधा में आयु एवं जीवन के विभिन्न रोगों के उपचार की पद्धतियाँ हैं, वह आयुर्वेद हैं। इस संदर्भ में 1960 के वरिष्ठ ग्रंथकार श्री अत्रिदेव विद्यालंकार ने अपने ग्रंथ ''आयुर्वेद का वृहत–इतिहास'' में उल्लेख दिया है। जिस प्रकार नाट्यशास्त्र यानी संगीत का मूल आधार स्वरों का मंद्र–मध्य तथा तारता है, उसी प्रकार आयुर्वेद या वैधशास्त्र ने वात–कफ–पित्त के स्वरूप में संतुलन होना आवश्यक है, जिसे एक आयुर्वेदशात्रज्ञ ही जान पाता हैं। इसी कारण शरीर के इन त्रिदोषों को प्राकृतिक जड़ी–बूटियों आदि से दूर किया जाता है। ''आयुर्वेद के वृहत– इतिहास ग्रंथ का आलेख है– रोग के दो अधिष्ठान हैं– 'मन' और 'शरीर'। मन के दो दोष हैं रज और तम।'' अर्थात मानव देह रजस–तमस् और सात्विक भावों से बनी हुई है। यानी हमारे अंदर अच्छी प्रवृत्तियाँ भी होती हैं और दुष्प्रवृत्तियाँ भी । लेकिन यह स्वाभाविक है, कि रजस–तमस जैसे विकृत भाव खर–पतवार की भांति स्वतः उपजते रहते हैं। जैसे आप दो गमलों में मिट्टी खाद–पानी दीजिए। एक गमले को ऐसे छोड़ दीजिए और दूसरे गमले में आप गुलाब आदि के पौधे लगाइए। आप देखेगें कि गुलाब आदि पौधे में आपको अधिक परिश्रम व समय लागाना पड़ेगा, तब कहीं वह पौधे अपनी जड़ पकड़ेंगे, लेकिन दूसरे गमले में खर–पतवार और घास स्वतः उग आयेगी। इसी प्रकार रजस–तमस के भाव में हर इंसान में हर समय संचरित होते रहते हैं, बलिक इन भावों को म नकारात्मक तथा ऊल–जलूल भाव कहेंगे जो हमारा निरर्थक चिंतन है, जबकि सत् या सात्विक स्वच्छ और निर्मल भावों को लाने मे हमें अधिक परिश्रम व समय देना पड़ेगा। मनोवैज्ञानिकों का मानना कि मानव मन कभी एकरस नहीं रहता, या तो वह उन्नति की ओर अग्रसर होगा या अवनति की ओर लुढकेगा। यदि मन को सही दिशा–निर्देश मिलता है, तो उसके अनुरूप व्यक्ति अपने आपको ढाल लेने का प्रयत्न करता है। रजस–तमस की भावनाएं तो हर समय उसके अंदर रहती हैं। यदि व्यक्ति अपने आपको पहचानकर, अपनी विशेषताओं का सही आकलन करे, तो उसे अन्दर से ही दिशा–निर्देश मिलता है और व्यक्ति अपनी सात्विक प्रवृत्तियों को बढ़ाकर एक नायक या संत भी बन सकता है। अन्यथा व्यर्थ के चिंतन और दुष्चिंताओं से अपने समस्त जीवन को बेकार कर देता है।

1995 की फिल्म 'गाइड' में इस तथ्य को बखूबी दर्शाया गया। इस फिल्म में स्व. देवानन्द जी का किरदार एक साधारण व्यक्ति राजू के रूप में था। अंत में वही राजू सात्विकता और आध्यात्मिकता की सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंच जाता है, जिसका प्रभाव सभी लोगों पर पड़ने लगता है। गाइड फिल्म का यह प्रसंग आज इसलिए प्रासांगिक है, क्योंकि युवा पीढ़ी को आध्यात्मिक या वैदिक धर्म के सम्बन्ध में जानकारी ही नहीं है। 'आध्यात्मिक' शब्द का अर्थ है अथि–आत्मा– आध्यात्मिक अर्थात आत्मा के निकट बैठना अपने को पहचानना अपने आप को समझना ही आध्यात्मिक होना होता है, जो शुरू से लेकर आखिर तक जीवन के प्रमुख अंग हैं। अकेली भारतीय संस्कृति ऐसी है, जिसकी बुनियाद आध्यात्म, दर्शन ओर धर्म से बनी हुई

है। यहां तक की हमारी कलाएं. विषय–शास्त्र तथा अन्याय विषयों का आधार भी दर्शन–धर्म आदि हैं। रामचरितमानस का प्रसंग है, रावण के भाई विभीषण की भेंट जब राम से होती है उस समय लक्ष्मण सुग्रीव तथा अन्य वानर आदि विभीषण को 'शरण' देने के पक्ष में नहीं थे लेकिन राम मानवीय भावनाओं को समझते थे और उन्होंने विभीषण को शरण दी। बाल्मीकी रामायण के 6/17/64 का उल्लेख है ''भावमन्तर्गतं नृणाम्'' अर्थात मनुष्य अपने बाहय आकार को छिपाने की कोशिश करने पर भी नहीं छिपा सकता, क्योंकि अंदर के विचार बलपूर्वक आकर, आकृति में चेहरे पर प्रकट हो जाते हैं। राम के अंदर आंतरिक भावों को परखने की क्षमता थी। मनोविज्ञान में भी यह तथ्य स्वीकार किया जाता हैं भारतीय संस्कृति की विशेषता ही विनम्रता और बड़ो का आशीर्वाद भीष्म कहते हैं 6/41/34– 'प्रीतीअस्मि पुत्रः युध्यस्व जयमापन्हि पांडव' अर्थात हे युधिष्ठिर तुम्हारे इस व्यवहार से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हे आशीर्वाद है, कि ईश्वर तुम्हे विजय दिलाए। अभिप्राय यह है कि दिल से निकलने वाले चाहे आशीर्वाद हो और चाहे अभिशाप निश्चित तौर पर फलीभूत होते हैं। इस जीवन में न जाने कितनी अड़चने मुश्किलें और परेशानियां आती ही रहती हैं। उसे व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से झेलता है, किन्तु बड़े–बुजुर्गों का आशीष उन आने वाली परेशानियों को सहज और सरल अवश्य कर देता है। वैदिक मंत्र है, महोमहानि की कुछ बातें आज भी प्रासांगिक हैं। पहली बात कुछ मनुष्य काम. क्रोध आदि प्रवृत्तियों के होते ही है, उन्हें आप कैसा भी सतत् परामर्श या सलाह दे उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि वे लोग परोपकारी की सलाह को उसकी दुर्बलता या कायरता समझकर उसके साथ और भी गलत व्यवहार करते नजर आयेंगे जैसा कि आजकल प्रत्येक क्षेत्र में होता हुआ दृष्टिगत होता है।

सरोदवादक तरूण महाचार्य ने स्वर–सरिता जयपुर में उल्लेख दिया है– ''किसी राजा या किसी धुन को सुनते हुए यदि दो पल का सुकून मिलता है, तो यही ''म्यूजिक थैरेपी'' है। निःसंदेह संगीत की मेडोलीज यदि हमें अंतरत्म से प्रभावित करती है तो इसे ही 'म्युजिक थैरेपी' समझना चाहिए। कला और विज्ञान का परस्पर मेल ही संगीत–चिकित्सा या 'म्यूजिक थैरेपी' हैं।

अथर्ववेद 9/27/8 का एक मंत्र है– 'भोगापवर्गाथ दृश्यम' अर्थात् संसार में आने का उद्देश्य भाग तथा अपवर्ग है। न केवल स्वयं के लिए अपितु सम्पूर्ण समाज के लिए मार्ग प्रशस्त कर सुखद बनाना न केवल स्वयं के लिए अपितु सम्पूर्ण समाज के लिए मार्ग प्रशस्त कर उसे सुखद बनाना ही जीवन है। जीवन को सुखमय बनाने के लिए ही मनोचिकित्सकों वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों ने संगीत को चिकित्सा से जोड़ा है, लेकिन उस संगीत को जिसमें आध्यात्म, दर्शन और धर्म की गहराई हो।

म्यूज़िक थैरेपी में संकल्प की दृढ़ता होना भी जरूरी है जिसके लिए सत्संग होना चाहिए। आचार्य तुलसी की रामचरित मानस में उल्लेख है– ''बिनु सत्संग, विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई''।

आज सत्संग की परिभाषा में साधु–संतों और महात्माओं की गोष्ठियां नहीं, बल्कि समझदार, ईमानदार और विद्वान व्यक्तियों का समागम जहां विचारों की नई से नई क्रांति हो, जिससे आज की पीढ़ी में संवेदना का सम्प्रेषण हो तथा जिनकी कथनी और करनी का अंदाज उनके जीवन–दर्शन से मिलता हो। इसी को आज का सत्संग कहा जा सकता है। जो बिना ईश्वर की कृपा के नहीं प्राप्त हो सकता। सत्संग का अभिप्राय है दिशा–निर्देश। सत्संग में बैठकर ही व्यक्ति अपने–अपने विचारों से सोचने लगता है। आज लोगों में, परिवारों में, समाज व राष्ट्र और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलगाव और अपने को एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की प्रवृत्ति बढ़ चुकी है इसका एक ही उपाय है, चिंतन आध्यात्मिक चिंतन और स्वच्छंद सोच का दायरा बढ़ना ही चाहिए। इसी के रूपांतरण के लिए पुराने समय से लेकर आज तक इसी टैक्नीक या विधि का सहारा लिया गया है। जैसे प्राचीन समय में इसे 'मानस–चिकित्सा' ओर वर्तमान समय में संगीत–चिकित्सा या म्यूज़िक थैरेपी का नाम दिया गया है। म्यूजिक को थैरेपी के रूप में इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि प्राचीन समय में लोग रोगों को दूर करने के लिए झाड़–फूंक और ढ़ोल व शंखों की ध्वनि का प्रयोग करते थे। एस.सी. वार्ष्णेय के अनुसार– ''मिस्त्र और यूनान में ढोल और घंटिया बजाकर रोगियों के उपचार का विधान है।''

चाहे रोग का निदान करना हो, संगीत–रोग चिकित्सा के लिए मुख्य उपादान अवश्य हैं। मनोरोग, मानव के अंदर व्याप्त रजस और तमस के परिणाम हैं। जब तक मानव का अस्तित्व पृथ्वी पर रहेगा, तब तक मनोरोग होते रहेगें। 'मानस चिकित्सा के' संदर्भ में सामवेद का मंत्र है 'गिरिजा मतयः वः प्रयंतु' अर्थात अपने सुख–समृद्धि के लिए प्रभु से प्रार्थना मत करों बल्कि प्रार्थना की जानी चाहिए मात्र और प्राणी मात्र तक स्थिर होना चाहिए। अर्थात वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना से प्रार्थना की जानी चाहिए जिसमें स्वयं का मानस बल बढ़ेगा, साथ ही मन भी निश्छल होगा। इसी प्रकार उपनिषद का यह आलेख है–आत्मा रथी है और रथ को हांकने वाला सारथी मानव मन है। हमारी दसों ज्ञानेंद्रियां और कर्मेदियां ऐसे घोड़ों को चाबुक मारता है, कभी पीठ थपथपाकर अपने गंतव्य पर ले जाता है। अभिप्रायः है मन में उठने वाली विचारों की आंधियों को मन रास्ता देता है। विश्व भर के जितने भी धर्म, सम्प्रदाय या मजहब हैं, उन सभी में पहले मन को शांत किया जाने का विधान है। उसके बाद प्रार्थना करने पर ध्यान दिया जाता है। वैदिक मंत्र है– 'स्तूष' शब्द का अर्थ है, तू स्तुति कर प्रार्थना कर। स्तुति. या प्रार्थना निष्प्राण शरीर के समान हैं। प्रार्थना जब स्वर–लय आदि के द्वारा गाई जाती है तब वह न केवल स्वयं को बल्कि जिसकी प्रार्थना की जाती है, उसके कानों तक पहुंच पाती हैं कहने का अभिप्राय है, प्रार्थना गाना केवल आरोह अवरोह या तान–मूर्च्छना ही नहीं है, अपितु मन की पुकार है, जो संगीत के माध्यम से उत्पन्न होती हैं। 'गीतिषु सामाख्या' का अर्थ है भक्तों की भावभरी स्वर–लहरी जब फूटकर ऋचाओं के रूप में बाहर निकलती है तभी वह 'सम' बन जाती हैं। इसीलिए

संगीत और उपासना का परस्पर अटूट सम्बन्ध रहा है। इसी कारण उपासना म्यूजिक थैरेपी का विशेष अंग माना गया है।

उपासना उपासना शब्द का अर्थ है समीपस्थ होना यानी उप+आस+टाप प्रत्यय–उपासना, आत्मा के समीप बैठना 'उपासना' है। वेदों में लिखा है उपासना के लिए, एकान्त व शुद्ध स्थान पर जाकर आसन लगाना, तथा प्राणायाम की स्थिति में बाहय विषयों से इंद्रियों को रोकना, तथा अपना ध्यान नाभि प्रदेश में, हृदय, कंठ, नेत्र, शिखा को एक स्थान पर स्थिर करके आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़कर संयमी बनना, वह वैदिक समय की प्रार्थना थी। उस समय चूंकि आश्रमों का माहौल था। सारा ध्यान चिंतन में लगा रहता था, लेकिन उपासना या प्रार्थना को यदि आधुनिक ढंग से लिया जाए, तो यह एक गोष्ठी या सेमीनार कहा जायेगा जिसमें समझदार और सुयोग्य प्रवचनकर्ता या प्रश्नकर्ताओं का सम्मेलन होगा। उसमें आज सभी बच्चे अपनी–अपनी बात कहने के लिए आयेगें, क्योंकि आध्यात्मिक कोई धार्मिक या कर्मकाण्डी पहलू नहीं है, अपितु इसका अर्थ है, अपने को पहचानना।

जिस प्रकार दूरदर्शन पर अपने मनोनुकूल सीरियल देखने के लिए हमें रिमोट के द्वारा सेट करना पड़ता है, उसी प्रकार प्रार्थना या उपासना अथवा गोष्ठी के पास अपना ध्यान चारों ओर से समेटकर, एकाग्र करना पड़ता है, तभी व्यक्ति के तार उस परमपिता परब्रहम से जुड़ पाते हैं। इससे हमारे शरीर मन और मस्तिष्क का तो व्यायाम होता ही है साथ समवेत स्वर में गाई जाने वाली धुन का प्रभाव भी हमारे अंतर पर पड़ता है। रोजमर्रा के जीवन में देखा जा सकता है कि जब हम सामूहिक रूप से कीर्तन–भजन करते हैं, तो कम से कम उस वक्त हम अपनी परेशानियों को भूलकर, सुर मिलाकर गा रहे होते हैं। अतएव भगवान या किसी इष्ट से प्रार्थना करना, कोई शिक्षा नहीं हैं, अपितु उनका आवाहन है, जैसा इस संदर्भ में संत सुबोधनन्द जी ने मानस के मोती ग्रंथ में उल्लेख किया है– ष्च्तंलमत पे दवज इमहहपदहए पज पे ंद पदअवबंजपवदष अर्थात प्रार्थना कोई भिक्षा नहीं है, अपितु यह तो आवाहन है, उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से बुलाना है, जिनके सामने हम अपनी बात रख सकते हैं। हमें विश्वास है कि हमारी बात कोई नहीं सुनेगा और वह अवश्य सुनेगा।

डॉ. प्रवेश सक्सैना अपनी पुस्तक 'वेदों में क्या है' में लिखते हैं, कि 'वेदों में ओइम इन अक्षरों का महत्व है सभी वेदों का सार ओइम को बताया गया है। ढाई अक्षर का यह शब्द तीन प्रकार की शांति को दर्शाता है शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक ओइम के उच्चारण या जाप से तनाव शिथिल होता है। मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वेदों का यह आलेख है. कि 'साम' यानी जीत उसी को प्राप्त होती हे, जो क्रियाशील, और विवेकी होता है। यह एक ऐसी भाषा है, जो सबको समझ में आती है। डा. प्रवेश पुनः लिखते हैं– 'मंत्र शक्ति के प्रयोग ऋषि–मुनियों ने आरम्भ से किये हैं। आज के वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं

कि शब्द शक्ति इलैक्ट्रोनिक मैग्नेटिक लहरें, उत्पन्न करती हैं। जो स्नायु तंत्र पर वांछित प्रभाव डालकर उनकी सक्रियता को तो बढ़ाती ही हैं, साथ ही विकृत चिंतन को भी रोकती है मनोविकारों को दूर करती है। एक ही मंत्र का बार–बार गायन करने पर कैसे तनाव भी धीरे–धीरे होने लगता है। इस पर अनेक प्रयोग–परीक्षण किये जा चुके हैं, जिसे विदेशों में सायमैटिक्स अध्ययन की परम्परा कहा जाता है।' प्राचीन गेय स्तुतियां और प्रार्थनाओं के पीछे अभ्यास और साधना की सतत् श्रंखला बनी रहती है। स्वर और लय की रज्जू को पकड़कर ना जाने कितने कवियों और कवयित्रयों ने भक्त गायक और गायिकाओं का स्वरूप धारण किया। इसी कारण चिकित्सा पद्धति में दूरदर्शन में गाये जाने वाले रियलिटी शोज के संगीत को न लेकर भारतीय शुद्ध शस्त्रोक्त और आध्यात्मिक संगीत को महत्व दिया गया, जो केवल मन–मस्तिष्क को बल्कि हमारी आत्मा को भी तुष्टि देते हैं।

सच्चे सुर और लय का संगीत ही मन के बिखरेपन को समेटकर सुकून देता है। इसी कारण मनोवैज्ञानिकों और चिकित्सकों ने मनोरोगों के उपचार हेतु ऐसे संगीत को स्थान दिया, जिसके प्रभाव हमारे अंतर मन तक पहुंच सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. संगीत – चिकित्सा – डा. महारानी शर्मा
2. संगीतायन – डा. सीमा चौधरी
3. कलाविहार पत्रिका
4. संगीत पत्रिका लक्ष्मी नारायण गर्ग
5. संगीत बोध – डा. शरत चन्द्र श्रीधर
6. ध्वनि और संगीत प्रो. ललित किशोर सिंह
7. संगीत शाखा 1958 के. वासुदेव शास्त्री
8. नारदीय शिक्षा– – मैसूर
9. भारतीय संगीत में वृन्दावन – डा. नारायण मेनन

ज्ञानशौर्यम्

Publisher

Technoscience Academy

(The International open Access Publisher)

Website : www.technoscienceacademy.com